पंचम माला, खंड 63, अंक 1, मंगलवार, 10 अगस्त, 1976/19 श्रावण, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIII, No. 1, Tuesday, 10 August, 1976/Sravana 19, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र]

Seventeenth Session

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

Preservation Unit
Parliament Library
On 18-9-92

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—569LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, मंगलवार, 10 अगस्त, 1976/19 श्रावण, 1898 (शक)

No. 1, Tuesday, August 10, 1976/Sravana 19, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical list of Members . .	(iii)—ix)
सभा के अधिकारी	Officers of the House . . .	(xi)
मंत्रिमंडल के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet, Ministers of the State and Deputy Ministers . .	(xiii)-(xiv)
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References . . .	1
मंत्री का परिचय	Introduction of Minister .	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions . .	2—14
तारांकित प्रश्न सं० 1, 3 और 6 से 10	Starred Questions Nos. 1, 3, and 6 to 10	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions . .	14—92
तारांकित प्रश्न संख्या 2, 4, 5 और 11 से 20	Starred Questions Nos. 2, 4, 5 and 11 to 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 8, 10 से 30, 32 से 43, 45 से 63 और 65 से 148	Unstarred Questions Nos. 1 to 8, 10 to 30, 32 to 43, 45 to 63 and 65 to 148	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	92—99
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	99—106
खाद्यान्नों, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के समाचार	Reported rise in prices of food-grains, sugar and other essential commodities.	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta	99—102
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	99—101
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	102—103
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	103—104
श्री एम० कल्याणसुन्द्रम	Shri M. Kalyanasundaram	104
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	104—105
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	105
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	Resignations by Members	106
श्री काले	Sarvashri Kale and	106
श्री ए० एस० कस्तूरे	A. S. Kastura	106

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on thc floor of the House by him.

देश बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Flood situation in the country	106—111
श्री केदार नाथ सिंह	Shri Kidar Nath Singh	
सरकारी विधेयक पुर:स्थापित	Bills Introduced	
(1) राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक	(1) President's Pension (Amendment) Bill	112
(2) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक	(2) Maintenance of Internal Security (Second Amendment) Bill	112—113
(3) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक	(3) Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Second Amendment) Bill	114
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के बारे में विवरण	Statement Re. Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1976	114
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy .	114
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के बारे में विवरण	Statement re. conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Ordinance, 1976 .	114
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	114
राष्ट्रीय बाल नीति सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion Re. National Policy for Children	115—124
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	115—116
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman	116—117
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	117
सरदार स्वर्णसिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	117—118
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	118
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	119
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	119
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	119—120
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	120
श्री नाथूराम आहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	120
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	120
श्री जम्बुवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote	120—121
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	121
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	121
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	122
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	122
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	122
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	122—123
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	123
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shanker Dayal Singh	123
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	123—124
प्रो० नरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	124

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइत, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुड़ी)
उलगनवीं, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री, एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामगऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, (श्री मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोन्नाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)

कृष्णन, श्रीमती पार्वईती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्ण कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबेरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती, एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बदवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम , श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)

जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री घाटमपुर
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तिवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसैन, श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमतीरोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्रीबक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाढ़मेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडेचेरि)
पटनायक, श्री जे० वी० (कटक)

पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरुविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ंढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेंलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमि)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरुआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बदल, श्री गुरदास सिंह (फ़ाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चितम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री वी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिर्रयिकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)

राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (अोंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शकर देव, श्री (वीदर)
शकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफकत जंग, (श्री कराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्म, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)

शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्बतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेथूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर, (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र, नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरु)
सैकेरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मूलकीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेशवर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, (श्री पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्रोम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हूडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री बी० ग्रार० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा ग्राजाद
श्री इसहाक सम्भली
श्री वसन्त साठे
श्री सी० एम० स्टीफन
श्री जी० विश्वनाथन्
श्री पी० पार्थासारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रीमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मन्त्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लो
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर क़ासिम

मन्त्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मन्त्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नरुल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मन्त्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप मन्त्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री देवव्रत बरूआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री	श्री सिद्देश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 10 अगस्त, 1976/19 श्रावण, 1898 (शक)

Tuesday, August 10, 1976/Sravana 19, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हम आज लगभग 2 1/2 महीने के अन्तराल के बाद एकत्र हो रहे हैं। मुझे सभा को तीन भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना देनी है।

श्री पी० कुन्हीरामन संविधान सभा और अस्थायी के 1946—52 के दौरान सदस्य थे। वह एक विख्यात वकील थे। उन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और 1942 में जेल गये। एक सामाजिक कार्यकर्त्ता और कार्मिक संघों के कार्यकर्त्ता के रूप में वह अनेक शिक्षा संस्थाओं और मजदूर संघों से सम्बद्ध थे। उन्होंने तेलीचेरी के स्थानीय मसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनकी तेलीचेरी में 18 जून, 1976 को 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गयी।

डा० रामस्वामी मुदालियर एक विख्यात प्रशासक, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद तथा उद्योगपति थे। भारत में तथा विदेशों में जीवन के उन सभी क्षेत्रों में जिनसे वे सम्बद्ध थे उनका प्रमुख स्थान था। वह लम्बे समय तक संसद से सम्बद्ध रहे। पहली बार वह 1921 में मद्रास विधान परिषद् के लिये चुने गये थे और 1926 तक वहां के सदस्य रहे। बाद में वह 1930 में काउंसिल ऑफ स्टेट, 1930—34 और 1939—47 में केन्द्रीय विधान सभा और 1947-48 संविधान सभा के सदस्य रहे। 1952 से 1962 तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे। वह बहुमुखी योग्यता वाले व्यक्ति थे। वह भूतपूर्व मैसूर रियासत के 1946—49 के दौरान दीवान थे। वह वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद् के संस्थापक-अध्यक्ष थे। सन् 1951—58 के दौरान वह ट्रावनकौर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। वह पहले भारतीय थे जो 1942-43 में इम्पीरियल वार कौंसिल के सदस्य नियुक्त किये गये। गवर्नर जनरल की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के वह 1943 से 1946 तक सप्लाई मेम्बर थे। जिस भी कार्यक्षेत्र में उन्होंने कार्य किया उसे उन्होंने बड़ी कुशलता और योग्यता से पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने अनेक हैसियतों में कार्य किया। उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। उनकी नाना प्रकार की सेवाओं के लिये 1970 में

M569LSS/76

उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। 89 वर्ष की आयु में 17 जुलाई, 1976 को मद्रास में उनका निधन हुआ।

श्री टी० नागी रेड्डी 1957 में द्वितीय लोक सभा के लिये आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। पहले 1952 से 57 तक वह मद्रास संविधान के सदस्य थे और विधान मंडल साम्यवादी दल के नेता थे। आंध्र विधान मंडल में वह प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। हैदराबाद में 28 जुलाई, 1976 को उनकी मृत्यु हुई।

हम इन साथियों की मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

अब सदस्यगण अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिये कुछ समय मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े हुए।

The Members then stood in silence for a short while.

मन्त्री का परिचय
INTRODUCTION OF MINISTER

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे सभा को अपने नये साथी श्री सैयद मीर कासिम, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री, का परिचय कराते हुए बहुत प्रसन्नता है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आयल इण्डिया लिमिटेड का सरकारीकरण

*1. **श्री पी० गंगा रेड्डी**
श्री भान सिंह भौरा } : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयल इण्डिया लिमिटेड को पूरी तरह अपने अधिकार में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अंशधारियों को कितना मुआवजा दिया जायेगा?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) आयल इण्डिया लि० पर प्रभावी नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है।

श्री पी० गंगा रेड्डी : बातचीत की प्रगति क्या है और निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यही कह सकता हूं कि बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत चल रही है। आयल इंडिया को वह एक साझीदार है। हम इस बारे में शीघ्र निर्णय कर लेंगे।

श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या हमारे लिये यह ठीक नहीं होगा कि हम उन्हें साझीदार बनाकर उनके अनुभव और प्रौद्योगिकी का लाभ उठायें?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने पहले ही कह दिया है कि हम आयल इंडिया लिमिटेड पर प्रभावी नियन्त्रण प्राप्त करना चाहते हैं और फिलहाल यह काफी है।

श्री बी० एस० भौरा : आयल इंडिया लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने वाली एजेन्सी का दर्जा क्या होगा? क्या यह एक अन्य उपक्रम होगा अथवा यह तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन होगा?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में सरकार अभी कुछ नहीं कह सकती।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं 'प्रभावी नियन्त्रण' का अर्थ जानना चाहता हूं। क्या आयल इंडिया में सरकार की अंशधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है या 49 प्रतिशत है? क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि आयल इंडिया के कुछ कर्मचारी बहुत अधिक वेतन और अन्य सुविधाएं ले रहे हैं। उनमें से 4 या 5 को प्रति वर्ष 4–5 लाख रुपये मिलते हैं।

श्री के० डी० मालवीय : इस समय हमारी साझेदारी पचास-पचास प्रतिशत की है, अर्थात हमारी स्थिति समान साझीदारों की है। इस स्थिति में आयल इंडिया लिमिटेड पर प्रभावी नियंत्रण की समस्या उत्पन्न होती है। प्रभावी नियन्त्रण अपने हाथ में लेने से हमारा अभिप्राय यह है कि जो कम्पनी बने वह तेल की खोज, और उत्पादन को ठीक प्रकार से कर सके और सरकार की नीति पर ठीक प्रकार से अमल हो सके।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह बात-चीत आसाम आयल कम्पनी से हो रही बात-चीत पर निर्भर करती है? क्योंकि बर्मा आयल कम्पनी का उस कम्पनी के साथ सम्बन्ध है।

श्री के० डी० मालवीय : बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत की जानी है ताकि इस पर प्रभावी नियन्त्रण हो सके और क्योंकि आसाम आयल कम्पनी का पूरी कम्पनी पर प्रभावी नियन्त्रण है इस लिए बर्मा आयल कम्पनी को बातचीत में शामिल किया जाना आवश्यक है।

रेलगाड़ियों में दुराचारी व्यक्तियों द्वारा विष दिए जाने के कारण हुई मौतें

*3. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों में, विशेषकर दक्षिण पूर्व रेलवे में, दुराचारी व्यक्तियों द्वारा विष दिये जाने के कारण गत एक वर्ष के दौरान कितनी मौतें हुई; और

(ख) ऐसे दुराचारी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

(a) Only one death of a passenger due to poisoning occurred on the South-Eastern Railway on 2-6-1976.

(b) (i) Registration and investigation of such cases is the responsibility of the State Governments which they discharge through the agency of the Government Railway Police by way of escorting passenger trains, investigating, cases and arresting/prosecuting criminals for specific offences.

(ii) Railways are, however, warning passengers through public announcements and notices exhibited in trains compartments, at stations and other installations—in English, Hindi and other regional languages—not to accept food or eatables from strangers during their journeys.

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों की रजिस्ट्रेशन तथा जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। वे इस कार्य को सरकारी रेलवे पुलिस के माध्यम से करती हैं। क्या मंत्री महोदय रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस द्वारा दुराचारी लोगों पर नियन्त्रण करने के कार्य से सन्तुष्ट हैं। ये लोग यात्रा करना असंभव बना रहे हैं। रेल यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Buta Singh : We do not say with confidence that we are satisfied with this. The hon. Minister of Railways has held discussions with Police Superintendents and Chief Ministers. The local police registers such cases and takes action. The Railway Protection Force has nothing to do with this.

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री ने कहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर विष से मृत्यु के कारण केवल एक घटना हुई है। क्या यह रेलवे स्टाफ की लापरवाही के कारण हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

Shri Buta Singh : A dead body of a passenger was found in a laterine at Khurda Road Station. Orissa Police has enquired into this and one man has been arrested. One person is absconding. Investigation are in progress. The state police will take penal action according to the result of the investigations.

Shi Shankar Dayal Singh : It is seen that the miscreants who indulge in such activities pose as gentlemen. Their real intentions are not known. I want to know the nature of poison used in the running trains by miscreants and type of people who indulge in such things. Further, I want to know whether Government will arrange for the posting of doctors in mail trains, so that they are available on the spot,

Shri Buta Singh : We have not yet reached the conclusion whether this case is one of suicide or not. The person arrested is a Sheikh. Whether he was incognito is not definite. The deceased person was a Pandit.

Shri M. C. Daga : The real question is that the miscreants go scot-free because there is no coordination between the R.P. F. and the state Police. Both of them evade their responsibility. I want to know when coordination will be established between these two. What is Government's reaction in this regard ?

Shri Buta Singh : There is coordination between the R.P.F. and the G.R.P. The Railway Minister has held consultations with the Chief Ministers in this regard.

Appointment of Sons of Loyal Railway Employees (North Eastern Railway)

†*6. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of loyal employees whose sons had submitted their applications for appointment in North Eastern Railway before March, 1976;

(b) the number of those appointed in the said Railway indicating the Division-wise break-up of the appointments made;

(c) whether these appointments covered candidates belonging to Harijan, Scheduled Tribes and other backward classes; and

(d) if so, Division-wise number thereof ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) लगभग 9000 आवेदन ।

(ख) नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

इज़तनगर	252
लखनऊ	175
वाराणसी	82
समस्तीपुर	178
मुख्यालय	415
जोड़	1102

(ग) जी हां।

(घ)

	अनसूचित जाति	अनसूचित जन जाति
इज़्ज़तनगर	27	1
लखनऊ	20	–
वाराणसी	7	–
समस्तीपुर	21	–
मुख्यालय	44	–
जोड़	119	1

Shri G. P. Yadav : The Hon'ble Minister has stated that in all 9,000 applications were received for appointment to in N. E. Railways. But actually 1102 persons have been appointed. May I know the Criteria or the rules adopted for district-wise or division-wise appointments ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It was provided in the rules that out of the total vacancies in a zone 20 per cent will go to the sons/daughters of the loyal employees. This rule was applicable in all divisions. Under this rule 1102 posts in N.E. Railway have been filled.

Shri G. P. Yadav : Many railway employees were abused and beaten during the strike but their sons have not been provided with employment. On the other hand officers have appointed their own persons. Similarly scheduled castes & scheduled tribes have not been given their due share. Only 119 persons of scheduled castes and 1 person of scheduled tribes have been given employment. In Samastipur Sub-Division Deputy D.S.O. is all in all. He appoints persons according to his sweet will. This fact that a worker was loyal or not did not carry weight with him. I can cite the example of one Krishana Kumari whose father is not with the Railways. Such illegal appointments are not a rare case. There is great resentment among the loyal workers on this account. An assistant Station Master at Dinapur is also indulging in similar activities.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Four types of concessions were allowed to the persons who proved loyal to the organisation during the strike in 1974. They can choose any one of them—cash awards, extension of service, increment or employment for their children. However, it is not possible to provide employment to the sons of all the employees. It has been alleged many times in the Parliament that certain officers have appointed their own sons to various class III & Class IV posts. On investigation it has been found that 13000 wards were given appointments. Among them 2,000 belong to scheduled castes and 500 to ......

Mr. Speaker : You are telling figures about the whole country. What about the N.E. Railways ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The total employment figure comes to 1102. Out of these 119 belong to scheduled castes and only 1 belong to the scheduled tribes. It has been provided that if the son of a person belonging to a scheduled tribe is not found suitable for appointment; his other relations should be considered for employment.

Shri Ramavtar Shastri : It has been reported in the Statement that 1102 sons and daughters of loyal railway employees were given jobs. May I know whether it has been as certained that they are actually sons/daughters of the employee or they are relatives of these loyal employees. May I know whether it is a fact that in the name of loyal employees the sons-daughters of Class I and Class II officers have been appointed. May I know whether sons or daughters of certain muslim employees also figure in 1102 appointments, if so, the number thereof and if not, the reasons therefor ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : In reply to the first question of the hon'ble member may reply is that the parents of the appointed employees have certified the bona find of their children.

Shri Ramavtar Shastri : I had asked if certain relatives of the employees have also been given employment because the rule says that only sons-daughters will be appointed.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There are only 200 cases where sons of class II officers, who have been promoted from Class III, have been appointed. So far the minorities are concerned 131 employees belong to Muslims and Christians. Out of these 34 and 97 persons were appointed to Class III and Class IV posts respectively.

Shri D. N. Tiwari : The Railway Ministry had raised high hopes that the sons of all the loyal railway employees will be given employment or other benefits. But only 1 per cent of them have been covered. So there is great resentment among the employees on this account. More

over, two or three types of procedures have been adopted for appointments. Some of them have been directly appointed by the G.M. Others were appointed by the D.S. Some of the candidates have taken examinations and certain answer papers have been sent to the G.M. Therefore, I say that lot of bungling has taken place. The boys who secured high marks upto 600 or 700 have been denied employment whereas the persons with less marks have been appointed. Will the hon'ble Minister assure us that he will get the matter investigated ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : So far as the question of class III posts in N.E. Railway is concerned, the applications were received in the head quarters and were properly studied. A test was held for recruitment to Class IV posts. But if there is any specific case that a candidate was not given employment even though he secured high marks then I would certainly look into the matter.

Shri Bhagwat Jha Azad : On the basis of certain remarks made by the hon'ble Members I had suggested during the last session that a Committee be appointed to look into this matter. I have received several letters complaining that although he is a loyal worker yet his son has not been given employment. The fact is that lot of bungling has taken place at the G. M. and D.S. levels. I had received a letter from Shri Qureshi that about 300 sons-daughters have been appointed in Railways. May I know the number of relatives of railway employees who have been appointed to various posts ? Whether it is a fact that certain ad hoc appointments have been made in the name of loyal workers, if so, the number thereof and the reasons therefor ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The questions of loyal employees have been raised in the House many times and position has been clarified. I am prepared to look into any case of injustice done to any employee. The difficulty is that it is not possible to give employment to the sons of all employees but efforts have been made to cover the maximum number. It is true that certain ad hoc appointments have been made but they will be regularised only after their confirmation by the Railway Service Commission.

Shri Bhagwat Jha Azad : Why ad hoc appointments have been made ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is within their power.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि वफादार कर्मचारियों को कुछ लाभ दिये गये हैं। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि अन्य कर्मचारी वफादार नहीं। क्या केवल इन्हीं कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों को नौकरी दी गई है जिन्होंने हड़ताल तुड़वाने में सरकार का साथ दिया और उन्हें नियुक्त नहीं किया गया जिन्होंने परीक्षा अच्छे अंकों से पास की थी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वफादार कर्मचारियों की परिभाषा यह है कि उन्होंने देश को अव्यवस्था और गड़बड़ से बचाया और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भंग करने के लिए तैयार समाज-विरोधी तत्वों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों का अवैध रेल हड़ताल और तोड़-फोड़ में हाथ रहा है उनके लिए रेलवे में कोई स्थान नहीं।

कालटैक्स और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा उत्पादित कुकिंग गैस की एजेंसियां

***7. श्री के० सूर्य नारायण :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कालटैक्स इण्डिया, लिमिटेड, और मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा उत्पादित कुकिंग गैस की थोक एजेंसियां आरम्भ से ही देश की केवल दो या तीन कम्पनियों के एकाधिकार में हैं; और

(ख) यदि हां, तो थोक व्यापारी तेल-शोधक कारखानों से थोक में प्रति टन किस दर पर एल० पी० जी० उठाते हैं। थोक व्यापारी खुदरा एजेंटों को प्रति टन किस दर पर सिलैण्डर बेचते हैं तथा उपभोक्ता खुदरा एजेंटों को प्रति टन किस दर से अदा करते हैं।

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना युक्त एक विवरण पत्र सभापटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) मैसर्स कालटैक्स आंशिक रूप में अपने द्वारा नियुक्त वितरकों के माध्यम से तथा आंशिक रूप में दो अन्य मुख्य रियायत प्राप्त व्यक्तियों के माध्यम से खाना पकाने की गैस को बेचता है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन खाने पकाने की गैस के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्षतः छोटी मात्रा को छोड़कर अपने उत्पादन को दो मुख्य वितरकों के माध्यम से बेचता है।

(ख) विपणक कंपनी रिफाइनरी से (बम्बई में) 1221.96 रुपये प्रति टन की दर से घरेलू ईंधन गैस को उठाती है। (इसमें 250 रुपये प्रतिटन की दर से उत्पाद शुल्क भी शामिल है)। इसके अतिरिक्त शोधनशाला अधिक भराने के लिए 30 रुपये प्रति मी० टन तथा सिलैण्डरों के भरने के लिए 80 रुपया प्रति मी० टन जो भी स्थिति हो, वसूल करती है।

बंबई पर तेल विपणन कंपनी के भण्डार केन्द्र के बाहर मूल उच्चतम बिक्री मूल्य 1482.65 रुपये प्रति मी० टन है। इसमें विपणन एवं लाभ के लिए 180.69 रुपये प्रति टन सम्मिलित हैं। इसे विपणन कंपनी तथा थोक एजेंट जैसे कोसन गैस प्रत्येक द्वारा व्यवस्थित सुविधाओं के अनुसार के बीच बांटा जाता है।

परिवहन खर्च तथा फुटकर बिक्रेता की कमीशन के रूप में 3.37 रु० प्रति सिलैण्डर (चाहे आकार कुछ भी हो) को शामिल करते हुए बंबई में 14.2 कि० ग्रा० के सिलैण्डर का फुटकर बिक्री मूल्य 25.33 रुपये हैं (इसमें बिक्री कर शामिल नहीं है) इससे प्रति मी० टन मूल्य 1784 रुपया निकलता है।

प्रत्येक पार्टी द्वारा व्यवस्थित सेवाओं एवं सुविधाओं के अनुसार प्रति सिलैण्डर 3.37 रुपये के फुटकर बिक्रेता के लाभ को वितरकों, एजेंटों एवं छोटे एजेंटों द्वारा बांटा जाता है।

श्री के० सूर्यनारायण : विवरण में कहा गया है कि विपणक कम्पनी 1221.96 की दर से जिसमें उत्पाद शुल्क भी शामिल है, घरेलू ईंधन गैस को उठाती है। वह 1482.65 रुपये की दर से बेच रहे हैं और इसका उपभोक्ता मूल्य 1784 रुपये प्रति एम० टी० है। थोक विक्रेता का मुनाफा बहुत अधिक है और छोटे नगरों में वे छोटे व्यापारियों को इस क्षेत्र में नहीं आने देते और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई भी नहीं करते। या तो रिफाइनरी में वितरण प्रणाली में कहीं दोष है जिसके फलस्वरूप गैस की कमी है। आन्ध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई हो रही है। सरकार की नीति तो यह है कि ऐसी सभी वस्तुओं के व्यापार में बिचौलियों को हटाना है। क्या पैट्रोल की भांति सरकार इस मुनाफे को कम करने का प्रयत्न नहीं करेगी। खाना बनाने की गैस बेचने के लिए कोई विशेष दक्षता नहीं चाहिये। क्या सरकार हिन्दुस्तान पैट्रोलियम और कालटैक्स के एकाधिकार को बनाये रखेगी। खाना बनाने की गैस अति जरूरी उपभोक्ता वस्तु है। यह मेरा एक अनपूरक प्रश्न है। मेरी जानकारी के अनुसार बर्मा शैल तथा अन्य कम्पनियां प्रति टन 3.37 रुपये की छूट दे रही हैं जबकि यह कम्पनी आन्ध्र प्रदेश में केवल 2.25 रुपये प्रति टन की छूट दे रही है। लेकिन विवरण में कहा गया है कि समूचे देश में 3.37 रुपये की छूट दी जा रही है। यह बात गलत है।

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्यतः कालटैक्स और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी से सम्बन्धित है। कालटैक्स के साथ वार्ता चल रही है। क्योंकि रिफाइनरियां और एल० पी० जी० का वितरण उन्हीं के प्रबन्ध और नियंत्रण में चल रहा है। जैसे ही कालटैक्स और भारत सरकार के बीच कोई समझौता हो जायेगा, मुझे विश्वास है कि समूची वितरण व्यस्वस्था में सुधार हो जायेगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बिचौलियों को व्यापार से हटा दिया जाये। इस मामले में बहुत जटिलताएं हैं।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी पहले एस्सो आयल कम्पनी थी। उनका सभी उत्पादन सम्बन्धी कार्य दो कम्पनियां बुटाने गैस और जे० के० गैस, श्रीनगर सम्भालती थी। वे अपनी गैस की कुछ मात्रा औद्योगिक उपभोक्ताओं को सीधे भी बेचती हैं।

कोसान कम्पनी और एस्सो के बीच हुआ समझौता सितम्बर, 1977 में समाप्त हो रहा है। इसी तरह, जे० के० गैस के साथ हुआ समझौता 1978 में समाप्त होगा। अतः ऐस्सो के साथ हुए ये दोनों समझौते 1977-78 में समाप्त हो जायेंगे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या हम मुआवजा देकर इन्हें अपने हाथ में ले सकते हैं या जहां तक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का सम्बन्ध है, आई० ओ० सी० भारत रिफाइनरीज, एच० पी० सी०, और कालटैक्स को अपने हाथों में लेने पर उनके साथ कोई संशोधित समझौता कर सकते हैं ताकि हम एल० पी० जी० के वितरण पर निगरानी रख सकें।

श्री के० सूर्यनारायण : जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, इस कम्पनी के फुटकर व्यापारियों ने एक ज्ञापन दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस ज्ञापन पर उठाए गये मुद्दे क्या हैं और सरकार ने उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य प्रश्न काल में ज्ञापन का ब्यौरा नहीं पूछ सकते।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ या सहकारी क्षेत्र में किसी ऐसे संगठन को फुटकर वितरण एजेन्सियां देने पर विचार करेंगे?

श्री के० डी० मालवीय : जैसे ही प्राइवेट तेल कम्पनियों द्वारा नियंत्रित की जा रही वितरण प्रणाली को अपने हाथों में ले लिया जायेगा या उस पर प्रभावी नियंत्रण हो जायेगा, हम सहकारी वितरण प्रणाली को अवश्य तरजीह देगें। परन्तु सहकारी समितियों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इसमें तकनीकी समस्याएं निहित हैं और उन्हें उस दर्जे तक आना होगा ताकि हम उन्हें यह काम सौंप सकें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि प्रत्येक मीटरी टन के पीछे कम्पनी 180 रु० लाभ कमा रही है। उनके द्वारा कमाये जाने वाले लाभ की कुल राशि क्या है? क्या मंत्रालय ने उनके तुलनपत्र का अध्ययन किया है?

श्री के० डी० मालवीय : प्रत्येक मीटरी टन के पीछे कमाये जाने वाले लाभ की राशि 263.69 रु० है। आई० ओ० सी० और बी० आर० एल० के मामले में, जो सरकारी क्षेत्र के वितरण यूनिट हैं, यह लाभ उन्हें पूरा मिलता है क्योंकि उनके मध्यवर्ती एजेन्सियों की संख्या अधिक नहीं होती। एच० पी० सी० और कालटैक्स को बिक्री और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः उन्हें अन्य विपणन एजेन्सियां ढूंढनी पड़ती हैं और उन्हें 216.69 रुपये की यह कमीशन इन लोगों में बांटनी पड़ती है। फुटकर वितरण के लिये प्रति सिलैन्डर 3.37 रुपये की कमीशन एजेन्ट और उप-एजेन्ट द्वारा बांटी जाती है। अतः रिफाइनरीज और उप-एजेन्ट के बीच तीन या चार मध्यवर्ती एजेन्सियां होती हैं। कुछ की तकनीकी समस्याएं होती है, कुछ की लदान और पुनः लदान की समस्याएं होती हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूं।

श्री रामसहाय पाण्डेय : जहां तक घरेलू गैस के वितरण का सम्बन्ध है, यह प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अड़चन के उपलब्ध कराई जानी चाहिये। अब समय है कि इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाये और सभी बाधाओं को दूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस सुझाव पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

Appeals of Railway Employees of May, 1974 Strike

†*8. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to reinstate some of the railway employees for their participation in the strike of May, 1974 and have rejected their appeals; and

(b) the reasons for not reinstating them ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं। नौकरी से हटाने/बर्खास्तगी के उन सभी मामलों पर नये सिरे से विचार करने के आदेश दे दिये गये हैं जिनमें रेलवे बोर्ड द्वारा अपीलें रद्द कर दी गयी हैं बशर्ते :

(1) वे तोड़-फोड़ या हिंसा के अपराधी न पाये गये हों, और

(2) कोई मामला अदालत में निर्णयाधीन न हो।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know the total number of employees, who have not been reinstated and the number out of them, against whom there are charges of violence and sabotage.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : 16807 persons were removed from service out of which 16147 persons have been reinstated. Out of remaining 714 employees, 442 employees have filed cases against us in the court. Appeals of 155 employees have been rejected and appeals of 114 persons are still under consideration.

Shri Ramavatar Shastri : I wanted to know the number of persons against whom there are charges of violence and sabotage.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have given the total figures. The number of persons against whom there are charges of violence and sabotage will not help him in any way.

Shri Ramavatar Shastri : What is the number of employees, who have been acquited by the courts or who have themselves withdrawn their cases and what are the reasons for not re-instating them so far ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We have given the figures regarding the cases filed against us. None out of them has withdrawn his case. But we have decided to take sympathetic view if any employee withdraw his case.

Shri S. M. Bannerjee : May I know whether the hon. Minister is willing to take these cases into his own hands from the General Managers ?

Shri Kamlapati Tripathi : We are not going to reinstate those employees, who are still under your influence and can create trouble.

श्री वसन्त साठे : बम्बई में 15-5-74 को कुछ कर्मचारी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित थे। वे हड़ताल पर नहीं थे। रेलवे में कतिपय राजनीतिक शक्तियों ने बम्बई बन्द का आह्वान किया था अतः रेलवे ने 14-5-74 को घोषणा की थी कि 15-5-74 को गाड़िया नहीं चलेंगी। अतः 15-5-74 को कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो सके। आपने उन कर्मचारियों को 15-5-74 को हड़ताल पर मान लिया है। यहां तक कि 14-5-74 को उपस्थित होने वाले कर्मचारी भी 15-5-74 को अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच सके। ऐसे कर्मचारियों को हड़ताल पर माना गया है। उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी गई जिसका परिणाम यह हुआ है कि उनकी सेवा में इससे बाधा पैदा हो गई। न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गईं। क्या ऐसे मामलों पर विचार करेंगे और उन कर्मचारियों के प्रति न्याय करेंगे।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि पहले सभा में बताया गया है कि जिन कर्मचारियों के मामले न्यायालय में पड़े हैं उन्हें छोड़कर शेष रेल कर्मचारियों की सेवा-बाधा को समाप्त किया गया है। ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें कर्मचारी हड़तालियों द्वारा डराये-धमकाने पर काम पर नहीं आ सके। इन मामलों पर विचार किया जा रहा है। उन कर्मचारियों के मामलों में कोई सेवा-बाधा

नहीं हुई है जो यह सिद्ध कर सकते हैं कि उन्हें काम पर आने से रोका गया था या वे वास्तव में छुट्टी पर थे।

श्री वसन्त साठे : इस मामले में रेलवे ने 14-5-74 को घोषणा की थी कि 15-5-74 को गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसी कारण से कर्मचारी अपने कार्यालय नहीं पहुंच सके। आप इसमें कैसे अन्तर कर सकते हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यदि रेलवे प्रशासन ने उस तारीख को यह बात कही थी और कर्मचारी अपने काम पर नहीं पहुंच सके तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं माननीय मंत्री से विभिन्न रेलों जैसे दक्षिण-पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे आदि के बारे में अलग-अलग आंकड़े जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को ये आंकड़े बाद में दूंगा।

Shri R. P. Yadav : The hon. Minister has repeatedly stated that the employees, who had not indulged in activities of violence, sabotage and intimidation, will be reinstated. I want to know whether all such employees have been reinstated ? I have referred many such cases to the hon. Minister but no action has been taken due to interference by high officers. May I know whether the hon. Minister will give any date by which all those employees, against whom there is no charge of intimidation, or sabotage or who have submitted applications will be reinstated ?

Shri Kamlapati Tripathi : We are taking back all such employees but there are some persons against whom there may not be any charge of sabotage or violence, but they indulged in activities of intimidation previously. We are not taking them back.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे पास नेशनल कोंउसिल, जे० सी० एम० स्टाफ के सेक्रेटरी के नाम श्री एन० कृष्णामूर्ति, सचिव, रेलवे बोर्ड, के दिनांक 4 जून, के पत्र की एक प्रति है। उन्होंने उसमें कुछ आंकड़े दिये हैं। उनके द्वारा दिये गये तथा श्री कुरेशी द्वारा दिये गये आंकड़ों में कुछ अन्तर है। उनका कहना है कि 199 अपीलें रद्द कर दी गई हैं और 105 अपीलें विचाराधीन हैं। मूल प्रश्न के उत्तर से क्या मैं यह समझ सकता हूं कि रद्द की गई और विचाराधीन अपीलों पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

श्री कृष्णामूर्ति के पत्र में बताया गया है कि उन कर्मचारियों की संख्या 522 है, जिनके विरुद्ध न्यायालय/पुलिस केस विचाराधीन हैं। परन्तु मंत्री महोदय का कहना है कि कोई कोर्ट केस नहीं है। ये ऐसे मामले नहीं है जिनमें दाण्डिक आरोप निहित हैं। दाण्डिक आरोपों वाले मामलों की संख्या 397 है और दूसरी श्रेणी वह है जिसमें दाण्डिक आरोप निहित नहीं हैं। श्री कृष्णामूर्ति का कहना है कि दूसरी प्रकार के मामलों की संख्या 522 है। मैं जानना चाहता हूं कि ये मामले कितने समय तक चलते रहेंगे और क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि इनमें से अधिकाधिक मामले वापस लिये जायें। इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में पहले ही बताया है कि अपीलों पर विचार किया जा रहा है और जो मामले उचित नहीं समझे जायेंगे उनकी वापसी प्रशासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

माननीय सदस्य ने बताया है कि 199 अपीलें रद्द की गई हैं। यह सच हो सकता है। अपील के मामले एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाते हैं। कर्मचारी को तीन स्टेजों में अपील करने का अधिकार है स्थानीय से जोनल स्तर पर, जोनल से केन्द्रीय स्तर पर और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति तक। अतः मामलों की संख्या समय समय पर बदल सकती है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें रेल कर्मचारी किसी विशेष दिन किसी अन्य हड़ताल या राज्य में किसी प्रकार की घटना के कारण ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके। उदाहरण के तौर पर आसाम में रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि उस दिन छात्रों की हड़ताल चल रही थी। उसके बाद इन्हीं लोगों ने, जो उस दिन ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके थे, रेल प्रशासन की रेल सेवा चालू रखने में मदद की। अतः इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये मंत्री महोदय के इस आश्वासन के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कि इसे सेवा-बाधा नहीं माना जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने महाप्रबन्धकों को निदेश भेजे हैं और यदि हां, तो क्या महाप्रबन्धकों ने उस सेवा-बाधा को समाप्त किया है और यदि नहीं, तो क्या मामले पर उनके साथ बातचीत की जायेगी ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : लगभग ऐसे सभी मामलों में, जिनमें कर्मचारी कतिपय अन्य बाधा के कारण काम पर नहीं पहुंच सके, सेवा बाधा समाप्त की जा रही है और उन्हें उस विशेष दिन के लिए छुट्टी पर माना जा रहा है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें कर्मचारी हड़ताल के पहले और दूसरे दिन काम पर आये परन्तु तीसरे तीन नहीं आ सके और फिर और दो दिन तक अनुपस्थित रहे। इन मामलों पर भी विचार किया जा रहा है और उन्हें रियायत दी जा रही है। उन्हें उन दिनों छुट्टी पर माना जायेगा।

श्री समर मुखर्जी : मुझे पता चला है कि बहुत से कोर्ट केस कर्मचारियों के हक में गयें हैं परन्तु इन सभी कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन सभी कर्मचारियों को, जिनके हक में कोर्ट के निर्णय हुए हैं, अपनी नौकरी में वापस लिया गया है या नहीं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : उन मामलों को छोड़कर जिनमें रेलवे ने निचली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की है, अन्य लोगों को वापस ले लिया गया है।

गहरी महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में तेल

***9. मौलाना इसहाक सम्भली**
श्री एस० एम० बनर्जी } : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहरी महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में भारत के सबसे बड़े तटदूर क्षेत्र में तेल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) बाम्बे हाई के दक्षिण पश्चिम में गहन महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र में संरचना पर खोदे गये कुंए से तेल प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। इनकी तेल क्षमता को निश्चित करने के लिए अतिरिक्त कुओं को व्यधन करने का विचार है।

Shri Ishaque Sambhali : The Government and particularly the hon. Minister deserves congratulations for making efforts in regard to exploration of oil. Commendable progress has been made since he took charge of this Ministry. Regarding results coming out of the exploration of oil, I would like to know which companies are working in this direction and the amount of compensation being given to the Company working on Bombay High. May I know as what are the oil pottentialities in near future and how much Compensation would be given to these Companies ?

Shri K. D. Malaviya : We are not collaborating with any company for exploration of oil. We have invited certain contractors who bring with them vessel and drills and take many money according to their daily work. We have hired three vessels and one of them belongs to Oil and Natural Gas Commission. We shall try to hire more vessels, if necessary. After the work is completed we shall ask them to go .

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री का वक्तव्य सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । लेकिन समाचार पत्रों में कुछ आशंका व्यक्त की गई है:

"फिर भी, बंगाल, उड़ीसा, कच्छ तथा कावेरी के बेसिनों से, जहां तेल की खुदाई करने वाली विदेशी कम्पनियों को तेल की खोज और उत्पादन में भागीदार का ठेका मिला था कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है" ।

I would like to know whether efforts are being made for exploration of oil in the above stated areas and whether we have not been successful in this regard ?

Shri K. D. Malaviya : Two companies—'Nautomos' in Bay of Bengal and 'Reading and Baits' in Kutch are doing exploration work. Each company has drilled well but neither oil nor Gas could be found. But there are potentialities of oil in this area. They have not yet decided to abandon their efforts. After the rainy season is over, these companies will decide whether or not wells should be drilled. In case, these companies do not want to continue their drilling operations, then O.N.G.C. and the Ministry will consider how the work has got to be done because O.N.G.C. is of the opinion that we should not abandon our efforts for exploration of oil.

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या यह सच है कि तीन वर्ष पूर्व तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की समिति ने बिहार-बंगाल तथा सुन्दरवन के सीमा क्षेत्र के साथ लगे पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी 24-परगना जिले के शिवनाथपुर क्षेत्र के निकट तेल का पता लगाया था और तेल की खुदाई के बारे में समिति के सदस्यों में मतभेद था ? क्या यह भी सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल में बिहार-बंगाल सीमा पर तेल की खुदाई करने के बाद पर्याप्त उपकरणों के न होने के कारण तेल की और खुदाई करने में असमर्थता प्रकट की थी । उन्होंने वर्षा ऋतु से पूर्व ही यह सूचना दे दी थी लेकिन अभी तक उन्हें उपकरण नहीं दिए गए ।

श्री के० डी० मालवीय : यह सच है कि गहरी खुदाई के लिए जिन बरमों की आवश्यकता पड़ती है, वे बरमे हमारे पास नहीं पहुंचे हैं और आशा है कि कुछ महीनों के अन्दर हमें बरमे मिल जाएंगे । ये बरमे हमें बाहर से मंगवाने हैं । हमारे यहां बरमे उपलब्ध नहीं है । इसके लिए हमें बातचीत करनी पड़ती है ।

जहां तक पूरे जोन में इस क्षेत्र या किसी क्षेत्र में भूगर्भीय सम्भावनाओं का प्रश्न है, इसके बारे में भूवैज्ञानिकों के अलग-अलग विचार हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अलग-अलग विचार हैं । दोनों एक दूसरे की सलाह लेते हैं और उसके बाद निर्णय करते हैं । इस कार्य पर काफी खर्च आता है । इसलिए हम एकदम निर्णय नहीं लेते हैं ।

हालांकि कई बार एक क्षेत्र में तेल नहीं मिलता, फिर भी हम उस क्षेत्र का त्याग नहीं करते। असफलता के कई दशकों बाद हमें तेल तथा गैस मिलती है।

यह क्षेत्र न केवल सुन्दरवन तक बल्कि दक्षिण तक भी फैला हुआ है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कार्यक्रम को व्यापक रूप देने के लिए प्रस्तावों को रूप देने हेतु कार्यवाही करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों तथा अपने सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।

श्री बी० वी० नायक : हमें तेल की खुदाई के लिए काफी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है इस बात को तथा बम्बई हाई और बेसिन क्षेत्र में अपार तेल भण्डारों के विद्यमान होने को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के लिए निकट भविष्य में प्रौद्योगिक में आत्म निर्भर होना सम्भव है क्योंकि तट दूर क्षेत्रों में तेल की खुदाई में प्रौद्योगिकी ही हमारी सबसे बड़ी बाधा रही है। अथवा क्या हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित देशों को साथ ठेके देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे? इसके अतिरिक्त, क्या हमारे पास विकल्प हैं? यदि हां, तो हम आत्म निर्भरता के बारे में क्या कर रहे हैं? यदि नहीं तो पश्चिमी क्षेत्र में तेल की सम्भाव्यता के लिए ठेके देने के बारे में हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक तटदूर खुदाई करने के लिए काम आने वाले जहाजों के लिए लोहे के उपकरणों का सम्बन्ध है, मुझे आशंका है कि हमें तकनीक बनाने तथा पुर्जे बनाने के लिए हमें कुछ समय और लगेगा। इसके लिए हमें कुछ अरसे तक दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मजगांव डॉक ने यह जिम्मेदारी ली है कि तेल क्षेत्रों का पता लगाने के बाद तटदूर खुदाई के लिए वह आवश्यक प्लेटफार्मों का निर्माण करेगी। हम तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए अपेक्षित जानकारी को एकत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि अगले तीन से पांच वर्षों में हम तट दूर खुदाई के मामले में अपनी तकनीक बना सकेंगे।

सोवियत संघ द्वारा तेल उत्पादों की सप्लाई

*10. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस वर्ष 1976 में भारत को 13 लाख टन तेल उत्पाद देने को सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सप्लाई की क्या शर्तें हैं?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० ने सोवियत (रूस) निर्यात एजेंसी के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत 800,000 मीटरी टन मिट्टी के तेल और 500,000 मीटरी टन हाई स्पीड डीजिल, इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा केलैंडर वर्ष 1976 के दौरान निर्यात किए जाने हैं।

(ख) यह सूचना बताना जनहित में नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं विषय के विस्तार में न जाकर केवल एक बात पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अदायगी रुपयों में की जाएगी और यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा बचेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इससे काफी विदेशी मुद्रा बचेगी। भारत तथा सोवियत संघ के बीच एक करार हुआ है और इस करार के अन्तर्गत वस्तुओं का आदान-प्रदान रुपयों में किया जाता है और इससे काफी विदेशी मुद्रा बचती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात राज्य में तेल के लिए सर्वेक्षण

*2. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में तेल का पता लगाने के लिये वर्ष 1975-76 के दौरान कोई नया सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या यह सर्वेक्षण पूर्णतया भारत ने ही किया था अथवा किन्हीं अन्य देशों के साथ सहयोग करके किया गया था।

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त किये गये आंकड़ों की जांच तथा अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) यह कार्य सम्पूर्ण रूप में भारत द्वारा किया गया

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा औषधों के पूल किए गए मूल्य निर्धारित किया जाना

*4. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा पूल किये गये मूल्य कितनी 'बल्क' औषधियों के लिए निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटिड पूलिंग व्यवस्था से बहुत धन कमा रहा है क्योंकि पूल किये गये मूल्य इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के घोषित मूल्यों पर निर्धारित किये गये थे तथा बाद में आयात की मात्रा में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स ने केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगाई गई बल्क औषधों के वितरण से गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितना लाभ कमाया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 6 प्रपुंज औषधों जो आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित की जाती है और आयात भी की जाती है के इस समय पूल्ड मूल्य चल रहा हैं।

(ख) और (ग) पूल्ड मूल्यों का निर्धारण आयात मूल्यों की औसत पर और स्वदेशी मूल्य जो दोनों बी० आई० सी० पी० द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, के आधार पर किया जाता है। यदि आयात और स्वदेशी उत्पादन में परिवर्तन के कारण कोई अधिशेष या घाटा रहता है तो ये आने वाली अवधि में समायोजित किये जाते हैं। 1974-75 और 1975-76 की अवधि के लिये आई० डी० पी० एल० ने समस्त पूल क्रिया पर 29 लाख रुपये का घाटा दिखाया है। चूंकि 1 अप्रैल, 1976 से 31 जुलाई, 1976 तक चार प्रपुंज औषधों पर एनलजिन, फानोवारवीटोन, एमीडोपीरोन और विटामिन बी० 2 की एकत्र क्रिया पर 27 लाख रुपये के अधिशेष का था। एनलजिन का मूल्य 175.02 प्रति किलो तथा फैनोंवारवीटोन का मूल्य 267.11 रुपये से घटा कर 172.81 प्रति किलो किया गया है।

मात्र बिक्री एजेंसी प्रणाली

***5. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी विधि बोर्ड ने 30 जून, 1976 को समाप्त हुए नौ महीनों की अवधि के दौरान मात्र बिक्री एजेंसी प्रणाली अपनाने के लिये कितने मामलों का पुर्नविलोकन किया ;

(ख) उन्होंने कितने मामलों में मात्र बिक्री एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी ; और

(ग) क्या कम्पनी विधि बोर्ड सभी उद्योगों में मात्र बिक्री एजेंसियों पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 160 मामले।

(ख) 104 मामले।

(ग) सभी उद्योगों में एकमात्र विक्रेता अभिकरण को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि कम्पनी विधि बोर्ड, अगर कोई विशेष उद्योग कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 कक की उप धारा (1) के अनुबंध की शर्तों की पूर्ति करता है, तो वह अधिसूचना को जारी करने के सम्बध में विचार करेगा।

बम्बई हाई से अशोधित तेल का उत्पादन

***11. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी } : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से अशोधिल तेल का नियमित उत्पादन इस बीच शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस समय प्रतिदिन औसत उपादन क्या है; और

(ग) इस अशोधित तेल का अब तक किन तेलशोधक कारखानों में शोधन किया गया है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) 21-5-1976 से। दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 10 हजार बैरल है।

(ग) भारत रिफाइनरीज लि० ट्राम्बे, बम्बई।

कालटेक्स कम्पनी का सरकारीकरण

*12. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी स्वामित्व वाली कालटैक्स कम्पनी की भारत में अस्तियों का सरकारीकरण करने के बारे में बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुआवजे की राशि के बारे में बातचीत ठप्प हो गई है?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) इस स्तर पर विचार विमर्श के कोई ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है।

एक्सन की इक्विटी पूंजी का अधिग्रहण

*13. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में अमरीकी कम्पनी एक्सन की शेष इक्विटी पूंजी को ले लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे को बताना जनहित में नहीं है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

*14. **श्री चन्द्रशेखर सिंह**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से एकाधिकार व प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय किया है क्योंकि उसने सरकार के विदेशी इक्विटी शेयरों को कम करने के निदेश का उल्लंघन किया है और वह प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं, दंडमुक्ति सहित करता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

तेल की खोज तथा उसका विकास कार्यक्रम

*15 **श्री भाऊ साहब धर्मनकर :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज तथा उसके विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और खोज उपकरण तथा टेक्नोलोजी का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) तट पर तथा तट से दूर तेल की खोज तथा विकास कार्यक्रमों के लिए योजना व्यय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) उठाए /उठाए जाने वाले विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) जहां कहीं भूगर्भीय आदि पर हैड्रोकारबान मिलने की संभावना है, भूमि पर और यथा संभव अपतटवर्ती में भारत के अधिकतर सभी तलछटी थालों में अन्वेषणी कार्य का विस्तार ;

(2) वर्तमान उत्पादन कुओं का अधिकतम उपयोग ;

(3) द्वितीय वसूली उपायों का अधिक प्रयोग ;

(4) भूगर्भीय और भूभोतकीय सेवाओं को वढ़ाने के अलावा अन्वेषणी और विकास खुदाई में वृद्धि ;

(5) पैट्रोलियम अन्वेषण संस्थान जो ओ० एन० जी० सी० का अनुसंधान और विकास खण्ड है उसने पांच प्रयोगों में पुन: संगठित किया है अर्थात् अन्वेषण अनुसंधान और विकास, थालों का अध्ययन, कम्पूटर सेवाएं, और इन्सट्रू मेन्टेशन। आयोग के पास उत्पादन सुविधाओं के प्रायोजना इंजीनियरी के लिए डिजाइन संस्थान भी है। अहमदाबाद में हौज अध्ययन संस्थान और देहरादून में व्यधन प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना के लिए कार्रवाई चल रही है।

(6) यथा संभव अशोधित तेल की अधिक से अधिक मात्रा के उत्पादन को ध्यान में रख कर बड़े अन्वेषण और विकास कार्यक्रम के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रमुख सामग्री निवेश के उत्पादन के लिए देशी क्षमताओं के विकास और पता लगाने के एक कार्यक्रम तैयार किया है ;

(7) निवेशों में आत्मनिर्भरता के प्राप्त करने के प्रयासों में आयोग ने स्वयं बड़ौदा में अपने केन्द्रीय कार्यशाला में 50 मी० टन की क्षमता के वर्क ओवर रिगों के उत्पादन के लिए कार्य करना हाथ में ले लिया है। कुछ प्रमुख उपस्कर जैसे कि व्याधन रिग, पम्प, चेंजिग, और भूकम्पीय कार्य और कुआं लागिंग उपस्कर के लिए अपेक्षित ड्रिल पाइप से स्मोग्राफ और अन्य उपस्कर के उत्पादन के लिए उन्होंने देशी क्षमताओं के विकास में सहायक सरकारी क्षेत्र उपक्रमों और गैर सरकारी उद्यमों को तैयार में सफलता प्राप्त की है, और

एस्सो मैनेजमेंट के साथ मुआवजे के बारे में बातचीत

*16. श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री एन० ई० होरो } : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार और विदेशी स्वामित्व वाली तेल कम्पनी एस्सो के बीच बातचीत किस स्थिति में है ;

(ख) क्या मुआवजे की शर्तों के बारे में एस्सो मैनेजमेंट की असहमति के कारण बातचीत लगभग खत्म हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) एस्सो (भारत में कम्पनियों के अधिग्रहण) अधिनियम 1974 द्वारा भारत सरकार, भूतपूर्व एस्सो और वर्तमान हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन में 74% साम्य पूंजी पहले ही ग्रहण कर चुकी है। सरकार शेष 26% साम्य पूंजी को भी ग्रहण करने पर विचार कर रही है और इस समय अन्य विवरण बताना जनहित में नहीं होगा ।

त्रिपुरा में तेल के छिद्रण-कार्यों में विलम्ब

***17. श्री बीरेन दत्त** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो रिगों तथा अन्य भारी सामग्री के ले जाने में विलम्ब होने के कारण त्रिपुरा में तेल के छिद्रण कार्यों में रुकावट आ गई है ;

(ख) यदि हां,. तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उन्हें शीघ्र ले जाये जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अहमदाबाद परियोजना में श्रम संघ की सदस्यता के बारे में प्रतिवेदन

***18. श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद परियोजना में श्रम संघ की सदस्य संख्या की जांच प्रतिवेदन तथा प्राकृतिक गैस आयोग को श्रम मंत्रालय से कब प्राप्त हुआ तथा किस बहुमत प्राप्त संघ को मान्यता देने की सिफारिश की गई है; और

(ख) क्या श्रम मंत्रालय की सिफारिश के अनुसरण में बहुमत प्राप्त संघ को ऐसी मान्यता दी गई है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ओ० एन० जी० सी० कर्मचारी यूनियन (आई० एन० टी० यू० सी०) अहमदाबाद को मान्यता देने हेतु सिफारिश करते हुए श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 4 जून, 1976 को प्राप्त हुई ।

(ख) जी हां ।

नामरूप उर्वरक संयंत्र का विस्तार

*19. **श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप उर्वरक संयन्त्र का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) लकवा और गेलेकी तेल क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की प्रायोजित उपलब्धता के आधार पर एफ० सी० आई० से कहा गया है कि उर्वरक प्रायोजना के लिए संभाव्य रिपोर्ट तैयार करें। संभाव्य रिपोर्ट एफ० सी० आई० द्वारा तैयार की जा रही है।

निर्धन व्यक्तियों को न्याय दिलाने के उपायों सम्बन्धी समिति

*20. **श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन व्यक्तियों को न्याय दिलाने के उपायों पर विचार करने के लिए न्यायाधीश पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) उस समिति के, जिसके अध्यक्ष श्री न्यायाधीश पी० एन० भगवती और सदस्य श्री न्यायाधीश वी० आर० कृष्ण अय्यर हैं, निर्देश पद निम्नलिखित हैं :—

(i) समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता और सलाह उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार करना ;

(ii) आर्थिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त ऐसे व्यक्तियों की उन कानूनी आवश्यकताओं का, जिनको पूरा करने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है, विस्तार और स्वरूप निर्धारित करना तथा उनको कानूनी सेवाएं प्रदान करने के सबसे अधिक कारगर तरीके तय करना ;

(iii) इस समय देश में कानूनी सहायता की जो स्कीमें चालू हैं उनके बारे में यह निर्धारित करना कि उनका क्या मूल्य है और वे कितनी कारगर हैं ;

(iv) सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक उपायों के कारगर क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक और गतिशील कानूनी सेवा कार्यक्रम बनाने और उसे लागू करने के लिए सिफारिशें करना जिसमें कानूनी सेवाओं के लिए स्कीम या स्कीमें तैयार करना भी शामिल है ;

(v) सभी राज्यों में समान आधार पर कानूनी सेवा कार्यक्रम तैयार करना ;

(vi) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना जिनमें उन उपायों की रूपरेखा हो, जिनसे विधि के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों के गैरपेशेवर और पेशेवर व्यक्तियों का उपयोग सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता है; और

(vii) ऐसे अन्य संबंधित प्रश्नों पर, जो केन्द्रीय सरकार उसे निर्देशित करे, सिफारिशें करना ।

पैट्रोल-विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि

1. श्री मोहिन्दर सिंह गिल
श्री भागीरथ भंवर } : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीज़ल तथा पैट्रोल की बिक्री पर कमीशन में वृद्धि करने हेतु कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या बढ़ा हुआ कमीशन उप-भोक्ताओं से वसूल करने का भी निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या इसके परिणाम स्वरूप तेल और डीजल के मूल्य बढ़ने की संभावना है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) आयल इण्डिया लि० पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिये विचार विमर्श चल रहा है ।

GUNA-MAKSI RAILWAY LINE IN MADHYA PRADESH

†2. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Guna-Maksi railway line in Madhya Pradesh is almost ready; and

(b) If so, when will the passenger trains start running on this line ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes. The line has been opened for goods traffic.

(b) Passenger trains are expected to be introduced by 30-11-1976.

क्विलोन-त्रिवेंद्रम मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज रेल लाइन में बदलना

3. श्री सी० जनार्दनन
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्विलोन-त्रिवेंद्रम मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज रेल लाइन में बदलने संबंधी कार्य किस अवस्था में है ;

(ख) इसे नियमित यातायात के लिए कब खोले जाने की आशा है ; और

(ग) इस लाइन पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और अब तक इस पर कितना वास्तविक व्यय किया जा चुका है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम आमान परिवर्तन परियोजना की कुल प्रगति 92% है ।

(ख) आशा है कि क्वीलोन-त्रिवेन्द्रम खण्ड को शीघ्र यातायात के लिए खोल दिया जायेगा ।

(ग) पूरी परियोजना की नवीनतम लागत लगभग 16 करोड़ (अनुमानत:) रुपये होगी 31-3-76 तक 12.2 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

विदेशी नियन्त्रण वाली औषध फर्मों द्वारा अर्जित लाभ तथा विदेश भेजी गयी धन राशि

4. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) फाइजर एण्ड कं० (2) ग्लेक्सो लेबोरेटरी, (3) एंगलों-फ्रेंच ड्रग हाउस; (4) पार्क डेविस एण्ड कं० तथा (5) सीबा एण्ड कं० की कुल वर्तमान प्रदत्त पूंजी कितनी है ; और

(ख) उक्त कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितना समग्र लाभ अर्जित किया गया और कुल कितनी धन राशि उन्होंने विदेश भेजी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स फाइजर (2) मैसर्स ग्लैक्सो (3) मसर्स एग्लो फ्रैंच (4) मैसर्स पार्के डेविस और (5) मैसर्स सीवा एण्ड कंपनी द्वारा अर्जित किया गया कुल लाभ और कुल वर्तमान प्रदत्त पूंजी और कुल भेजी गई रकम का वर्षवार ब्यौरा संलग्न है ।

क्रमांक	पार्टी का नाम	कुल वर्तमान प्रदत्त पूंजी लाख रुपयों में	1973	1974	1975	1973	1974	1975
				के दौरान कुल साथ (लाख रुपयों में)			के दौरान भेजी गई रकम लाख रुपयों में)	
1.	मैसर्स फाइजर लि०, बंबई	558.10	558	450	522	68.63	34.31 ×37.44	15.60 ×59.85
2.	मैसर्स ग्लैक्सो लेब लि० बंबई	799.82	286.49 (72/73)	324.85 (73/74)	357.73 (74/75)	107 (72–73)	33 (73/74)	91 (74/75)
3.	मैसर्स पार्के डेविस (इंडिया) बंबई लि०	210	154.84	144.69	192.50	22.75	--	—
4.	मैसर्स सी० बी० गेगी० आफ इंडिया बंबई	617.50	253.45	462.91	347.60	23.54	11.77	21.33
5.	मैसर्स एग्लो फेंच ड्रग्ज कं० (इंडिया) लि० बंबई	0.10	10.69 (1973–74)	2.22	4.34	0.59	0.59	0.59

*सरकार की स्वीकृति के पश्चात प्रेषित की जायेगी ।

** 1973—74 वर्ष के अन्त तक ।

केरल में उपरि पुल

5. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल में रेलवे को कुल कितने उपरि पुलों की मंजूरी दी गई;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) क्या इसमें वरकला का उपरि पुल शामिल है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ऊपरी निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं राज्य में किसी ऊपरी/ निचले सड़क पुल के निर्माण- कार्य को शुरु करने के लिए न तो राज्य सरकार की ओर से कोई निश्चित प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है और न ही, वर्तमान नियमों के अनुसार, उस

पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए उन्होंने कोई बचन दिया है। इसलिए पिछले तीन वर्षो के दौरान अर्थात् 1973-74 से 1975-76 तक किसी ऐसे पुल के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, वरकाला खास पर ऊपरी पुल रेलवे के कार्यक्रम में स्वीकृत कार्य नहीं है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि वरकाला से लगभग 1½ कि० मी की दूरी पर वरकाला और अकाठुमुरी स्टेशनों के बीच एक ऊपरीपुल निर्माणाधीन है। इस पुल का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में वरकाला में 786/13-14 किलोमीटर पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के बारे में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव मिला है। राज्य सरकार से अन्तिम रूप से निर्धारण प्रस्ताव, योजनाओं तथा अनुमानों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस के प्राप्त होने पर, रेलवे द्वारा इस कार्य को उनके निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु आगे कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

Ayurvedic Pharmaceutical Units

6. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) Whether Ayurvedic Pharmaceutical Units in India are working below their installed capacity;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to improve the situation ?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) There are large number of small Ayurvedic Pharmaceutical Units scattered all over the country as such information about their installed capacity and production is not maintained. However, quality control measures are exercised by the Ministry of Health and Family Planning.

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की बेंच

7. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की पृथक बेंच स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अभी तक, नहीं। आवश्यक विचार-विनियम, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के अधीन अपेक्षित है, अभी पूरा नहीं हुआ है।

कोयला ले जाने के लिए भारतीय रेलों में 'यूनिट ट्रेन्स'

8. **डा० के० एल० राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय विद्युत्त केन्द्रों को कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में कार्य कुशलता को बढ़ाने तथा उसमें लगने वाले समय में कमी करने के लिए पश्चिमी देशों में 'यूनिट ट्रेनों का उपयोग किया जाता है; और

(ख) क्या भारतीय रेलों का विचार गोदावरी कोयला क्षेत्रों जैसे स्थानों से कोयला मद्रास ले जाने हेतु कुछ क्षेत्रों में 'यूनिट ट्रेन्स' चालू करने के लिए प्रयत्न करने का है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक कोयले का बिजली घरों में परिवहन का संबंध है, भारतीय रेलों पर भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक संशोधित प्रणाली पहले से ही प्रचलित है अर्थात् लदान ब्लाक रेकों में किया जाता है। सिंगरोली कोयला क्षेत्र से ओबरा बिजली घर के लिए यूनिट ट्रेन का उपयोग भी प्रचलन में हैं।

विद्यार्थियों को विशिष्ट गाड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों की यात्रा के लिए रियायत

10. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों को कम से कम वर्ष में एक बार राजधानी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस और अन्य विशिष्ट गाड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के लिये रियायात देने संबंधी कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SHORTAGE OF TEACHERS IN SCHOOLS RUN BY CENTRAL RAILWAY

†11. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of teachers in most of the schools in Central Railway and the posts have not been filled for a long time; and

(b) the action taken to fill up vacancies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No. All vacancies of teachers have been filled.

(b) Does not arise.

बम्बई के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर डकैतियां

12. **श्री बसन्त साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं ने हाल ही में बम्बई के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर हमला किया और रेल सम्पत्ति को लूटा ;

(ख) यदि हां, तो घटनाओं के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति की रोक थाम तथा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी हां, मध्य रेलवे के बम्बई उपनगरीय खण्ड पर सायन और चूना भट्टी रेलवे स्टेशनों से ऐसी दो घटनाओं की सूचना मिली है।

(ख) 15-6-76 को लगभग 0045 बजे बम्बई उपनगरीय मुख्य लाइन के सायन रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर 5 अन्य रेल कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालय में बैठे थे। एक बाहरी आदमी उनके कार्यालय में घुस आया और उसने सभी कर्मचारियों को चाकू दिखा कर धमकाया तथा 67,098.70 रुपये की स्टेशन रोकड़ लेकर चम्पत हो गया। इसमें से 50,00 रुपये की रकम बरामद कर ली गयी है और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से 4,500 रुपये के गहने भी बरामद कर लिये गये हैं जो उन्होंने चुरायी गयी रकम से खरीदे थे बम्बई पुलिस इस मामले की अभी जांच-पड़ताल कर रही है।

(ii) हार्बर लाइन बम्बई उप नगरीय खण्ड के चूना भट्टी रेलवे स्टेशन के कार्यभारी क्लर्क के कार्यालय में 16-7-76 को लगभग 0015 बजे एक बाहरी व्यक्ति, जिसने अपना नाम पाकिया बताया, घुस आया और उसने चाकू दिखाकर रुपये मांगे और चाकू के हत्थे, के साथ श्री आर० आर० सिंह सहायक कार्यभारी क्लर्क के सिर पर चोट मारने के बाद 829.25 रुपये की स्टेशन रोकड़ लेकर भाग गया। रेलवे पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक लूटी गयी रकम बरामद नहीं हो पायी है और कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) (i) राज्य की अतिरिक्त आरक्षित पुलिस के कर्मचारियों को तैनात करके बम्बई उपनगरीय खण्ड पर रेलवे पुलिस की प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है।

(ii) रेलवे सुरक्षा दल के पर्यवेक्षक कर्मचारियों को निदेश दिये गये हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले स्टेशनों पर रात के समय में दौरे किया करें।

(iii) 24 घंटे के अन्त में काफी स्टेशन रोकड़ इकट्ठी हो जाती है जिसे कम करने के लिए प्रति दिन एक बार जैसा कि इस समय है, की बजाय दो बार स्टेशन रोकड़ ले जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

ईरान में रेलवे के निर्माण हेतु ठेका

13. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड के रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज ने ईरान में 500 किलोमीटर के सेक्शन का प्रारंम्भिक सर्वेक्षण आरंभ किया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : रेल मंत्रालय के तत्वाधान में गठित रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि०, जो एक सरकारी उपक्रम हैं, ने अभी हाल में ईरान में लगभग 32.6 कि० मी० लम्बी नयी रेलवे लाइन के लिए प्रारम्भिक व्यावहारिकता एवं लागत अध्यन किया है।

गुडूर में रेल दुर्घटना

14. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे पर गुडूर में जून, 1976 में एक माल गाड़ी दुर्घटना-ग्रस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थीं; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टिटैनियम डायाक्साइड पिगमेंट्स और 'प्रोजेक्ट को क्विलोन एरणाकुलम रेलवे के साथ मिलाने के लिए शंटिंग यार्ड'

15. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टिटैनियम डायोक्साइड पिगमेंट्स और प्रोजेक्ट को क्विलोन-एरणाकुलम रेलवे के साथ मिलाने के लिए एक शंटिंग यार्ड बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद की अवधि में रेलवे की आय

16. **श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद की अवधि में रेलवे की आय में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1975 से जून 1976 तक की अवधि में कुल कितनी आय हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1975 से मई, 1976 तक (खाते बंद होने के महीने तक) कुल आय 1,715.21 करोड़ रुपये हैं ।

छोटे पैमाने के औषधि निर्माताओं को कच्चे माल की सप्लाई

17. **श्री हरी सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के औषधि-निर्माताओं को स्वदेशी आयातित अथवा सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंगाये जाने वाले कच्चे माल की सप्लाई की कमी के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) जी, नहीं । गैर-सारणीवद्ध कच्चेमाल के लिए आयात लाइसेंस लघु उद्योग क्षेत्र को सीधे रूप में उनकी पिछली खपत और 20% की वृद्धि के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र को सारणीबद्ध कच्चे माल का आवंटन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है :—

(i) लघु उद्योग एकक जिनकी पिछले दो वर्षों की खपत तथा उससे 30% की वृद्धि तक प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक बिक्री न हो।

(ii) एक करोड़ रुपये की बिक्री के साथ लघु उद्योग एकक और पिछले दो वर्षों की खपत और उससे 15% वृद्धि तक से ऊपर

(iii) पिछले दो वर्षों की खपत से ऊपर 50% अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में सभी लघु उद्योग एकक ।

राज्य औषध नियन्त्रकों द्वारा अंकित के अनुसार प्रथक प्रथक एककों की आवश्यकताओं को विचार में रखने के बाद सारणीबद्ध कच्चे माल के लिए आयात योजना तैयार की जाती है। वर्ष के दौरान आयात योजना का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ताकि जहां अपेक्षित हो अतिरिक्त आयात की व्यवस्था की जाए।

देशी निर्मित प्रपुंज औषधों के बारे में हम उनके उत्पादन का 30%-50% गैर-संगठित सूत्रयोगकों को उपलब्ध कराने के लिए सामान्यतः शर्त निर्धारित करते हैं। ये लघु उद्योग एकक अपनी देशी प्रपुंज औषधों की आवश्यकताएं इन निर्माताओं से पूरी करती हैं।

रेलवे बुकिंग एजेंसियां

18. **श्री रेणुपद दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेकेदारों अथवा अन्य गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा रियायती आधार पर कितनी-कितनी रेलवे बुकिंग एजेंसियां चलाई जा रही हैं ;

(ख) इन एजेंसियों को किस दर पर कमीशन और छूट दी जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन रेलवे बुकिंग एजेंसियों से कुल कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ठेकेदारों अथवा गैर-सरकारी स्थापनाओं द्वारा कमीशन के आधार पर 46 सिटी बुकिंग एजेंसियां चलाई जा रही हैं।

(ख) टिकटों की बिक्री पर सिटी बुकिंग एजेन्टों को साधारणत: 2 से 2 1/2 प्रतिशत की दर पर कमीशन दिया जाता है। यह कमीशन केवल स्थानीय रेलों पर की गयी यात्रा वाले टिकटों के मूल्यों पर ही देय होता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों से हुई आमदनी नीचे दी गयी है :--

1973-74	350.74 लाख रुपये
1974-75	375.44 लाख रुपये
1975-76	437.92 लाख रुपये

झंझरपुर लौकाहा बाजार और सकरी-हसनपुर रेलवे लाइनें

19. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री ब्राडगेज लाइन को समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा रक्सौल तक बढ़ाने के बारे में 13 जनवरी 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर--दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये पुनरीक्षित अनुमान तैयार करने हेतु अंतिम स्थान इंजीनियरी सर्वेक्षण इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू होने तथा निर्माण कार्य पूरा होने के निर्धारित कार्यक्रम सहित इससे संबंधित तथ्य क्या है ?

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस बीच झंझरपुर-लौकाहा बाजार और सकरी-हसनपुर लाइनों के लिये मिट्टी डालने की लागत और भूमि देना स्वीकार कर लिया है, और

(घ) यदि हां, तो पहली लाइन पर रेल गाड़ी चलाने और दूसरी पर निर्माण कार्य आरम्भ करने की वास्तविक तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अन्तिम मार्ग-निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्टें संकलित की जा रही हैं तथा इस परियोजना पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। इस परियोजना को शुरू करने तथा इसका निर्माण-कार्य पूरा करने का कार्यक्रम तभी बनाया जायेगा जब रेल प्रशासन से इस परियोजना पर होने वाले खर्च का अनुमान प्राप्त हो जायेगा और उसे स्वीकृति दे दी जायेगी।

(ग) और (घ)--बिहार सरकार ने झांझरपुर--लौकहा बाज़ार लाइन के लिए केवल भूमि की लागत वहन करने के बारे में अपनी स्वीकृति दी है। निर्माण कार्य तेजी से चल

रहा है और नवम्बर 1976 में यह लाइन चालू करने के लिए तैयार हो जायेगी । लेकिन, ठीक तिथि अभी निश्चित की जानी है । बिहार सरकार ने हसनपुर-सकरी लाइन के लिए भूमि की लागत और मिट्टी बिछाने संबंधी खर्च को वहन करने के लिए अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है। इस लाइन का निर्माण-कार्य शुरू करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी कि वह इस लाइन के निर्माण में साझीदार होने के लिए तैयार है।

रेलवे खान-पान व्यवस्था में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम लागू किया जाना

20. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों के प्रवर्तन अधिकारी, जहां तक रेलवे परिसरों में स्थित खान-पान प्रतिष्ठानों का संबंध है, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अंतर्गत उपबन्धों को लागू करने में किसी कारण अक्षम रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन द्वारा स्वयं रेलवे परिसरों पर उक्त अधिनियम की क्रियान्विति को कैसे सफल बनाया जाता है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत गठित रेलवे खाद्य निरीक्षकों के एक नियमित तन्त्र द्वारा रेल परिसरों में खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम की व्यवस्था लागू की जाती है । इसके अलावा, केन्द्रीय खाद्य दस्ता रेल परिसरों से नमूने ले सकते हैं और उसने ऐसा किया भी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

21. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या पट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमुख पुनर्गठन की तैयारी में सरकार का विचार मध्य क्षेत्र के मुख्यालय को कलकत्ता से कहीं अन्यत्र ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण और तथ्य क्या हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अपतटीय सक्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थात पश्चिमी, पूर्वी तथा केन्द्रीय क्षेत्र । पश्चिमी क्षेत्र गुजरात राज्य से पूर्वी क्षेत्र असम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों से बनता है। केन्द्रीय क्षेत्र में देश के अन्य भाग सम्मिलित हैं तथा दूसरा कार्य क्षेत्र कलकत्ता और देहरादून के बीच है। पश्चिम बंगाल त्रिपुरा एवं अण्डमान द्वीपसमूह के व्यधन कार्य के साथ समस्त केन्द्रीय क्षेत्र के भूवैज्ञानिकीय कार्य की देख-रेख कलकत्ता से की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र के लिये इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के बारे में सरकार के पास इस समय कोई, प्रस्ताव नहीं है ।

बर्दवान तथा बकुलतला में तेल की खोज

22. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **पट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले और बकुलतला में तेल का पता लगाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या तेल की खोज के प्रयोजन के लिये बंगाल की खाड़ी के तट दूर बसिन को छोड़ दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान और 24-परगना जिलों में ओ० एन० जी० सी० द्वारा विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप तीन स्थान, एक स्थान 24-परगना जिले के बकुलतला में और दो स्थान बर्दवान जिले के गालसी में खुदाई के लिये दे दिये हैं।

बकुलतला में कुएं की खुदाई पूरी हो गई है । दस कुएं में तेल या गैस की विद्यमानता का संकेत नहीं मिला । गालसी क्षेत्र में व्यधन कार्य के लगभग अक्तूबर, 1976 तक शुरू होने की प्रत्याशा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट पर तेल की खोज

23. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री एस० आर० दामाणी } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आगामी महीनों में तट पर तेल की खोज को और अधिक महत्व देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तदनुसार अपने योजना बजट को फिर से बना रहा है ;

(ग) क्या साथ ही साथ तेल के लिये तट दूर खुदाई भी जारी रहेगी ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर काम हो रहा है और आगे काम करने के लिये किन-किन नये स्थलों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : (क) जी हां, अपने अपतटीय प्रयत्नों को निरन्तर जारी किये बिना ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) बाम्बे हाई, वसीन नार्थ तथा बाम्बेहाई के पूर्व में 'फाल्ट क्लोजर' में व्यधन कार्य चल रहा है। बाम्बे हाई के दक्षिणी क्षेत्र में कार्य करने की सम्भावना है। कावेरी अपतटीय बेसिन में भी कार्य चल रहा है ।

मलयेशिया के लिए रेलवे सम्बन्धी जानकारी

24. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया ने हमारे देश से रेलवे संबंधी जानकारी मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

RAILWAY ACCIDENTS AFTER 1ST JANUARY 1976

25. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway accidents which occurred in the country from 1st January, 1976 to-date and the loss of life and property suffered as a result thereof; and

(b) the number of persons who have been paid compensation and the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) During the period 1-1-1976 to 15-7-1976, there were 432 train accidents on the Indian Government Railways in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains. In these accidents 57 persons lost their lives and cost of damage to railway property such as rolling stock and permanent way, etc. has been estimated at approximately Rs. 1,13,63,000/-.

(b) The compensation paid so far to 24 persons killed amounts to Rs. 12,00,000/- under Indian Railways Act, 1890.

Arrangements are being made to pay compensation under the Workmen's Compensation Act in respect of the affected Railway employees, wherever due.

चक्रवात के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के ड्रिलिंग प्लेट फार्मों को क्षति

26. **श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मानसून मौसम के दौरान पश्चिमी तट के पास चक्रवात के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तट दूर प्लेटफार्मों और ड्रिलिंग पोतों को क्षति पहुंची थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जेड० आर० अंसारी) : (क) और (ख) 2 जून, 1976 को बम्बई हाई क्षेत्र में हुए तूफान से पहले ओ० एन० जी० सी० के जेकप प्लेट फार्म अर्थात् सागर सम्राट सहित चार खुदाई रिंग कार्य कर रही थीं। एक कुआं-व-उत्पादन प्लेटफार्म और फिलेपर जेकेट स्थापित किये गये थे। ऐसे तूफान से कुआं-व-उत्पादन प्लेटफार्म अथवा फिलेपर जेकेट अथवा किसी खुदाई पोत को कोई हानि नहीं हुई है तथापि कुछ उपसकरों/स्थापित मूरिंगों को कुछ हानि पहुंची थी।

उर्वरकों का उत्पादन

27. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान उर्वरक उत्पादन के वास्तविक आंकड़े क्या हैं और चालू वर्ष के लिये इसका क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) चालू वर्ष के आरम्भ में पिछले शेष स्टाक के आंकड़े क्या थे; और

(ग) इस वर्ष मांग पूरी करने के लिये कितनी मात्रा में इसका आयात करना पड़ेगा और उसके लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

		नाइट्रोजनी/फोसफेट (000 मी० टन)	
(क)	वास्तविक उत्पादन 1975-76	1535	320
	1976-77 के लिए लक्ष्य	1950	480

(ख) 1-4-1976 को स्टाक	नाइट्रोजन	फासफेट
देशीय स्टाक	202	110
आयातित उर्वरक का मूल स्टाक	338	206

(ग) परिकल्पित आवश्यकताओं और देशीय उत्पादन सहित उर्वरक की कुल उपलब्ध स्टाक के बीच की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों के आयात के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के धुएं का ताजमहल पर प्रभाव

28. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा विदेशों के विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने के धुएं तथा गैस से ताजमहल के सफेद संगमरमर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : मथुरा शोधनशाला के धुएं अथवा गैस से आगरा और मथुरा के स्मारकों पर बुरा प्रभाव पड़ने की पेट्रोलियम मंत्रालय और इण्डियन आयल कार्पोरेशन में जांच हो रही है । इसके अध्ययन और जांच का कार्य विभिन्न भारतीय और विदेशी संस्थाओं को सौंपा गया है और वह जारी है । इस जांच और अध्ययन के परिणामस्वरूप उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वातावरण खराब होते हुये भी शोधनशाला द्वारा आगरा में वातावरण को दूषित करने का कम प्रभाव पड़ेगा जो शोधनशाला से लगभग से 40 किलो मी० की दूरी पर है और उसके नीचे स्तर पर होने के कारण ताजमहल के संगमरमर पर प्रभाव नहीं डालेगा।

औषध उद्योग को प्रोत्साहन

29. **श्री के० एम० मधुकर**
श्री एम० कनागुतु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज तथा औषध निर्माण उद्योग के लिये अनेक प्रोत्साहन देने की योजना तैयार कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल उत्पादों की बिक्री के लिए क्षेत्रीय कम्पनियां

30. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल उत्पादों की बिक्री के लिए क्षेत्रीय कम्पनियां स्थापित करने के बारे में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में दो रसायन एककों को अपने अधिकार में लिया जाना

32. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल में मार्टिन हैरिस तथा पाल लोमन नामक दो रुग्ण और बन्द पड़ी रसायन तथा औषधि भेषजीय एककों को अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जी, हां।

न्यू-जलपाइगुड़ी स्टेशन के निकट कामरूप एक्सप्रेस की दुर्घटना

33. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11 मई, 1976 को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के निकट कामरूप एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए;

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 11 मई, 1976 को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कामरूप एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और ग्यारह व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी।

(ख) और (ग) इस दुर्घटना की जांच रेलवे सुरक्षा के अपर आयुक्त, पूर्वोत्तर रेलवे और सर्किल, गोरखपुर द्वारा की गयी है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मध्य रेलवे में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की पदोन्नति

34. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय मध्य रेलवे में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के पदों पर, अलग-अलग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं; और

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए प्रतिशतता को बराबर करने हेतु 1976 के दौरान मध्य रेलवे में प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(क) श्रेणी I	19	1
श्रेणी II . . .	47	8
अस्थायी अधिकारी . . .	5	कुछ नहीं
श्रेणी III	9330	1519

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण कोटा की गणना भर्ती किये जाने वाले वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के अनुसार की जाती है न कि किसी संवर्ग में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के अनुसार 1-1-1976 से 30-6-76 के दौरान पदोन्नत किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :--

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
श्रेणी II से श्रेणी I . .	1	--
श्रेणी में पदोन्नति किये गये अस्थायी अधिकारी	1	--
श्रेणी III से श्रेणी II	4	कुछ नहीं
श्रेणी III	421	153

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के बारे में मालवीय समिति की सिफारिशें

35. **श्री डी० के० पंडा**
श्री एम० कतामुतु } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय समिति ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन करने तथा उसे मजबूत बनाने के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) समिति अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश करती है कि :--

(i) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का स्तर एक उच्च स्तरीय नीति बनाने वाली संख्या के रूप में किया जाये ;

(ii) मंत्री द्वारा स्वीकृति आयोग की नीति के लिय कार्यान्वियक एजेंसी के रूप में तेल अन्वेषण को नए विभाग सृजन किया जाये।

(iii) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस समय किये जा रहे संचालन कार्यों को करने के लिये एक नया निगम आयल एण्ड गैस कारपोरेशन इन्डिया के रूप में खोला जाये।

भारत में अमरीकी औषधियों का असाधारण मूल्य

36. **श्री सरोज मुकर्जी**
श्री राजदेव सिंह
श्री समर मुकर्जी } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका में 3 जुलाई, 1976 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत में

अमरीकी औषधियों के आसाधारण मूल्य के बारे में कहा गया है जबकि ब्रिटेन में वे काफी कम मूल्य पर बेची जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) विदेशी औषध फर्मों द्वारा इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सरकार ने बम्बई की एक साप्ताहिक पत्रिका में छपे समाचार को देखा है जो 29 अप्रैल, 1976 को इण्डिया इण्टरनेशनल में हुये सेमीनार में प्रस्तुत लेख पर आधारित प्रतीत होता है। इस समाचार में बताया गया है कि भारत ने यू० एस० ए० से विटामिन सी 10 प्रति किलोग्राम और टेट्रासाइकिलीन 100 से 240 डालर प्रति किलो के हिसाब से आयात किया है जबकि यही पदार्थ यू० के० को कम दामों पर बेचे गये थे।

ये विवरण वेबुनियाद तथा गलत है । पिछले तीन वर्षों से यू० एस० ए० से कोई विटामिन सी का आयात नहीं हुआ है । 1973 में विटामिन सी पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैण्ड और जापान से 4.67 डालर से 4.70 डालर प्रति किलो की दर और 1974 में पश्चिम जर्मनी और स्विटज़रलैण्ड से 6.7 डालर से 7 डालर प्रति किलो के मूल्य पर आयात किया गया था। टेट्रासाईक्लीन हाइड्रोकिलोराईड का पिछले 3 वर्षों में यू० एस० ए० से कोई आयात नहीं हुआ है । इस अवधि के दौरान सभी आयात पूर्वी योरूप के देशों से किया गया है।

आयात की व्यवस्था भारत के राज्य व्यापार निगम (अब भारतीय राज्य रसायन एवं भेषज निगम) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रियतिथि पर अधिकतम प्रतियोगी मूल्य पर विश्व के प्रमुख सप्लाईयरों से टेण्डर के आधार पर की जाती है।

1975-76 से विटामिन सी के और 1975-76 टेट्रासाईकिलीन के आयात की कोई योजना नहीं है ।

सूडान में रेलों के लिए भारतीय तकनीकी परामर्शदात्री सेवा

37. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान ने अपनी रेलों के लिए भारतीय तकनीकी परामर्शदात्री सेवा मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको इस तकनीकी परामर्शदात्री सेवा को अपने इंजनों, वैगनों और कोचों के मानकीकरण के लिए आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या किसी अन्य देश ने भी इस प्रकार की सेवाएं मांगी हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां, तनजानिया, घाना नाइजीरिया, जैरे, ईरान और सीरिया ने ।

4—M569LSS/76

उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी औषध फर्मों को स्वीकृति

38. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी पूंजीवाली कितनी विदेशी फर्मों ने फार्मूलेशनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजीगत सामान के लिये अपने औद्योगिक लाइसैंस के आवेदन पत्रों में सरकार की स्वीकृति प्राप्त की है;

(ख) कितनी कम्पनियों ने अनधिकृत तरीके से फार्मूलेशनों का निर्माण करने हेतु नई मशीनरी लगाई है; और

(ग) सरकार का विचार उत्पादन क्षमता के ऐसे अनधिकृत विस्तार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 26% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली 13 औषध उत्पादन करने वाली कम्पनियों की प्रभुंज औषध और उन पर आधारित सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे और 1-4-1973 से 31-3-1976 की अवधि के दौरान ऐसी 6 कम्पनियों को सूत्रयोगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। लाइसेंस विशिष्ट उत्पादन क्षमताओं के लिए जारी किए जाते हैं और न कि उपस्कर और मशीनरी की शर्तों में। फर्मों को लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता के लिए उपस्कर मशीनरी स्थापित करना अपेक्षित है। तथापि देशी पूंजी माल की खरीद के लिए किसी विशेष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है परन्तु आयातित पूंजी माल के लिए आयात लाइसेंस अपेक्षित है। ऐसे आयात लाइसेंस केवल औद्योगिक लाइसेंस और देशी उपलब्धता की जांच पर जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग) लाइसेंस प्राप्त क्षमता से ऊपर अधिक उत्पादन के बारे में कुछ मामले हाथी समिति और सरकार के ध्यान में आए हैं। हाथी समिति ने ऐसे मामलों को नियमित रूप देने के लिए सिफारिश की है जिनकी गुणों व दोषों पर विनियमिन अपेक्षित है। मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

वैगन निर्माण के क्रयादेशों का पुनः वितरण

39. **श्री समर मुकर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा वैगन निर्माण क्रयादेशों के पुनः वितरण से गड़बड़ी और जबरन छुट्टी अथवा जबरन सेवानिवृत्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) जबरन छुट्टी तथा जबरन सेवा निवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा माल डिब्बों के निर्माण सम्बन्धी आदेशों का न तो कोई पुनः वितरण किया गया है और न इस प्रकार का कोई आरोप प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ALLOTMENT OF PETROL PUMPS AND GAS AGENCIES TO S. C. AND S. T.

40. **Shri V. Tulsiram** : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) whether a certain quota of petrol pump and gas agencies is fixed for allotment to persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and weaker sections;

(b) if so, since when it is being implemented; and

(c) the number in Andhra Pradesh, who were allotted these agencies on the above basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari): (a) & (b) Effective from 1-1-1974, 25% of IOC's agencies/Indane distributorships/retail outlets ('A' sites) are reserved. for person belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(c) : One 'A' site retail outlet dealership has been awarded to Shri Prem Kumar, Banjara Hill, Hyderabad (Andhra Pradesh) on the above basis.

औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त किए बिना फार्मूलेशन्स का बनाया जाना

41. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० के० एफ० ई० मर्क साराभाई, सुहरोद गेगो, और ग्लैक्सो कम्पनियां सरकार की अनुमति तथा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही बहुत से फार्म्युलेशन्स बना रही हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) अप्राधिकृत रूप में डोलो पुरो बियन तथा एस्कालिन वनाये जाने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इन कंपनियों ने ऐसी वस्तुओं का बनाना कभी बंद नहीं किया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) मैसर्स साराभाई, मैसर्स सूहरिद गैगी और मैसर्स ग्लैक्सो द्वारा औद्योगिक लाइसेंस अथवा सरकार की मंजूरी के बिना उत्पादन का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

मैसर्स ई मर्क को सूत्रयोग, डोलोन्यूरोविन एनलजिन के मिश्रण और विटामिन बी-1, बी-6 और बी-12 का विना औद्योगिक लाइसेंस से उत्पादन करते हुए पाया गया है। अन्तर मंत्रालयी अध्ययन ग्रुप ने मामले की जांच की है । उसके बाद पार्टी ने इस कार्यकलाप को नियमित रूप देने हेतु इस विषय के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक एस्केसीलिन के उत्पादन का संबन्ध है मैसर्स एस० के० एफ० को सितम्बर 1973 से प्रपुंज एम्पीसिलिन के आधार पर विना लाइसेंस इस सूत्रयोग का उत्पादन करते हुए पाया गया था । मामले की जांच की गई है और यह निर्णय ले लिया गया है कि अब तक निर्मित एस्केसीलिन कैप्सूलों को नियमित रूप दिया जाए बशर्तेकि वे एम्पीसीलिन सूत्रयोगों का उत्पादन अब से बन्द कर देंगे । तदनुसार कार्यवाई की गई है। कर्नाटक राज्य औषध प्राधिकारियों द्वारा यह पुष्टि की गई है कि इस कम्पनी ने एस्केसीलिन का उत्पादन बन्द कर दिया है ।

घरेलू गैस सिलिंडरों में प्रेशर गेज लगाना

42. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इच्छुक टेंडरदाताओं से गैस की शेष मात्रा का पता लगाने के लिये घरेलू गैस सिलेंण्डरों के लिये प्रेशर गैज की सप्लाई के लिये टेंडर आमन्त्रित करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने विक्रेताओं को ऐसे घरेलू गैस सिलिण्डर वेचने के लिये निदेश जारी किये हैं जिनमें सिलिण्डर का भार दिया गया हो ; और

(ग) भरे हुए गैस सिलेंडर की यह जांच करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उसमें गैस उपेक्षित मात्रा में है या नहीं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी नहीं। खाना पकाने वाली गैस सिलेंडर में प्रैशर गेज लगाने के प्रश्न पर विचार किया गया है । परन्तु इसे उचित नहीं पाया गया है । इसका कारण यह है कि एल० पी० जी० सिलेन्डर के अन्दर तरल के रूप में होती है और जब तक वह बची हुई सिलेंडर में होगी तब तक लगभग वैसा ही प्रेशर रहेगा । अत: ये गेज सिलेंडर में पड़ी हुई एल० पी० जी० की मात्रा में विभिन्नता नहीं दिखा सकती ।

(ख) पेकेजिड पदार्थ (अधिनियम) आदेश 1975 के अनुसार एल० पी० जी० सिलेंडर में गैस का कुल वज़न सिलेंडर के ऊपरी भाग के लेबल पर लिखा हुआ है। इसके अलावा सिलेंडर का वजन सिलेंडर की वाडी पर लिखा हुआ है।

(ग) गैस सिलेंडर में गैस का वज़न खाली सिलेंडर के वज़न को काट कर पता लगाया जा सकता है ।

हावड़ा-दिल्ली/नई दिल्ली विद्युतिकृत रेल मार्ग से मेल/एक्सप्रेस रेल-गाड़ियों का चलाया जाना

43. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से दिल्ली/नई दिल्ली तक सम्पूर्ण रेल मार्ग का विद्युतिकरण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो हावड़ा तथा दिल्ली/नई दिल्ली के बीच विद्युतिकृत रेल मार्ग पर यात्री/रेल तथा एक्सप्रैस रेलगाड़ियां किस तारीख से चलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन दो स्टेशनों के बीच किन मेल तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को बिजली से चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गाजियाबाद और दिल्ली (मुख्यलाइन) के बीच के रेल पथ का विद्युतीकरण अभी पूरा होना है।

(ख) और (ग) नयी दिल्ली तक के खंड के विद्युतीकरण होने के बाद, निम्नलिखित डाक एक्सप्रेस गाड़ियां 3-8-76 से विद्युत कर्षण से चलायी जा रही हैं :—

86 डाउन/85 अप असम मेल

155 अप/156 डाउन तिनसुकिया मेल

81 अप/82 डाउन

103 अप/104 डाउन वातानुकूल एक्सप्रेस

161 अप/162 डाउन टाटानगर एक्सप्रेस

मंगलौर-बम्बई रेलवे लाइन लिए अंतिम सर्वेक्षण

45. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मंगलौर-बम्बई रेलवे लाइन का अंतिम सर्वेक्षण किस स्थिति में है ; और

(ख) क्या अरब सागर में अन्य देशों के नौसैनिक अभ्यासों को देखते हुए देश के पश्चिमी तट पर इस लाइन का निर्माण कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रस्तावित रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आप्ता से दासगांव तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और दासगांव से मंगलौर तक का सर्वेक्षण कार्य हो रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आप्ता-दासगांव रेल सम्पर्क का इंजीनिरिंग एवं यातायात तथा वित्तीय मूल्यांकन कर लिया जायेगा। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना में इसे हाथ में लिया जा सके इसके लिए आप्ता से मंगलौर तक रेलवे लाइन के प्रस्ताव को योजना आयोग को भेजी गयी नयी लाइनों की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। बशर्ते वह इसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करें।

(ख) जी नहीं।

फार्म्युलेशनों के सम्बन्ध में औषधि मूल्य निर्धारण योजना

46. **श्री एम० कतामुतु** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति द्वारा सिफारिश की गई औषधि मूल्य निर्धारण योजना फार्म्यूलेशनों के संबंध में अव्यवहार्य पाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) औषध और भेषजों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी हाथी समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की आशा है।

वर्दमान से चित्तरंजन तक उपनगरीय रेलवे सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव

47. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व रेलवे में आसनसोल-रानीगंज को जोड़ते हुए वर्दमान से चित्तरंजन तक उपनगरीय रेलवे सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं।

नए रेल निर्माण कार्यों के लिए कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव

48. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हाल ही में रेलवे मंत्रालय को 12 नये रेल निर्माण कार्यों की एक सूची प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कौन-सी हैं और इन सभी परियोजनाओं के लिये कुल कितनी पूंजी परिव्यय है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार ने कुछ नयी लाइनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिनके सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति नीचे दी गयी है :—

(1) हुबली-कारवाड़ (बड़ी लाइन)—191.29 कि० मी०–लागत 34.8 करोड़ रु०

(2) तालगुप्पा—होनावार (बड़ी लाइन)—79.23 कि० मी०–लागत 32 करोड़ रु०

(3) रायादुर्ग–चित्रदुर्ग (मीटर लाइन)—94.65 कि० मी० लागत 6.42 करोड़ रु०

सर्वेक्षण-कभी पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच से पता चला है कि ये लाइनें लाभप्रद नहीं हैं तथा इन पर पर्याप्त यातायात होने की संभावना नहीं है। अतः यह फैसला किया गया है कि इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में फिलहाल कोई कार्रवाई न की जाय।

(4) कोट्टूर-हरिहर (मीटर लाइन)—118.77 कि० मी० लागत 8.13 करोड़ रुपए।

सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया गया है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायगा।

(5) चामाराजगार-सत्यमंगलम (मीटर लाइन)

कोयम्बत्तूर तक इस लाइन (लम्बाई 162 कि० मी० लागत 18 करोड़ रुपये) के लिए पहले किये गये सर्वेक्षणों की रिपोर्टों से पता चला है कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं है। इसलिए इस परियोजना को शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(6) सिरुगुप्पा, सिन्धानूर, लिंगसागर, शीलापुर और सुरपुर के रास्ते बल्लारी–गुलबर्गा लाइन—300 कि० मी०—लागत 39.00 करोड़ रुपये।

(7) बीजापुर के रास्ते मीरज-गुलबर्गा लाइन—275 कि० मी०—लागत 36.00 करोड़ रु०।

(8) कुदची-रायचूर—315 कि० मी०—लागत 43 करोड़ रुपए।

धनाभाव के कारण और औद्योगिक विकास अथवा विकास का कोई अन्य प्रमुख कार्यक्रम न होने के कारण, प्रस्तावित लाइनों के निर्माण का काम शुरू करना फिलहाल संभव न होगा।

उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा, कर्नाटक राज्य में नयी रेल लाइनों की निम्नलिखित परियोजनाओं को पहले ही अनुमोदन मिल चुका है और उन पर कार्य चल रहा है :—

(1) हसन-मंगलूर (मीटर लाइन) लम्बाई 189 कि० मी०—लागत 42 करोड़ रु०।

(2) तोनगिल्लु मुदुकुलरपेंटा (बड़ी लाइन)—लम्बाई 24 कि० मी०—लागत 3.30 करोड़ रुपये।

वर्मा शैल तथा कालटैक्स द्वारा आयातित अशोधित तेल की मात्रा में कमी

49. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में वर्मा शैल तथा कालटैक्स कम्पनियों द्वारा आयातित अशोधित तेल की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) कच्चे तेल के लिये सीमित विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के अन्दर 1975 के दौरान भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता की पूर्ति, भारतीय तेल निगम द्वारा ईरान की नैशनल आयल कम्पनी; ईराक, साऊदी अरेबिया और यू० ए० ई० के साथ किये गये समझौतों के अन्तर्गत की गई। मद्रास शोधनशाला और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन को कच्चे तेल की सप्लाई क्रमश: ईरान के एल० आई० ओ० सी०/अमको और एक्सान के साथ किये गये समझौतों के अन्तर्गत की गई। इन कारणों से 1975 के दौरान वर्माशैल तथा कालटैक्स द्वारा लाये गये कच्चे तेल में महत्वपूर्ण कमी हुई थी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बड़े पैमाने पर तेल की खोज की योजना

50. चौधरी राम प्रकाश : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में बड़े पैमाने पर तेल की खोज के लिये योजना बनाई ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) और (ख) तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में तेल की खोज करने के लिये एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) भूमि पर लगाभग सम्पूर्ण तलछटी बेसिनों पर तथा जहां कहीं भूभौतिकीय आधार पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होने की संभावना है, वहां अपतटीय क्षेत्रों पर यथासंभव अन्वेषण कार्य का विस्तार करना;

(ii) खोजे गये तेल क्षेत्रों का शीघ्रता से विकरण कराना;

(iii) वर्तमान उत्पादन कुओं का अधिकतम उपयोग कराना; तथा

(iv) सेंकेण्डरी रिकवरी मैथड (सहायक तेल प्राप्ति पद्धति) का विस्तृत रूप में उपयोग कराना।

सरकारीकरण के बाद विदेशी तेल कम्पनियों का इण्डियन आयल कम्पनी के साथ विलय

51. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत विदेशी तेल कम्पनियों के सरकारीकरण के बाद सरकार ने दक्षता तथा मितव्ययिता के लिये और अत्यधिक राशि के तथा बेकार के उपरिव्यय को रोकने

के लिये इन कम्पनियों को इण्डियन ग्रायल कम्पनी के साथ विलय करने के लिये कदम उठाये हैं ग्रथवा उठाये जाने का विचार है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) ग्रौर (ख) ग्रंततः समस्त वर्मंमान तेल कम्पनियां सरकारी क्षेत्र में ग्रा गई है। सुविधाग्रों का ग्रधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताग्रों की ग्रच्छी सेवा करने के लिये तेल उद्योग का पुनर्गठन ग्रावश्यक है। कालटैक्स एवं ग्रसम तल कम्पनी के साथ विचार-विमर्श पूर्ण हो जाने के बाद एक ग्रन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

बम्बई के निकट तेल मिलना

52. **श्री के० मासह्रा :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट कुछ ग्रौर कुग्रों में तेल मिला है ; ग्रौर

(ख) क्या इस क्षेत्र में तेल मिलने की सम्भावनायें ग्रौर बढ़ गई हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) ग्रौर (ख) बाम्बे हाई तथा बसीन क्षेत्रों के बीच 'फाल्ट' सरंचना पर एक कुएं में तेल प्राप्त हुग्रा है । बाम्बे हाई के दक्षिण पश्चिम सरंचना में तेल प्राप्त होने के संकेत मिले हैं । ग्रतः यह उचित है कि बाम्बे हाई के आस-पास तेल के भण्डार प्राप्त होने की ग्राशा है।

बाम्बे हाई के पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम में तेल भण्डार हैं ।

हिन्दी भाषी राज्यों में रेलवे में हिन्दी का प्रयोग

53. **श्री एम० एस० पूरती :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दी भाषी राज्यों में नोटिसों, पत्रों तथा ग्रादेशों जैसे सरकारी पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग का प्रोत्साहन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : राजभाषा (संशोधन) ग्रधिनियम, 1967 की धारा 3(3) के ग्रनुसार नोटिसों, विज्ञप्तियों, ग्रादेशों ग्रादि जैसे सरकारी प्रलेखों में ग्रंग्रेजी के ग्रलावा हिन्दी का उपयोग ग्रनिवार्य है ।

ग्रपना काम हिन्दी में करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा ग्रनेक योजनाएं चलायी गयी हैं । वे हैं "हिन्दी निबन्ध एवं वाक प्रतियोगिता", "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं", "नकद परस्कार योजना", "ग्रन्तर्रेलवे राजभाषा शील्ड ग्रौर ग्रन्तर्मण्डलीय राजभाषा शील्ड हिन्दी निबंध एवं वाक प्रतियोगिता ग्रौर हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं" मण्डलीय ग्रौर ग्रखिल भारतीय स्तर पर ग्रायोजित की जाती हैं ।

विजेताग्रों को 200 रु०, 150 रुपये ग्रौर 100 रुपये के क्रमशः थम द्वितीय ग्रौर तृतीय पुरस्कार दिये जाते हैं। ग्रन्य प्रतियोगियों को योग्यता के प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। इसके ग्रलवा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित रेलवे कार्यालयों में हिन्दी के माध्यम से सर्वाधिक काम करने वाले कर्मचारियों ग्रौर ग्रधिकारियों को नकद पुरस्कार देने की भी एक योजना चलायी गयी है ।

मतदान करने की आयु घटाना

54. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मतदान करने की आयु घटाने के बारे में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य के प्रत्युत्तर की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सय्यद मुहम्मद) : (क) इस विषय पर अधिकांश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त उत्तरों का सार दिया गया है ।

(ग) जी नहीं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10998/76] ।

रेलवे-बेड-रोलों की मानक अन्तर्वस्तु

55. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बेड-रोलों की मानक अन्तर्वस्तु एक जोनल रेलवे और दूसरी जोनल रेलवे में अलग-अलग है ;

(ख) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों में बेड-रोलों की अलग-अलग अन्तर्वस्तु है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इनके प्रभार भी अलग-अलग हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, अलग-अलग दर्जे के यात्रियों को दिये जाने वाले बिस्तरों का मानक निर्धारित किया गया है । लेकिन जलवायु में भिन्नता होने के कारण कुछ क्षेत्रीय रेलों पर कुछ मदें अलग-अलग हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । बिस्तर में शामिल वस्तुओं को यात्रा के दर्जे के अनुसार मानकीकृत किया गया है और प्रति बिस्तर निर्धारित की गयी दरें भी तदनुसार अलग-अलग हैं ।

CONVERSION OF NARROW/METRE GAUGE LINES INTO BROAD GAUGE IN JHANSI DIVISION (CENTRAL RAILWAY)

†56. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3251 on the 4th May, 1976 regarding cancellation of Trains from Gwalior to Sheopur, Shivpuri and Bhind and state :

(a) whether Government propose to convert all those narrow gauge lines into metre gauge lines in the Jhansi Division of Central Railway, on which the running of Trains had been discontinued from August 1, 1975; and

(b) the progress made in the work relating to the conversion of all the narrow and metre gauge railway lines into broad gauge lines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

IRREGULARITIES COMMITTED BY J. B. MANGHARAM GROUP OF COMPANIES

57. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4 on the 6th January, 1976 regarding irregularities committed by J. B. Mangharam Group of Companies and state :

(a) whether an enquiry into the complaints mentioned in parts (a) and (b) of the aforesaid question has since been completed;

(b) whether the accounts books have since been audited; and

(c) whether Government are aware that this Company was doing transactions as a commercial bank in Gwalior and now they have refused to make payment of the amount deposited during that period and if so, the action taken by Government against them ?

Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) & (c) Inspection of the books of account and other records of M/s. J. B. Mangharam and Company Private Limited has been completed. The inspection does not disclose that the Company was doing transactions as a Commercial Bank at Gwalior.

(b) The audited accounts of the Company for the years ended 30th June, 1972, 1973, 1974 and 1975 have not been filed with the Registrar of Companies. Prosecutions have been launched by the Registrar for defaults in respect of 1972 and 1973 and default notices issued in respect of 1974 and 1975.

J. B. MANGHARAM AND COMPANY

58. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4 on the 6th January, 1976 regarding irregularities committed by J.B. Mangharam Group of Companies and state :

(a) whether any action has been taken to get the deposits refunded by the Company;

(b) if so, the number of persons whose deposits have been refunded so far and the amount refunded ; and

(c) the action taken by Government against the Company ?

Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) to (c) The inspection of the books of account and other records of the M/s. J. B. Mangharam & Company Private Limited has not disclosed that this company accepted deposits from public. However, inspection has revealed that the firm J. B. Mangharam & Company which is not a limited company under the Companies Act, 1956 had accepted deposits from the, public and hence action under the Companies Act, 1956 in the matter does not arise.

बिना रेल गाड़ियों वाले राज्य/संघ क्षेत्र

59. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिना रेलगाड़ियों वाला कोई राज्य अथवा संघ क्षेत्र है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इन राज्यों/संघ क्षेत्रों में रेलवे सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10999/76]

M. P. GOVERNMENT PROPOSAL FOR NEW BROAD GAUGE LINE FROM RATLAM TO BANSWARA

†60. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the proposal of Madhya Pradesh Government for construction of railway lines in various areas of the State also includes a proposal for the construction of a new broad gauge line from Ratlam to Banswara; and

(b) if so, whether preliminary survey has been made in this regard and the present position thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) A preliminary engineering-cum-traffic survey for this line is in progress. The survey is expected to be completed by November, 1976.

ACTION TAKEN AGAINST THREE T. V. MANUFACTURING CONCERNS

61. **Dr. Laximinarayan Pandeya :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have taken action against three Television manufacturing concerns for not carrying on their business within prescribed limits in accordance with Monopolies and Restrictive Trade Practices Act and for violating the rules; and

(b) If so, the salient features thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) & (b) The M.R.T.P. Commission has so far initiated inquiries against four Television manufacturing concerns for allegedly indulging into restrictive trade practices. The details of the restrictive trade practices indulged in by the four companies are given in the statement attached herewith.

Statement

Name of the Co.	M.R.T.P. alleged to be indulged	Date of Institution of enquiry
1	2	3
1. M/s. Weston Electroniks Pvt. Ltd., New Delhi.	(1) Allocation of area or markets.	18-12-75
	(2) Resale price maintenance.	
	(3) Imposing restrictions in the appointment of dealers.	
	(4) Requiring the distributors to make interest free deposits.	
	(5) Restricting the classes of persons to whom goods are sold.	
2. M/s. J. K. Electronics, Kanpur.	(1) Allocating area or markets for the disposal of Television sets.	19-5-76
	(2) Providing for restrictions for the distributors in the appointment of dealers.	
	(3) Requiring distributors to purchase a fixed number of Televisions.	
	(4) Requiring the distributors to charge the prices of antenna as fixed.	
3. M/s. Polestar Electronics Pvt. Ltd.	(1) Allocating of areas to its distributors in the sale of Television sets.	19-5-76
	(2) Providing for resale price maintenance.	

1	2	3
4. M/s. Bharat Television Ltd. Hyderabad.	(1) Allocating areas to the distributors. (2) Providing restrictions in appointment of sub-dealers. (3) Resale price maintenance. (4) Exclusive dealership. (5) Restrictions in the matter of dealings. (6) Tie-up of voltage stabilisar & antenna.	9-6-76

The Commission passed a 'Cease and Desist' Orders against M/s. Weston Electroniks Pvt. Limited and M/s. J. K. Electronics on 9th July, 1976 and 28-7-76 respectively. The enquiries against the other two Television manufacturers mentioned above are in proceedings stage.

कुट्टीपुरम-गुरुवयूर रेल सम्पर्क पर अन्तिम निर्णय

62. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टीपुरम-गुरुवयूर रेल सम्पर्क सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है । रिपोर्ट की जांच पूरी होते ही अंतिम विनिश्चय किया जाएगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

कोचीन और एलप्पी बीच रेल लाइन का निर्माण

63. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और एलप्पी के बीच रेल सम्पर्क सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्राप्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस लाइन का निर्माणकार्य वर्ष 1976-77 के दौरान शुरू किए जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है ।

(ख) और (ग) महाप्रबन्धक (निर्माण), बैंगलूर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गुजरात राज्य को मिट्टी के तेल की सप्लाई

65. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों से गुजरात राज्य को मिट्टी के तेल की अत्याधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य को मिट्टी के तेल की कम सप्लाई के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हाल के समुद्री तूफान के कारण गुजरात राज्य ने मिट्टी के तेल की अधिक सप्लाई की मांग की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की थी; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की वास्तविक मांग क्या थी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गुजरात राज्य से तूफान के कारण अतिरिक्त मिट्टी के तेल के आवंटन के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1976-77 में तेल खोज के लिए परिव्यय

66. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री के० मालन्ना } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976–77 में तेल खोज और विकास के लिए 267 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है;

(ख) क्या इसमें से 20 करोड़ रुपए की राशि देश में दो संस्थान स्थापित करने के लिए निर्धारित की गई है, यदि हां, तो ये संस्थान किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या गुजरात में कुओं के विकास का कार्य भी लिया जाएगा ; और

(घ) तेल के मामले में भारत को कब तक आत्म निर्भर हो जाने का विश्वास है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1976–77 के दौरान गुजरात में अहमदाबाद स्थित एक भण्डार अध्ययन संस्थान के लिए तथा उत्तर प्रदेश में देहरादून स्थित एक व्यधन प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

(ग) ओ० एन० जी० सी० काफी समय से गुजरात में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन के लिए विकास कुओं की खुदाई कर रही है ।

(घ) इसका अनुमान लगाना कठिन है ।

रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में न्यायालयों का निर्णय

67. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 की रेल हड़ताल के परिणामस्वरूप सेवा से निकाले गए कितने रेल कर्मचारियों ने उच्च न्यायालयों में अपने मुकदमें दायर किए हैं ;

(ख) रेलवे-वार कितने कर्मचारियों के मामले में न्यायालयों ने उनके पक्ष में फैसला दिया ;

(ग) क्या उक्त सभी कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनों को अभी काम पर लिया जाना बाकी है और न्यायालयों के निर्णय कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिह) : (क) 918

(ख)

रेलवे	संख्या
पूर्व रेलवे .	14
पूर्वोत्तर रेलवे . .	1
पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे .	13
दक्षिण रेलवे . .	4
दक्षिण पूर्व रेलवे	88
पश्चिम रेलवे	72
कुल	192

(ग) और (घ) 102 कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया गया था जिनमें से 8 को आगे कार्रवाई करने के लिए निलम्बित कर दिया गया है तथा 14 को पुन: बरखास्त कर दिया गया है । निर्णयों के अनुसार इन कर्मचारियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई करने की अनुमति थी ।

23 कर्मचारियों के मामले में, निर्णयों के विरुद्ध अपीलें पहले ही दायर की जा चुकी हैं । शेष 67 कर्मचारियों के विरुद्ध अपीलें दायर करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

Cases of Claims for Compensation

†68. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to bring about decrease in the number of cases of claims for compensation on account of loss, theft and pilferage of goods carried by the Central Railway;

(b) If so, the broad outlines thereof; and

(c) whether there has been any decrease in the number of new cases of claims for the Central Railway during the last six months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) A statement indicating claims prevention measures taken is attached.

(c) As a result of the various claims prevention measures, the number of new claims on the Central Railway during the last six months has decreased by 11, 657 as the following figures would indicate :—

Central Railway.

Period	No. of new claims received
Jan. '76 to June '76	20,499
Jan. '75 to June '75	32,156

Statement

Constant and vigorous endeavours are being made by the railway administrations to bring down the incidence of claims. Some of the important claims prevention measures adopted and intensified by the railways in the recent past are enumerated below :—

(i) Escorting of goods trains carrying iron and steel, foodgrains, sugar, oilseeds, etc., by Railway Protection Force armed personnel in vulnerable sections;

(ii) Patrolling by armed Railway Protection Force personnel in vulnerable yards;

(iii) Collection of cirme intelligence and conducting of surprise raids by the staff of the Crime Intelligence of the Railways as well as Central Crime Bureau, Railway Board, with a view to tracking down criminals and receivers of stolen goods;

(iv) Maintenance of close coordination between Government Railway Police, Railway Protection Force and railway staff;

(v) Insistence on provision of dunnage to protect flap doors in case of wagon load consignments of sugar, grains, pulses, oilseeds, etc;

(vi) Proper marking, addressing and labelling to prevent the consignment from going astray;

(vii) Use of nuts and bolts for riveting wagons loaded with valuable goods;

(viii) Proper maintenance of wagons so that incidence of sickness of wagons resulting in detention and transhipment is minimised and also damage by wet and pilferage through doors and body-holes is reduced;

(ix) Patching of panel-cuts of wagons in sick-lines, yards and goods sheds to reduce the circulation of defective wagons;

(x) Proper supervision and careful tallying of packages during loading and unloading operations;

(xi) Intensified supervision at break-of-gauge transhipment points and repacking points;

(xii) Prompt fixation of staff responsibility; and

(xiii) Special precautions during monsoon season to prevent damage by wet.

After the declaration of the Emergency , a special Claim prevention drive was launched on the Indian Railways, to prevent loss, theft, pilferage, damage and deterioration to consignments carried by the Railways. High level claims prevention meetings have been held almost every month from July, 1975, on-wards at different zonal headquarters to instil greater conciousness among the staff at all levels to observe claims prevention measures. In addition to intensification of normal claims prevention measures, the working of the Railway Protection Force has been streamlined, delinquent staff have been suitably punished, commercial irregularities have been rectified and supervision strengthened.

Priority for laying Railway Lines in Bastar and Khargon Districts in Madhya Pradesh

†69. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress made so far in laying railway lines in Bastar and Khargon Districts in Madhya Pradesh; and

(b) whether these projects are being given priority in view of the fact that the areas to covered are under-developed and economically backward, where no railway line has been laid since independence?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b) 1. A 446 K. M. long Railway line has already been constructed between Waltair and Kirandul— which also passes through Backward area of Madhya Pradesh.

2. Final Location Survey for the construction of Dhalli Rajhara-Jagdalpur new BG line for the development of backward area of Bastar district, has already been completed and the reports are under examination. It has been revealed by the survey reports that this project of length

234 kms. will cost Rs. 46 crores and may yield a return of 7·84% (DCF) with steam traction and 7·97% (DCF) with Diesel traction. A decision regarding the construction of this line will be taken after the reports are examined and depending upon the availability of funds. No proposal is under consideration for construction of a line in Khargon District in Madhya Pradesh.

ACCIDENTS AT UNMANNED LEVEL CROSSINGS IN MADHYA PRADESH

70. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the number of accidents occurred at the unmanned railway level crossings in Madhya Pradesh during the last three years;

(b) whether Government propose to reduce the number of unmanned railway level crossings in the State; and

(c) if so, the amount earmarked for the purpose during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) During the last three years viz. 1973-74, 1974-75 and 1975-76 there were 15 cases of trains running into road traffic at unmanned level crossings in Madhya Pradesh.

(b) There are more than 22,000 'C' class unmanned level crossings on the Indian Railways. Manning of all these unmanned level crossings would cost, according to the present day rates, about Rs. 110 crores initially which is to be borne by the State Governments as per extent rules, and about Rs. 31 crores to the Railways towards annual recurring maintenance charges.

It is neither feasible nor necessary to man all the unmanned level crossings.

The Railways carry out periodical census of traffic to review the need for manning of unmanned level crossings. Based on this, some unmanned level crossings are manned each year in consultation with the State Governments taking into account various factors like density of traffic, visibility, etc., as also the availability of funds. This is being done in respect of the unmanned level crossings situated in all the States including Madhya Pradesh.

(c) During the current year an approximate amount of Rs. 5·18 lakhs is available for direct expenditure by Railways on approved works relating to manning of unmanned level crossings or upgrading the existing manned level crossings in Madhya Pradesh.

FRESH SURVEY FOR LAYING RAILWAY LINE UPTO DUNGARPUR

†71. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether survey in regard to laying of Ratlam-Banswara railway line conducted in the past has been cancelled and now a fresh survey has been ordered for a new railway line;

(b) whether survey for the said railway line has been ordered upto Dungarpur also; and

(c) the time by which work on the revised survey is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) No survey carried out earlier has been cancelled, though portion of the alignment for the proposed line for the shortest route had to be revised in view of the construction of a dam coming up in the area. Though the survey is upto Banswara only, the possibility of further extension upto Dungarpur in future will also be investigated. The survey will be completed by November, 1976.

ए० सी० सी० प्रथम दर्जे के किराए में कमी

72. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी ऐक्सप्रेस चेयरकार के किराए में कमी के कारण इन सीटों के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ए० सी० सी० के पहले दर्जे के किराए में कमी का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1-5-1976 से वातानुकूलन कुर्सीयान किराए के साथ ही पहले दर्जे के वातानुकूल का किराया भी कम कर दिया गया है ।

रेलवे में स्वदेशी अभियान

73. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में अगस्त, 1975 में रेलवे में 'स्वदेशी अभियान' आरम्भ किया था; और

(ख) इस अभियान के उद्देश्य क्या हैं और इसे कहां-कहां चलाया गया तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में अगस्त, 1975 में रेल मंत्रालय ने एक जोरदार स्वदेशी अभियान चलाया था जिसका उद्देश्य डीजल, बिजली इंजनों तथा सवारी डिब्बों के स्टाक के लिए पुर्जों का आयात करने वाली तीनों उत्पादन यूनिटों तथा क्षेत्री रेलों की आयात पर निर्भरता दूर करना था । इस अभियान के परिणामस्वरूप आयात सूची में से प्रति वर्ष 5.17 करोड़ रुपए के मूल्य की 181 मदों को हटाना सम्भव हो सका है ।

तीव्र गति वाली रेलगाड़ियां चलाया जाना

74. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कौन सी तीव्र गति वाली रेल गाड़ियां शुरु की गई हैं और ये गाड़ियां किन सेक्शनों में चल रही हैं ; और

(ख) देश में ऐसी और अधिक गाड़ियों के चलाने का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है और इन गाड़ियों के किन सैक्शनों में चलाए जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक मामले में कितने समय की बचत होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1975–76 और 1-8-1976 तक के दौरान निम्नलिखित अनुपनगरीय तेज गाड़ियां चलाई गईं अथवा उनका चालन क्षेत्र बड़ाया गया :—

I. नई गाड़ियां चलाई गयीं :—

बड़ी लाइन

1. हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. टाटानगर-अमृतसर एक्सप्रेस (सप्ताह में चार बार)
3. बिलासपुर-भोपाल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
4. बम्बई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)
5. समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
6. पुरी-रेणिगुन्टा एक्सप्रेस
7. बम्बई-एर्णाकुलम/मंगलूर-जयन्ती जनता एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
8. अहमदाबाद-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) और
   अहमदाबाद-फैजाबाद के बीच सप्ताह में 5 दिन ।

9. हावड़ा-न्यू बोंगाईगांव जनता एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
10. इलाहाबाद-मेरठ सिटी संगम एक्सप्रेस
11. मुरी-हटिया एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन)
12. बम्बई-बड़ौदा एक्सप्रेस
13. हावड़ा-पुरी जगन्नाथ एक्सप्रेस
14. निजामुद्दीन-सिकन्दराबाद जयंती जनता एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
15. धनबाद-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

मीटर लाइन

1. लखनऊ-सीतापुर डीजल कार एक्सप्रेस
2. जयपुर-मेड़ता रोड एक्सप्रेस
3. गोरखपुर-लखनऊ शान-ए-अवध एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)
4. गोरखपुर-वाराणसी पूर्वांचल एक्सप्रेस
5. निजामाबाद-मनमाड एल्लौरा एक्सप्रेस
6. सिकन्दराबाद-तिरुपति/बेंगलूरू एक्सप्रेस
7. न्यू बोंगाईगांव-मुकीम-हेलक-अरुणाचल-एक्सप्रेस
8. मदुरै-बोदिनायक्कानूर एक्सप्रेस
9. तिरुनेलवेलि-तिरुचेन्दूर एक्सप्रेस

छोटी लाइन

1. गोंदिया-जबलपुर एक्सप्रेस

II. उन गाड़ियों की सूची जिनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है :—

गाड़ी सं०	खण्ड जिस पर चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है
बड़ी लाइन	
1. मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस .	दिल्ली-जम्मू तवी
2. मद्रास-टाटानगर एक्सप्रेस . .	टाटानगर बोकारो स्टील सिटी
3. दिल्ली-समस्तीपुर द्विसाप्ताहिक जयन्ती जनता एक्सप्रेस .	समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर
4. सिकन्दराबाद-विजयवाड़ा एक्सप्रेस .	विजयवाड़ा-गुन्टूर
5. बम्बई-पुणे एक्सप्रेस . .	पुणे-शोलापुर
6. हावड़ा-लखनऊ एक्सप्रेस . .	लखनऊ-अमृतसर
7. कालका-अमृतसर मेल .	अमृतसरी-पठानकोट
8. दिल्ली-चन्दौसी एक्सप्रेस .	चन्दौसी-बरेली
9. दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस . .	लखनऊ-वाराणसी
मीटर लाइन	
1. सिलीगुड़ी-कासगंज वैशाली एक्सप्रेस .	कासगंज आगरा फोर्ट
2. मद्रास-विरुधनगर जनता एक्सप्रेस .	विरुधनगर-तूतीकोरिन

(ख) 7-8-1976 से नई दिल्ली और मद्रास के बीच नं० 121/122 (सप्ताह में तीन बार) तमिलनाडु एक्सप्रेस चलायी गयी है। यह गाड़ी मार्ग में केवल चार जगह पर ठहरती है और इन दो स्टेशनों के बीच यात्रा समय में लगभग 8–9 घन्टे की बचत होती है।

15-8-1976 से दो जोड़ी तेज एक्सप्रेस गाड़ियां—एक हावड़ा और टाटानगर के बीच और दूसरी हावड़ा और आसनसोल के बीच भी चलाने का प्रस्ताव है।

माल की चोरी और उठाईगीरी के मामले

75. **श्री पी० गंगा देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली फरवरी, 1976 से रेलवे में चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं और कितने मूल्य का माल चोरी गया है ; और

(ख) ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या नए कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-2-76 से 30-6-76 तक की अवधि में बुक किए गए परेषणों की चोरी/उठाईगीरी के 5672 मामले भारतीय दण्ड संहिता और रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए थे और 25,00,434 रुपए के माल (बुक किए गए परेषण) की चोरी-उठाईगीरी हुई थी।

(ख) रेलों पर अपराधों की रोक-थाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) महत्वपूर्ण माल गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारी चलते हैं।

(2) अपराधियों को पकड़ने और चुरायी गयी सम्पत्ति को बरामद करने के लिए मण्डलों के सी० आई० बी० कर्मचारी अपराध आसूचना एकत्र करते हैं।

(3) राज्य सरकार और सरकारी पुलिस के सहयोग से अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति लेने वालों के विरुद्ध जोरदार आवधिक अभियान चलाए जाते हैं।

(4) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने यार्डों में प्रतिस्थापन (रीप्लेसमेंट) जांच करना शुरु किया है।

(5) चुरायी गयी सम्पत्ति लेने वाले कुख्यात व्यक्तियों को और आदी मुजरिमों को राज्य पुलिस प्राधिकारियों के जरिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम तथा दूसरे अधिनियमों के अधीन बन्द करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(6) सभी भेद्य यार्डों और अन्य स्थापनाओं पर गश्त लगाने के लिए और अधिक कुत्ता दस्ते बनाए जा रहे हैं।

उड़ीसा में जखपुरा-बाँसपानी रेल लाइन का निर्माण

76. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जखपुरा-बांसपानी रेल लाइन के बारे में अन्तिम इंजीनियरी व यातायात सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेल लाइन के निर्माण के बारे में कोई निर्माण-कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख), और (ग) इस लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इस लाइन के निर्माण के लिए 1976–77 के बजट में एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। इस लाइन के निर्माण का कार्यक्रम आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा उत्पादन सम्बन्धी विवरण न दिया जाना

77. **श्री भालजीभाई रावजी भाई परमार :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी औषध फर्मों ने अपने फारम्यूलेशनों तथा बल्क औषधियों के उत्पादन के फैक्टरी पर मूल्य के बारे में अपने उत्पादन सम्बन्धी विवरण व्यापार विकास महानिदेशालय में अब तक नहीं भेजे हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक फर्म ने कितने समय से ऐसा विवरण नहीं दिया है और क्या ऐसे विवरणों, यदि कोई हो, मदवार उत्पादन दिया गया है अथवा औद्योगिक लाइसेंस वार; और

(ग) क्या कुछ फर्मों ने नियमों के अनुसार उत्पादन के फैक्टरी पर मूल्य तथा अन्य ब्यौरा प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) डी० जी० टी० डी० (तकनीकी विकास के महानिदेशालय) के अन्तर्गत आने वाली समस्त विदेशी फर्में डी० जी० टी० डी० उत्पादन ब्यौरों को नियमित रूप में प्रस्तुत कर रही है तथापि डी० जी० टी० डी० ने सूचित किया है कि एक विदेशी फर्म को नवम्बर 1973 में सी० ओ० बी० लाइसेंस देने के बाद उसे डी० जी० टी० डी० के अन्तर्गत ले लिया गया है । या उसने ब्यौरे देर से प्रस्तुत किए थे और डी० जी० टी० डी० ने उन्हें अपेक्षित नोटिस जारी किया था ।

विदेशी औषध फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाना

78. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **रसायन और उरवर्क** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी पूंजी वाली विदेशी औधष-निर्माता फर्मों को इस शर्त पर कितने लाइसेंस दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय में विदेशी पूंजी कम करेगी ; और

(ख) कितने मामलों में कम्पनियों ने न तो विदेशी पूंजी कम की है, न निर्यात-बांड भरे हैं और न अन्य शर्तें पूरी की हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) विदेशी औषध कम्पनियों की विदेशी पूंजी में कमी सरकार की दो नीतियों द्वारा की जाती है :—

(क) विदेशी मुद्रा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत । इस धारा के अन्तर्गत औषध एवं भेषज कम्पनियां परिशिष्ट में दिखाई गई हैं । अतः विदेशी कम्पनियों को विदेशी पूंजी 74% तक कम करना होता है । क्या पेश नियन्त्रण औषध उद्योग पर लागू होना चाहिए । इस प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है और अतः

सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार स्थगित किया गया है। जब तक कि हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार अन्तिम निर्णय लें ले।

(ख) सरकार द्वारा फरवरी, 1972 में घोषित विदेशी पूंजी में कटौती की परियोजना के द्वारा। यह 51% से अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों पर लागू है जो अतिरिक्त पूंजी के आधार पर विस्तार के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। कटौती का फार्मूला निम्न प्रकार है :—

विस्तार की अनुमानित लागत का 40% .	75% से अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के करने में।
विस्तार की अनुमानित लागत का 33 1/3% .	60% से अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के करने में।
विस्तार की अनुमानित लागत का 33 1/3%	51% से अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के कम करने में।
25%	परन्तु 60% से अधिक नहीं।

पिछले तीन वर्षों में दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों और विदेशी पूंजी की कटौती तथा निर्यात दायित्व की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11000/76]।

तेल उद्योग के पुनर्गठन का प्रस्ताव

79. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री जगन्नाथ मिश्र
श्री पी० गंगा देव
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम
श्री भाऊ साहेब धामनकर
श्री डी० के० पंडा
श्री बसन्त साठे
श्री यमुना प्रसाद मण्डल
सरदार मोहिन्द्र सिंह गिल

: क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तेल उद्योग के पुनर्गठन के लिए कुछ उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या इस मामले में तेल कम्पनियों से भी परामर्श लिया गया है; और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) से (घ) अन्ततः समस्त वर्तमान, तेल कम्पनियां सरकारी क्षेत्र में आ गई हैं। सुविधाओं का अधिकतम उद्योग एवं उपभोक्ताओं की अच्छी सेवा करने के लिए तेल उद्योग का पुनर्गठन आवश्यक है। तेल कम्पनियों के साथ विचार विमर्श प्रारम्भ किए गए हैं। कालटैक्स एवं असम तेल कम्पनी के साथ विचार विमर्श पूर्ण हो जाने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

PETROCHEMICAL COMPLEX IN BONGAIGAON

80. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) the time by which Petro-chemical factory in Bongaigaon in Assam State will go into production and the capacity it will have; and

(b) whether local people, particularly persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be given preference in the matter of employment in the said factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari) : (a) It is expected that the Petro-chemicals will go into production during 1979-80. The major products to be produced are :

1. DMT around 35,000 MTA (part of which for internal consumption).

2. 20,000 MTA polyester staple fibre.

(b) The Undertaking follows the guidelines issued by the Government regarding reservation of posts for Scheduled Castes/Scheduled Tribes as also regarding recruitment to lower posts through local employment exchanges.

PRODUCTION BY BARAUNI FERTILIZERS FACTORY

81. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) when will the Barauni Fertilizers Factory go into production;

(b) the monthly production capacity thereof;

(c) whether the production will be in accordance with the targets fixed in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P. C. Sethi) : (a) The Barauni Fertilizer factory went into production in July, 1976.

(b) The average monthly capacity of the plant is 27,500 tonnes of urea.

(c) & (d) As the plant is in the process of stabilization it is expected to produce only about 65,000 tonnes of urea during the first year of operation.

UPGRADATION OF CLASS III AND CLASS IV POSTS IN RAILWAYS

†82. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision regarding upgradation of Class III and Class IV railway employees;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the categories of employees likely to be benefitted therefrom and the amount of expenditure involved therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) and (c) The upgradation scheme covers Class III and IV categories where there was a need for easing promotional bottlenecks. Artisan cadres are, however, not included and will be dealt with by a Railway Workers Classification Tribunal which is being set up. R. P. F. staff have been dealt with separately.

The cadres reviewed include over 9 lakh posts and approximately 41,000 posts stand to be upgraded.

The main categories involved are listed below :

1. Commercial Clerks
2. Enquiry & Reservation Clerks
3. Commercial Inspectors
4. Catering staff
5. Ticket Collectors
6. Publicity Inspector
7. Signallers
8. Assistant Station Masters/Station Masters
9. Trains Clerks
10. Traffic/Movement Inspectors
11. Yard Staff
12. Draftsmen Civil
13. Draftmen Signal & Telecommunication
14. Draftsmen Electrical
15. Draftsmen Mechanical
16. Inspectors of Works
17. Permanent Way Inspectors
18. Bridge Inspectors
19. Signal/Telecommunication Inspectors
20. Wireless Operators/Inspectors Wireless
21. Telephone Operators
22. Chargemen Loco Sheds
23. Chargemen Workshops
24. Carriage & Wagon Inspectors
25. Train Examiners
26. Cashiers
27. Accounts Clerks, Subheads, etc.
28. Shipping Inspectors
29. Depot Store Keepers
30. Health/Malaria Inspectors
31. Nursing Staff/Matrons
32. X-Ray staff
33. Laboratory Staff
34. Stenographers
35. Welfare/HER/Personnel Inspectors
36. Office Staff (other than Accounts)
37. Typists
38. Statistical Inspector
39. Legal staff
40. Cooks
41. Proof Readers

Class IV

1. Pointsmen
2. Levermen
3. Shuntmen

The long-term annual recurring expenditure involved is estimated to be about rupees ten crores.

DECISION ON APPEALS OF DISMISSED/SUSPENDED RAILWAY EMPLOYEES

†83. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) Whether a number of employees still stand dismissed and suspended for taking part in the railway strike of 1974;

(b) if so, their number, railwaywise; and

(c) the reasons for delaying taking decisions on their appeals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No railway employee was dismissed/removed/suspended from service for mere participation in the railway strike of May 1974. However, action was taken only against employees held guilty of gross misconduct for having indulged in acts of extreme indiscipline in complete disregard of the law of the land.

(b) A statement is attached.

(c) Employees not being satisfied with the decision of the competent authority put in appeals/review petitions to the higher authorities and thus each case is considered on merits at more than one level. This is a continuing process and Government are alive to the need that the process of reinstatement—wherever considered justified—should be expedited and assure that delay is avoided in all such cases.

Out of 752 employees who are out of service, 442 have gone to court challenging the orders. Out of the remaining 310, 38 have not appealed, 2 are not interested in railway service and one has been convicted by the court, leaving a balance of 269 who have not yet been taken back to duty. Out of these, appeal of 155 have been rejected, and appeals from the remaining 114 are under consideration.

STATEMENT

Railways	No. of raliway employees still out of service.	No. of railway employees still under suspension
1	2	3
Central	49	12
Eastern	210	—
Northern	27	1
North Eastern	9	..
Northeast Frontier	157	
Southern	26	
South Central	5	..
South Eastern	213	17
Western	49	2
C.L.W.	..	..
D.L.W.	4	..
I.C.F.	3	..
Total	752	32

पटना जंक्शन के प्लेटफार्म को गिरवी रखा जाना

84. श्री रामावतार शास्त्री
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्बन कोपरेटिव बैंक से ऋण लेने के लिए पटना रेलवे प्लेटफार्म को गिरवी रखा गया है और इस प्लेटफार्म का मूल्य 7.5 लाख रुपए दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुओं की खुदाई

85. श्री पी० गंगादेव : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में कुएं खोदने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन से राज्य चुने गए हैं ; और

(ग) उड़ीसा में तेल बहुत क्षेत्रों का पता लगाने के लिए गहरी तलछट जाँच का भू-गर्भीय प्रतिवेदन क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) असम, गुजरात, नागालैण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल आदि में निरन्तर अन्वेषण व्यधन कार्य करने के अतिरिक्त, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में भी अन्वेषी व्यधन कार्य करने का विचार है ।

(ग) उड़ीसा में अभी तक व्यधन द्वारा परीक्षण योग्य हाइड्रोकार्बन के एकरण के लिए कोई उपयोगी संरचना नहीं पाई गई ।

आसाम आयल कम्पनी को अधिकार में लेने के लिए बात-चीत

86. श्री पी० गंगा देव
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम
श्री भान सिंह भौरा : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही आसाम आयल कम्पनी की भारतीय आस्तियों को अपने अधिकार में लेने के लिए कोई बातचीत चल रही है ;

(ख) क्या इस कम्पनी को अधिकार में लेने के कार्य में शीघ्रता करने के लिए कोई अन्तर्मन्त्रालय समिति बनाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जैड० आर० अंसारी) (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रगति तथा अन्य ब्यौरे को इस स्तर पर बताना जनहित में नहीं है ।

दहानु -विरार शटल सेवा का शुरु किया जाना

87. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के दहानु और उसके आस-पास के स्थानों के कृषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभ्यावेदन देकर उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि दहानु-विरार शटल सेवा शुरु की जाए ताकि उनके कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों को बम्बई तक शीघ्रता से ढोने में सुविधा हो सके ;

(ख) क्या उक्त अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है और वांछित शटल सेवा के शुरु किए जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) क्या शटल-सेवा शुरु करने का निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विरार और दहानुरोड के बीच एक शटल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है । पश्चिम रेलवे, जो हाल के बाढ़ से छिन्न-भिन्न हो गया था और रेलवे लाईन को क्षति पहुंची थी पर दूर संचार साधनों को पुनः चालू करने के बाद इस गाड़ी के शुरु करने की तारीख निश्चित और अधिसूचित की जाएगी ।

वर्तमान तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाना

88. **श्री भाऊसाहेब धामनकर** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने तथा ड्रिलिंग पुर्जों तथा उपकरणों के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक अनुसन्धान करने सबन्धी समस्याओं को हल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : वर्तमान तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में माध्यमिक प्राप्ति उपाय, दबाव को बनाए रखना और और अधिक कूपों की खुदाई शामिल हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपनी बड़ौदा स्थित कर्मशाला में कुछ वर्क-ओवर रिगों का उत्पादन किया है । बी० एच० ई० एल० ने गहरी खुदाई करने वाले रिगों का काम हाथ में ले लिया है । कुछ ड्रिलिंगस बिट्स- और केसिंग पाईपों की कुछ श्रेणियों का भी भारत में उत्पादन किया जाता है । ड्रिल-पाइपों के स्वदेशी उत्पाद का कार्यक्रम भी बनाया गया है ।

भटिंडा और पानीपत उर्वरक परियोजनाओं को पूरा किया जाना

89. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटिंडा और पानीपत उर्वरक परियोजनाओं को पूरा होने तथा उनमें अमोनिया और यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने का नियत समय क्या है ;

(ख) इन दो परियोजनाओं की अनुमति लागत क्या है और इनके उत्पादन से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, क्या इसके लिए ऐसे विदेशी परामर्श-दाताओं की सेवाएं प्राप्त की गई हैं, जिन्हें तेल ईंधन पर आधारित अमोनिया संयंत्र के संचालन का पर्याप्त अनुभव हो और यदि हां, तो उन परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं और उनकी शर्तें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भटिंडा प्रायोजना के अक्तूबर 1977 तक पूर्ण होने और जनवरी 1978 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की आशा है जब कि पानीपत प्रायोजना के अप्रैल 1978 तक पूरा होने और जुलाई 1978 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की आशा है ।

(ख) प्रत्येक प्रायोजना की लागत 174 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर और पूर्ण उत्पादन स्तर पर इन दो संयंत्रों द्वारा यूरिया के उत्पादन के परिणामस्वरूप 120 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

(ग) एन० एफ० एल० के इंजीनियरिंग ठेकेदार अर्थात् इंजीनियर्स इंडिया लि०, भारत सरकार का एक उपक्रम और जापान के टोयो इंजीनियरिंग कम्पनी एन० एफ० एल० के साथ अपने ठेकों के अन्तर्गत निर्धारित समय में प्रायोजनाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं । ठेके में इस बात की भी व्यवस्था है कि निर्धारित समय में कार्य पूरा न करने पर दण्ड दिया जाएगा । प्रायोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर एन० एफ० एल० और मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जा रही है ताकि उसमें कमियों को दूर किया जा सके ।

मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० ने जो इन दो प्रायोजनाओं के लिए भारतीय ठेकेदार हैं पश्चिम जर्मनी के मैसर्स वेबा कैमी के साथ, जिनको ईंधन तेल पर आधारित अमोनियां-यूरिया संयंत्र की स्थापना करने और उसके संचालन में काफी अनुभव है, तकनीकी सहायता के लिए एक करार किया है । इस करार के अन्तर्गत वेबा कैमी डिजाइन निर्माण और दोनों संयंत्र के संचालन, चालू होने से पूर्व और चालू करने के लिए विशेष सहायता और एन० एफ० एल० और ई० आई० एल० के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं देंगे । इस परामर्शदायी करार के लिए 50 लाख रुपए के भुगतान की व्यवस्था है ।

बारामूरा और सुवल सिंहपारा में छिद्र कार्य

90. **श्री वीरेन दत्त :** क्या पेट्रोमिलयम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में वारामुरा और सुवलसिंहपारा तेल कुओं के छिद्र कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : बारामुरा क्षेत्र में एक कुएं का व्यधन एवं परीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है । इस कुएं में वाणिज्यिक मात्रा में गैस होने के संकेत हैं । बारामुरा तथा सुवल सिंह पारा में एक एक कुएं खोदने का कार्य चल रहा है । कुओं को 4-8-1976 को क्रमशः 1046 तथा 2371 मीटर तक खोदा गया है ।

पश्चिम रेलवे में स्वतः चेतावनी प्रणाली

91. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय रेल गाड़ी सेवाओं को इष्टतम बनाए जाने के भाग के रूप में बम्बई में पश्चिम रेलवे में स्वतः चेतावनी प्रणाली आरम्भ किए जाने की परियोजना के मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सर्वेक्षण रिपोर्ट और परियोजना सम्बन्धी प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मोरन से गौहाटी तक एक अन्य पाइप लाइन बिछाना

92. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल को ले जाने के लिए मोरन से गौहाटी तक एक अन्य पाइप लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है;

(ख) कुल अनुमानित लागत क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो तेल क्षेत्र से अतिरिक्त अशोधित तेल को गौहाटी और उससे आगे तेल शोधक कारखानों तक किस प्रकार ले जाने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) आयल इण्डिया लि० इस समय असम में जोरहाट से बोंगई गांव तक अशोधित तेल के परिवहन के लिए 16" व्यास के 212 कि० मी० लूप पाइप लाइन बिछाने में लगी है :

(ख) कुल अनुमानित लागत 36 करोड़ रुपए है। कार्यपूर्ण होने का लक्ष्य अप्रैल, 1977 तक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'रेल हैडसर'

93. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'रेल हैड्स' की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य आते हैं और ये रेल से पहले ही जुड़े हुए हैं। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उत्तरपूर्वी क्षेत्र के राज्यों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने से है। एक विवरण संलग्न है जिसमें स्थिति बताई गई।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11001/76]।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक सदस्यीय आयोग का प्रतिवेदन

94. **श्री नरसिंह नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व निदेशक डा० डी० एन० शर्मा की अध्यक्षता में रेलवे द्वारा रेलवे में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उनके पुनर्गठन के लिए एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या इसका प्रतिवेदन जून के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) स्वास्थ्य यूनिट स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था।

(2) बेहतर आकस्मिक सेवा तथा अस्पताल सेवाओं के उपयोग में सुधार के सुझाव।

(3) रेलवे स्टेशनों तथा कालोनियों में जनता के स्वास्थ्य तथा सफाई में सुधार के सुझाव।

(4) चिकित्सा तथा गैर-चिकित्स कर्मचारियों की पदोन्नति की बैहतर सम्भावनाएं।

(5) चुने हुए अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं में सुधार।

(6) दो या अधिक क्षेत्रीय रेलों के संगम पर बेहतर स्वास्थ्य प्रशासन के सुझाव।

(7) लम्बी पढ़ाई करने, अर्हताएं तथा अनुभव के कारण अनिवार्य रूप से देर से भर्ती किए जाने वाले डाक्टरों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाना क्योंकि उनमें से अधिकांश पूर्ण पेंशन पाने के योग्य नहीं हो पाते।

सिफारिशें विचाराधीन हैं।

विभिन्न स्थानों पर फर्टिलाइजर्स लि० का पुनर्गठन

95. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न जोनों और क्षेत्रों में फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मामले में किसी विभागीय समिति ने कोई जांच की थी और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या सरकार यह कदम उठाने से पहले इसके सेवाओं पर परवर्ती प्रभारों के बारे में भी विचार कर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) और (ग) भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। परन्तु इस विषय में पुन: विचार भी किया जा रहा है। इस मामले के गुण—अवगुणों को विचार में रखकर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

नाहरकटिया क्षेत्र के पूर्व तटवर्ती क्षेत्र का नए सिरे से भूकम्पीय सर्वेक्षण

96. **श्री एस० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार नाहरकटिया क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्र का नये सिरे से भूकम्पीय सर्वेक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमपुर नगर के लिए रेल लाइन

97. **श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट अथवा जम्मू से उधमपुर नगर के लिए रेल लाइन की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं? और इस लाइन पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू तवी से ऊधमपुर तक बड़ी रेलवे लाइन के विस्तार के लिए 1973-74 के दौरान किये गये टोह-इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से पता चला है कि इस 56 कि० मी० लम्बी परियोजना पर 1973-74 के मूल्यस्तर पर 40.48 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसे वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षन नहीं पाया गया। (इस लाइन के खुलने के छठे और ग्यारहवें वर्ष में 0.5 प्रतिशत प्रतिफल मिलेगा) इस परियोजना के अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की अतिसीमित उपलब्धता के कारण इस योजना को फिलहाल शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में नकली मशीनी तेलों की बिक्री

98. **श्री हरी सिंह**
श्री सूरज पांडे : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के विपणन डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक ने हाल में दिल्ली म नकली मशीनी तेलों की बिक्री के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) दिल्ली के बाजारों में नकली मशीनी तेलों की बिक्री को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) और (ख) आपसी समस्याओं को पूरा करने के लिये इण्डियन आयल कारपोरेशन प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती हैं। 10 जुलाई, 1976 को आई ओ० सी० द्वारा आयोजित स्टील प्लांट कर्मचारियों के सम्मेलन में आई० ओ० सी० के विणपन प्रभाग के प्रबन्ध निदेशक ने मार्केट में जाली स्नेहकों की सप्लाई पर टीका टिप्पणी की। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि बिना अनुसंधान और कोटि स्तरों के उत्पाद उपभोक्ताओं को आगे जा कर मंहगे पड़ेगें।

(ग) सरकार ने मिलावट स्नेहकों के दुरुपयोग की समस्याओं पर ध्यान देने और मिलावट को रोकने के लिए ठोस उपायों का सुझाव देनें के लिये सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ पेनल द्वारा की गई सिफारिशों के उपायों पर कार्रवाई आरम्भ की है। सरकार ने, अलग

से स्नेहकों के वितरण के बारे में अनुशासनिक योजना जारी की है जो सभी प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जानी है। तेल कम्पनियों को निदेश दिये गये हैं कि अपने फुटकर पम्पों/एजेंटों का लगातार आकस्मिक निरीक्षण करें ताकि ऐसे दुरुपयोग/मिलावट को समाप्त किया जा सके। तेल कम्पनियों को यह भी सलाह दी गई है कि बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री करें।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस में डकैती

99. **श्री हरी सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कईम गंज, स्टेशन के समीप 26 जून, 1976 को डाकुओं ने लखनऊ को जाने वाली आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों को लूट लिया था तथा एक यात्री की हत्या कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो रेल गाड़ियों में अपराधों को रोकने के लिये सरकार का क्या नये कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 25/26-6-76 की रात को पूर्वोत्तर रेलवे के गंजडुंडवारा और कायमगंज स्टेशनों के बीच तीन सशस्त्र बदमाशों ने, 14 डाउन आगरा-लखनऊ एक्सप्रस के दूसरे दर्जे के डिब्बे में सफर कर रहे यात्रियों को लूट लिया था। एक यात्री जिसने अपने सोने की अंगूठी उतारने से इनकार किया, पर छुरे से हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोट आयी, परिणामतः वह मर गया।

(ख) (i) 23-7-1976 को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(ii) उत्तर प्रदेश प्रशासन के अनुरोध पर सरकारी रेलवे पुलिस के अधीन रेलवे सुरक्षा विशेष दल की सब यूनिटें तैनात करके उसकी शक्ति में वृद्धि की गयी हैं ताकि और अधिक गाड़ियों में पहरा दिया जा सके।

(iii) सवारी गाड़ियों में चलने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा हत्या और लूट पाट की घटनाओं की रोकथाम के लिए रात में चलने वाली सवारी गाड़ियों में सरकार द्वारा सशस्त्र पुलिस पहरे की व्यवस्था की जाती है। पहरेदार सतर्क रहें इस उद्देश्य से पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा छापे भी मारे जाते हैं।

पेट्रोलियम की खपत में कमी करने के लिए भारतीय तेल निगम का कार्यक्रम

100. **श्री हरी सिंह**
श्री राम सहाय पांडे } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम की खपत में लगभग 5 प्रतिशत की कमी करने के लिये भारतीय तेल निगम ने हाल में बहुमुखी कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) तेल उद्योग विकास बोर्ड के अन्तर्गत गठित पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिये समन्वय सीमित ने इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० के चेयरमैन के अध्यक्षता में एक पेट्रोलियम कन्ज़रवेशन एक्शन ग्रुप

(पेट्रोलियम संरक्षण कार्यवाही ग्रुप) की स्थापना की गई है। तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध किये गये 3.6 करोड़ रुपये की सहायता से इस ग्रुप ने विशेष क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के अधिक प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करके पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के उद्देश्य से एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया है।

(ख) विशेष क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण तथा खपत में कमी करने के लिये पेट्रोलियम कन्जरवेशन एक्शन ग्रुप द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :--

(i) 309 औद्योगिक यूनिटों एवं किस्म में सुधार तथा ईंधन दहन उपकरणों के डिजाइन में सुधार एवं इन मदों के उत्पादकों के साथ सहायता से उपकरणों के रिकार्डिंग करने के सम्बन्ध में दल (जिसमें तकनीकी विकास महानिदेशालय, इण्डियन आयल कारपोरेशन तथा नेशनल प्रोडैक्टिविटी काउंसिल के प्रतिनिधि सम्मिलित है) द्वारा ईंधन दक्षता के बारे में 1974 एवं 1975 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के कार्यक्रम की देख-रेख करना।

(ii) मिट्टी के तेल तथा हाईस्पीड डीजल, तथा लाइट डीजल, आयल, मिट्टी तेल, स्नेहक तेल तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस अधिक प्रभाव उपयोग के लिये उनके सम्बन्ध में नये औद्योगिक यूनिटों एवं उद्योग के लिये नये क्षेत्र अध्यापन करना।

(iii) बर्नर, मिट्टी के तेल के स्टोव डीज़ल इंजन आदि की दक्षता में सुधार लाने के लिये अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों करना।

(iv) आकृति, आकार डिजाइन आदि जिससे ईंधन का दुरुपयोग होता है, में विविधत को कम करने के लिये अमट्टाय तथा भट्टी का मानकीकरण करना।

(v) संयंत्र प्रशासकों निरीक्षक तथा ट्रक सार्वजनिक परिवहन चालकों तथा अनुरक्षण उपायों एवं ईंधन दक्षता की सम्भाव्य प्रशिक्षण देना तथा उद्योग/तेल उद्योग/अनुसंधान केन्द्र में अन्ततः समावेशन के लिये ईंधन दक्षता विज्ञान में युवा इंजीनियरिंग स्नातकों को भी प्रशिक्षण देना।

(vi) मैनुअल, समाचार-पत्र डकूमैण्टरी फिल्म आदि के माध्यम से तकनीकी सूचना देना।

Bomb thrown in Compartment of 384-down Danápur-Mokameh passenger train

+101. SHRI HARI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a gang of armed dacoits shot dead a passenger and injured 56 passengers by throwing a bomb in a compartment of 384-Down Danapur—Mokameh passenger train on the 19th May, 1976; and

(b) whether Government have contemplated any new measured to check the recurrence of such incidents and if so, the salient features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH) : (a) Yes on 19-5-76, one passenger traveling by 384 Down Danapur-Mokameh passenger died and 5 other passengers were injured due to throwing of bomb by a gang of 14/15 armed criminals in 2nd class compartment of the train between Barh and Punarakh railway stations of the Eastern Railway. 4 persons have been arrested by the Police.

(b) State Police authorities are already seized with the problem of the heinous crimes in train and the following steps have been taken to prevent recurrence of such crimes in trains :

(i) All important trains are being escorted by Police during its night run.

(ii) Supervision of the Government Rilway Police Officers has been tightened up.

(iii) Armed police pickets have been posted at the affected stations.

(iv) State CID staff are pursuing cases of crimes in trains of heinous nature to lay their hands on the gang members reponsible for such crimes.

(v) Close cooperation is being maintained with State Police authorities for detection of veteran criminals under MISA.

आर्थिक शक्ति का जमाव

102. **श्री सोम नाथ चटर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के लागू होने के बावजूद गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक गृहों के हाथों में आर्थिक शक्ति का जमाव हर वर्ष बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री वेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) यह प्रश्न एक सामान्य वोधभ्रम को संदर्भित करता प्रतीत होता है कि, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में उल्लिखित विनियमनकारी उपबन्धों के होते हुए भी वृहद् औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। यह स्पष्ट कर दिया जाय कि एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का उद्देश्य., उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत .उपक्रमों के विकास को इस प्रकार से रोकना नहीं है वरन् यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि आर्थिक शक्तियों के संकेन्द्रण को जनहित के विरुद्ध होने से रोका जाय। मात्र यह है कि वृहद् औद्योगिक घरानों से नवीन उपक्रमों की स्थापना के साथ-साथ सारवान विस्तार के प्रस्ताव, जो औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसरण में होते हैं, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत विचार किये गये मामलों को दृष्टि में रखते हुये तथा साथ ही सामान्य रूप से देश के हित को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। इस प्रकार के अनुमोदनों से सामान्यतः परिसम्पत्तियों की कुछ वृद्धि के परिणाम की आशा की जाती है।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

103. **श्री सोम नाथ चटर्जी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974, 1975 और 1976 के 6 महीनों में, प्रत्येक राज्य के कितना-कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया ;

(ख) इन्हीं अवधियों में, प्रत्येक राज्य में मिट्टी के तेल की मांग कितनी थी;

(ग) 1973 और जून, 1976 में मिट्टी के तेल का नियंत्रित मूल्य क्या था ; और

(घ) राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ाने तथा उसका मूल्य कम करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र (परिशिष्ट) में दी गई है।

(ग) 1-1-1973 एवं 1-6-1976 को बम्बई के बाहर तेल कम्पनियों के भण्डार केन्द्र पर मिट्टी के तेल की अधिकतम बिक्री मूल्य निम्न प्रकार है :—

दिनांक	मुल्य (रु०/किलो लीटर) बिक्री कर स्थानीय कर के अतिरिक्त बम्बई से बाहर
1-1-1973 . .	रु० 540.51
1-6 1976 . .	रु० 1084.24

उपरोक्त मूल्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया गया था। मिट्टी के तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) आदेश, 1970 के अन्तर्गत राज्य सरकार संघ शासित प्राधिकारियों द्वारा मिट्टी के तेल के वास्तविक फुटकर बिक्री मूल्यों का नियत किया जाता है।

(घ) तेल संकट के कारण राज्यों एवं संघ शासित राज्यों को मिट्टी के तेल के आबंटन में कटौती की गई तथापि कटौती नवम्बर, 1974 से कुछ हटा दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता में सुधार करने पर विशेष बल देते हुये सम्पूर्ण 1975 एवं वर्तमान वर्ष के दौरान रियायती आबंटन की नीति का अनुसरण किया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त-मिट्टी के तेल की मांग को पर्याप्त रूप में पूरा किया गया तथा किसी भी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कोई गम्भीर कमी सामने नहीं आयी। विशेष अवसरों पर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों से आवेदन पत्रों पर विचार किया गया तथा जहां कहीं आवश्यक था अतिरिक्त आबंटन किया गया। अशोधित तेल के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि से मिट्टी के तेल सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि को नहीं रोका जा सका। यद्यपि अशोधित तेल के मूल्य 1973 के 5 बार बढ़े हैं फिर भी मिट्टी के तेल के अधिकतम बिक्री मूल्य को कम स्तर पर रखा गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11002/76]

वर्ष 1974-75 के दौरान भारत में औषधियों की खपत और उनका उत्पादन

104. **श्री सोम नाथ चटर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 और 1975 के दौरान भारत में कुल कितने मूल्य की औषधियों की खपत हुई है और इस कुल मूल्य में से कितनी औषधियां आयात की गई और उनका देश में कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) भारत में कार्य कर रही विदेशी औषधी फर्मों ने वर्ष 1974 और 1975 के दौरान कुल कितने मूल्य की औषधियों का उत्पादन किया;

(ग) वर्ष 1974 और 1975 के दौरान सरकारी क्षेत्र 9 की औषध फर्मों ने कुल कितने मूल्य की औषधियों का उत्पादन किया और उनकी कार्य-दशाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक फर्म की वर्ष 1974 और 1975 के दौरान लाइसेंस प्राप्त क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी थी और उस ने प्रत्येक एन्टीबायोटिक औषधि का कितना वास्तविक उत्पादन किया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1974 और 1975 वर्षों के दौरान सूत्रयोगों का कुल उत्पादन क्रमशः 400 करोड़ रुपये और 460 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। ये सूत्रयोग आयातित तथा स्वदेशीय प्रपुंज औषधी से निर्मित किये गये है। उपयोग की गई आयातित और स्वदेशीय प्रपुंज औषधों की मांग के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) 1974-75 और 1975-76 के दौरान हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा निर्मित औषधियों के विक्रय का कुल टर्नओवर क्रमशः 6.63 करोड़ रुपये और 9.45 करोड़ रुपय थे। उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कई समय-बद्ध उपाय किये गये है। कम्पनी से अधिक उत्पादन देने वाले एक नये स्टैप्ट्रोमाईसीन स्टोन का आरम्भ किया है और प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन किया गया है जिसमें संयंत्र में इस स्टेन तथा टैक्नोलोजी सफलतापूर्वक स्थापन करना और क्षमता का उपयोग करके उत्पादन को निरन्तर बनाये रखना संभव हो गया है। इसी प्रकार कम्पनी ने पेनिसीलिन के लिये अधिक उत्पादन देने वाले स्टोन और तकनोलाजी प्राप्त करने के लिये जनवरी, 1976 में जापान के मैसर्स टोयो जोजो कं० लि० के साथ समझौता किया है। जपानी सहयोगियों के तकनीकी विशेषज्ञ एच० ए० एल० में अप्रैल, 1976 से कार्य कर रहे हैं और प्रारम्भिक परिणाम बहुत ही आशाजनक हैं।

1974-75 और 1975-76 के दौरान आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित औषधियों का विक्रय टर्न-ओवर क्रमशः 45.84 करोड़ रुपये तथा 58.69 करोड़ रुपये था। आई० डी० पी० एल० ने 30 प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाये रखी है। इस उद्यम के विभिन्न एककों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनके कार्य में सुधार करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) विदेशों से विकसित स्ट्रेन तथा आधुनिक टेकनोलोजी प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) तकनोलोजी के विकास आयात के प्रतिस्थापन और नये उत्पादों के लिए तकनोलोजी के विकास के लिये अनुसंधान एवं विकास कार्य के प्रयत्नों पर बलपूर्वक जोर दिया जा रहा है।

(3) कई नये उत्पादों को आरम्भ किया जा रहा है।

(4) उपकरणों का सुधार किया जा रहा है तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

(घ) एच० ए० एल० तथा आई० डी० पी० एल० की प्रतिजीवी औषधियों की लाईसेंस की गई क्षमता स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण पत्र

(यूनिट मिलियर्डस)

क्र० सं०	उत्पादन	लाईसेंस युक्त क्षमता	वार्षिक स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन 1974-75	1975-76
	आई० डी० पी० एल०				
1.	पोटाशियम पेंसिलिन (सोल्यूबल)		32,200	4130.58	12471
2.	सोडियम पेंसिलिन . .	18,600	53,000	37323.52	20370
3.	प्रोसेन पेंसिलिन . .	51,150	52,000	17552.42	10403
4.	स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट .	61,200	85,000	45606.72	43646
5.	टैट्रासाइक्लाइन				
	(1) हाईड्रोक्लोराइड .	25,000	12,500	68248.29	21756
	(2) प्यूर बेस . .	23,250	1,300	7265.52	4163
6.	ग्रौक्सी टेट्रासाइक्लाइन	23,250	25,000	41461.65	27321
7.	इस्टाटिन . . .	9,300	46,800	–शून्य–	963
8.	ग्रीसियोफ्यूलविन .	5,580	—	135.45	––शून्य––
	एच० ए० एल०				
1.	पेंसिलिन प्रपुंज	84 एम एम यू	84 एम एम यू	62.83 एम एम यू	64.76 एम एम यू
2.	स्ट्रप्टोमाइसीन प्रपुंज	80-90 मी० टन	80-90 मी० टन	63.37 मी० टन	61.79 मी० टन
3.	हेमीसिन प्रपुंज . .	250 कि० ग्राम	250 कि० ग्राम	0.279 कि० ग्राम	––शून्य–
4.	न्योमीसिन सल्फेट .	2000 कि० ग्राम	500 कि० ग्राम	––शून्य––	––शून्य––
5.	एम्पीसीलिन प्रपुंज .	5 मी० टन	5 मी० टन	195 कि० ग्राम०	439 कि० ग्राम

उष्ण कटिबन्धीय (ट्रापिकल) मीटर गेज रेलें

105. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व भर में उष्णकटिबन्धीय मीटर गेज रेलों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारत से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय रेल संघ द्वारा स्थापित "ट्रोपीकल मीटर आमान वाली रेलों" पर ग्रुप के एक सदस्य के रूप में, भारतीय रेलों से उनकी क्षमता के अनुसार रेलवे सम्बन्धी ज्ञान में हिस्सा बटाने के लिए एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में मीटर आमान वाली रेलों की तकनीकी अनुरूपता पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के संचलन की तकनीकी व्यावहारिकता का अन्वेषण अन्तरमहाद्वीपी आधार पर उपस्कर का मानकीकरण करना है।

उच्च न्यायालयों में मामले

106. श्री आर० एन० बर्मन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या इस समय कितनी है ;

(ख) क्या बकाया मामलों को निपटाने के लिये कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार हमारी विधि-प्रणाली के ढांचे में परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिसके फलस्वरूप मामले इस प्रकार जमा न हों और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मुकदमें लड़ना केवल धनी लोगों का ही विशेषाधिकार न बन जाए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित सांविधानिक परिवर्तनों का प्रभाव उच्च न्यायालयों के कार्य-भार पर पड़ेगा। उच्च न्यायालय के बकाया मामलों से संबंधित समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेजी जा चुकी हैं।

विवरण

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय .	1,08,917	31-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
2. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय .	19,837	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
3. मुम्बई उच्च न्यायालय . .	47,985	31-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनसार
4. कलकत्ता उच्च न्यायालय .	76,787	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
5. दिल्ली उच्च न्यायालय	23,364	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
6. गोहाटी उच्च न्यायालय	6,472	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके . अनुसार
7. गुजरात उच्च न्यायालय .	13,178	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार

8.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	3,257	21-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
9.	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	2,905	31-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
10.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	6,175	31-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
11.	केरल उच्च न्यायालय	44,056	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
12.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	30,380	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
13.	मद्रास उच्च न्यायालय	41,627	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
14.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	6,362	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
15.	पटना उच्च न्यायालय	25,610	31-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
16.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	32,405	31-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
17.	राजस्थान उच्च न्यायालय	15,271	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार
18.	सिक्किम उच्च न्यायालय	25	30-6-76 को जो स्थिति थी उसके अनुसार

रेल गाड़ियों में डकैतियों का संकट

107. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा सर्वतोमुखी प्रगति किये जाने के बावजूद, रेलगाड़ियों में डकैतियों की समस्या को अब तक सफलता पूर्वक हल नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष के दौरान रेल गाड़ियों में कितनी डकैतियां पड़ी; और

(ग) क्या यात्रा कर रहे सशस्त्र पुलिस संरक्षकों को ये आदेश है कि वे डाकुओं को गोली मार दें और यदि हां, तो कितने अवसरों पर डाकू मार दिये गये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अपनाये गये निवारक उपायों के परिणामस्वरूप गाड़ियों में डकैतियों की घटनायें कम हो रही हैं।

(ख) 1-7-1975 से 30-6-1976 तक सभी रेलों पर गाड़ी डकैतियों की 85 घटनाएं हुई हैं।

(ग) कानून व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सशस्त्र पुलिस मार्ग रक्षी केवल निजी सुरक्षा के लिए ही गोली चला सकते हैं। फिर भी, पिछले एक वर्ष के दौरान कोई भी डाकू पुलिस मार्ग रक्षियों द्वारा नहीं मारा गया है।

आनन्द तथा भावनगर के बीच बड़ी लाईन द्वारा रेल-सम्पर्क

108. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड आनन्द तथा भावनगर के बीच बड़ी लाइन द्वारा रेल-सम्पर्क स्थापित करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भावनगर से तारापुर जो पश्चिम रेलवे के आनन्द-कैम्बे बड़ी लाइन खण्ड का एक स्टेशन है, तक एक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है अक्तूबर, 1976 के अन्त तक इन सर्वेक्षण के पूरा हो जाने की आशा है। सर्वेक्षणों के परिणाम पता लगाने के पश्चात् इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायगा जो धन की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कोयला वैगनों को पुनः तौलना

109. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल और गुजरात के उद्योगपतियों ने यह मांग की थी कि गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के बाद कोयला-वैगनों को पुनः तौला जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, ऐसी मांग 23-3-1976 को महाप्रबन्धक, पश्चिम रेलवे के साथ हुई बैठक में, गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल, अहमदाबाद, ने की थी।

(ख) जहां माल कम होने की आशंका हो वहां प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर गन्तव्य स्टेशनों पर दुबारा वजन करके कोयले के परिणामों की सुपुर्दगी देने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

गुजरात में निकाले गए कच्चे तेल पर स्वामित्व (रायल्टी) में वृद्धि

110. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को कच्चे तेल पर स्वामित्व (रायल्ट्री) में वृद्धि करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

(क) और (ख) : मामला अभी भी विचाराधीन है।

भारतीय पेट्रो-रसायन लिमिटेड द्वारा पी० वी० सी० के उत्पादन के लिए लायसेंस

111. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय पैट्रोलियम लिमिटेड को पी० वी० सी० के उत्पादन के लिये लायसेंस देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) (क) और (ख) मामले पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

भारत तथा पाकिस्तान रेल सेवा पर यात्री तथा माल यातायात

112. **श्री नरेन्द्र कुमार साघी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यात्रा के दौरान अब तक कितनी मात्रा में यात्री तथा माल यातायात रिकार्ड किया गया ; और

(ख) क्या सरकार गन्तव्य स्थान तक एक ही टिकट जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और क्या इस संबंध में कई कठिनाइयां सामने आ रही हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 22-7-76 से 2-8-76 की अवधि के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच यात्री यातायात इस प्रकार हुआ :--

	यात्रियों की संख्या
(1) भारत से पाकिस्तान	1003
(2) पाकिस्तान से भारत	845

अभी तक माल यातायात नहीं हुआ ।

(ख) दोनों देशों के बीच इकतरफा थ्रू टिकट जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हैं। वर्तमान प्रणाली के अधीन माल तथा यात्री बुकिंग के संबंध में दोनों देशों के बीच कोई वित्तीय समायोजन अन्तर्ग्रस्त नहीं और चालू प्रणाली को जारी रखने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है ।

बम्बई हाई से निकले कच्चे तेल का वाणिज्यिक उपयोग

113. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से निकालने वाले कच्चे तेल, जिसका आगामी छः महीनों के दौरान विक्रय किया जायेगा, कि किस्म तथा मात्रा सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इस स्रोत से कच्चे तेल के अतिरिक्त काफी मात्रा में गैस भी उपलब्ध हैं; यदि हां, तो उसका कैसे उपयोग किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) बाम्बे हाई से प्राप्त अशोधित तेल उच्च कोटि का और इसका ए० पी० आई० गुरुत्वाकर्षण 38.1 से 38.4 तक है और इसमें 6% हल्के और मध्य आसुत हैं। यह सफर रहित है। अगले 6 मास में बाम्बे हाई से 0.5 मिलियन मीटरी टन तेल के उत्पादन और बिक्री करने का अनुमान है ।

(ख) इस समय 1,50,000 क्यूबिक मीटरी टन प्रतिदिन सम्बन्धित गैस क्षमता के उत्पादन का अनुमान है। इस में से कुछ मात्रा उत्पादन प्लेट फार्म संक्रियाओं के लिये विद्युत्त के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और शेष गैस जला दी जाती है।

विकास-गतिविधियों हेतु रेलवे के लिए अतिरिक्त धन

114. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस अतिरिक्त धन का अनुमान लगाया है जो कि रेलवे के लिये वर्ष 1976-77 के लिये पैदा किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त अतिरिक्त धन विकास गतिविधियां आरम्भ करने के लिये पर्याप्त होगा, और यदि नहीं; तो रेलवे के कार्यकरण तथा विकास के लिये रेलवे की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क), (ख) और (ग) : मार्च, 1976 में संसद द्वारा अनुमोदित रेलवे के 1976-77 के बजट में 8.98 करोड़ रुपये के अधिशेष की परिकल्पना की गयी थी। यह अधिशेष 1976-77 में विकास निधि को प्रभारित होने वाले 17.50 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के लिए धन देने के वास्ते पर्याप्त नहीं है। धन की बकाया जरुरतें सामान्य राजस्व से ऋण प्राप्त करके पूरी की जायेंगी, जैसा कि बजट में प्रत्याशा की गयी थी। चालू वर्ष के पहले तीन महीनों में आमदनी का रुख संतोषजनक रहा है लेकिन वर्ष के वित्तीय परिणामों का ठीक-ठीक अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता। रेलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए रेलों की आमदनी बढ़ाने और खर्च को नियंत्रित करने के लिए निरन्तर कार्रवाई की जा रही है।

होस्टेलेन के उत्पादन में गिरावट

115. **श्री वयालार रवि :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में होस्टेलेन के उत्पादन में जो हाई डेन्सिटी पोलिथिलीन है, में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) :

(क) 1975 में एच० पी० पी० ई० का उत्पादन 1974 की तुलना में लगभग 1,800 मी० टन कम हुआ। 1976 के प्रथम अर्द्धांश के दौरान अनुपातिक आधार पर 1975 के पूर्ण वर्ष के उत्पादन की उपेक्षा कम हुई।

(ख) कम उत्पादन के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) इथलीन कच्चे माल की कम उपलब्धता ; और

(ii) महाराष्ट्र राज्य द्वारा लागू की गई विद्युत्त कटौती ;

(ग) एच० डी० पी० ई० की उपलब्धता को आयात द्वारा बढ़ाने के लिये उपाय किये गये है।

होस्टेलेन का उपलब्ध न होना

116. **श्री वयालार रवि :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है कि होस्टेलेन जो एक हाई डेन्सिटी पोलिथिलीन है, छोटे पैमाने के निर्माताओं को उपलब्ध नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह काले बाजार में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इसके उचित मूल्य पर वितरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क), (ख) और (ग) : उच्च धनत्व वाली पोलिथिलीन को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा सरकार को इसकी कमी की सूचना दी गई है । इस मद की कमी की स्थिति को दूर करने के लिये सरकार ने जून, 1976 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसके लिये इस मद के आयात को उदार बनाया गया है । इस उपाय से वितरण सम्बन्धी समस्या का भी समाधान हो जायेगा । क्योंकि वास्तविक उपभोक्ता प्राधिकृत पत्र के माध्यम से आयात करने में सीधे समर्थ होंगे। उपभोक्ता का स्थानीय उत्पादित होस्टालन (एच० पी० पी० ई०) के आवंटन के लिये एच० पी० पी० ई० के उत्पादकों को मार्ग सूचक सिद्धान्त भी जारी किये गये है।

भारतीय उर्वरक निगम के एककों द्वारा क्षमता का उपयोग

117. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के एककों में चालू वर्ष की पहली तिमाही में क्षमता का कितना उपयोग हुआ और विगत वर्ष की तुलना में यह कितना न्यानाधिक रहा;

(ख) क्या माल बराबर उठाया जा रहा है या कि उत्पादन केन्द्रों पर स्टाक जमा हो रहा है; और

(ग) यदि उत्पादन केन्द्रों पर स्टाक जमा हो रहा है तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) अपेक्षित सूचना देते हुए विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) और (ग) : 1-7-1976 को भारतीय उर्वरक निगम के उत्पादन केन्द्रों के पास 16,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 4,900 मीटरी टन फास्फेट का कुल भण्डार था। भारतीय उर्वरक निगम के चालू उत्पादन स्तर पर यह भण्डार दो सप्ताह के नाइट्रोजन उत्पादन और छः सप्ताह के फास्फेट का उत्पादन प्रकट करता है जो असामान्य नहीं समझा जाता।

विवरण

भारतीय उर्वरक निगम के एककों का उत्पादन और क्षमता उपयोग

(आंकड़े '000 मीटरी टनों में)

एकक का नाम	निर्धारित क्षमता अप्रैल से जून 1976 के लिए	अप्रैल जून उत्पादन		%क्षमता उपयोग	
		1975	1976	1975	1976
(क) नाइट्रोजन					
(1) सिन्दरी	22.5	7.5	6.1	47.1	41.8
(2) नांगल	20.0	13.5	18.4	69.0	93.4
(3) ट्राम्बे	20.2	10.0	20.0	57.3	111.6
(4) गोरखपुर	26.5	9.6	18.9	48.0	71.6
(5) नामरूप	11.2	10.9	11.8	98.7	107.6
(6) दुर्गापुर	38.0	9.3	10.8	24.5	30.0
जोड़	138.4	60.8	86.0	50.0	67.3
(ख) फास्फेट					
(1) ट्राम्बे	9.0	5.6	9.9	62.2	110.0

1976-77 की प्रथम तिमाही के दौरान पूर्णारूप से एफ० सी० आई० द्वारा नाइट्रोजन और फास्फेट का उत्पादन 1975-76 की प्रथम तिमाही की अपेक्षा क्रमशः 41.4% और 76.7% अधिक था। 1976-77 की प्रथम तिमाही के दौरान गत वर्ष के तदनरूपी अवधि के दौरान नाईट्रोजन के उत्पादन में 17.3% और फास्फेट के उत्पादन में 47.8% की वृद्धि हुई।

नोट 1–(i) क्षमता के उपयोग औद्योगिक नाइट्रोजन सहित नाइट्रोजन के कुल उत्पादन के आधार पर निकाला गया है।

(ii) नामरुप के विस्तार के प्राप्त उत्पादन को 1976-77 की प्रथम तिमाही की क्षमता और उत्पादन के आकड़ों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ; संयंत्र अप्रैल, 1976 में चालू हुआ और उत्पादन में स्थिरता लाई जा रही है।

तेल का वाणिज्यिक उत्पादन

118. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई तट-दूर क्षेत्रों में तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है; और यदि हां, तो कब से और प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितना-कितना उत्पादन हो रहा है; और

(ख) प्रत्येक स्थल पर क्षमता के पूरे प्रयोग तथा कच्चे तेल को तेल शोधक कारखानों तक पहुंचने के कार्यों में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख) बम्बई हाई क्षेत्र से 21 मई, 1976 को वाणिज्यिक तेल उत्पादन आरम्भ हुआ था और इस समय उत्पादन की प्रतिदिन लगभग 10,000 बेरिल की क्षमता है। प्रतिदिन लगभग 40,000 बेरिल की उत्पादन क्षमता की इस वर्ष के अन्त तक स्थापित करने की संभावना है। इस क्षेत्र की प्रतिदिन लगभग 200,000 बेरिल, की अधिकाम क्षमता की संभावना है जिसे अगले तीन चार वर्षों में प्राप्त करने की संभावना है ।

टैंकरों के जरिये शोधनशाला तक अशोधित तेल के पहुंचाने के लिये उत्पादन प्लेटफार्म के निकट एक सिंगल बुयाय मूरिंग पद्धति स्थापित की गई है।

कोंकण रेलवे के लिए महाराष्ट्र सरकार का योगदान

119. **श्री अनन्तराव पाटिल**
श्री मधु दण्डवते } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने धन की कमी के कारण कोंकण रेलवे के काम को आगे बढ़ाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस अति महत्वपूर्ण रेल-लाइन के निर्माण कार्य को करने के लिये कुछ राशि का योगदान देने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के रेल-सम्पर्कों को प्राथमिकता देने का है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रस्तावित रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आप्ता से दासगांव तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और दासगांव से मंगलौर तक का सर्वेक्षण कार्य हो रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आप्ता-दासगांव रेल सम्पर्क का इंजीनियरिंग एवं यातायात तथा वित्तीय मूल्यांकन कर लिया जाये। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पंचवर्षी योजना में इसे हाथ में लिया जा सके इसके लिए आप्ता से मंगलोर तक रेलवे लाइन के प्रस्ताव को योजना आयोग को भेजी गयी नयी लाइनों की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। बशर्ते वह इसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करें।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार सूखा राहत उपायों के रूप में आप्ता दासगांव रेल सम्पर्क पर मिट्टी डालने का कुछ काम पहले ही शुरु कर चुकी है। जब भी इस के निर्माण कार्य को शुरु करने के बारे में निर्णय किया जायेगा, राज्य सरकार को इस रेल सम्पर्क के निर्माण में समुचित रूप से भाग लेने के लिए कहा जायेगा। इस बारे में सर्वेक्षण पूरा होने तथा रिपोर्टों की जांच होने के पश्चात् निर्णय किया जा सकता है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता में सुधार होने पर ही पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक नयी रेल लाइनों का निर्माण का शुरु करना सम्भव हो जायेगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के बारे में दामले समिति की सिफारिश

120. श्री के० एम० मधुकर : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के बारे में दामले समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) पैट्रोलियम उत्पाद वितरण व्यवस्था पर दामले समिति ने अपनी रिपोर्ट पैट्रोलियम मंत्री को 1 जलाई, 1976 को प्रस्तुत की थी।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11003/76]

ईरान में रेल-निर्माण हेतु भारतीय ऋण

121. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री आर० के० सिन्हा } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या ईरान ने अपने यहां रेलवे लाइन के निर्माण पर, जिससे दोनों देशों के मध्य रेल सम्पर्क का कार्य पूरा हो जायेगा, वित्त लगाने के लिये भारत से 800 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालयों में लम्बित आपराधिक मामलों पर नजर रखने के लिए समितियां

122. श्री डी० के० पंडा : क्या विधि न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में लम्बित आपराधिक मामलों की संख्या पर नजर रखने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से जिला तथा राज्य स्तरों पर देखभाल समितियां बनाने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस उपाय के परिणामस्वरूप मामलों का निपटारा तेजी से होने लगा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) देखभाल समितियां बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह , गोवा, दमण और दीव , पांडिचेरी और लक्षद्वीप में गठित की गई हैं। ऐसी समितियों को गठित करने के मामले पर आन्ध्र प्रदेश, आसाम , गुजरात, हरियाणा कर्नाटक, महाराष्ट्र उड़ीसा, तमिलनाडु और दिल्ली की सरकारें सक्रियता से विचार कर रही हैं।

(ग) समितियाँ गठित करने का सुझाव फरवरी, 1976 में ही दिया गया था अत: इतनी जल्दी उसके परिणामों की आशा नहीं की जा सकती।

केरल में तेल की खोज

123. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेल की खोज करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं। हाइडोकर्क्स के एकत्रण के लिये कोई तलछट उपयुक्त नहीं पाया गया है।

केरल में रसायन सन्यन्त्रों की स्थापना का प्रस्ताव

124. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने रसायन संयंत्रों की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी , स्थान-वार, मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क), (ख) और (ग) 30 एम० एम० यू० की वार्षिक क्षमता के साथ विटामिन ए० के उत्पादन के लिए केरल राज्य के अम्बापूजा में नए उपक्रम की स्थापना हेतु केरल राज्य औषध और फार्मेस्यूटीकल्स लि० एलेपी द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मैसर्स केरल मिनरल एवं मैटल्स लि० को क्विलन में 48000 मीटरी टन प्रति वर्ष टिटेनियम डाईआक्साइड के उत्पादन की क्षमता के लिये एक आशयपत्र जारी किया गया है। इस प्रायोजना के लिये विदेशी सहयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है? मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को भी अलेपी जिले म 7500 मीटरी टन फार्मालडीहाईड उत्पादन क्षमता के लिये एक आशयपत्र दिया गया है: आश्य पत्र की वैधता 18-9-1976 तक बढ़ा दी गई है।

कोचीन तेल शोधन कारखाने का विस्तार

125. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में कोचीन तेल शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कितनी क्षमता बढ़ाये जाने की आशा है और कब तक ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) अगस्त, 1973 में कोचीन रिफाइनरी की क्षमता प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मी० टन से 3.3 मिलियन मी० टन तक वृद्धि की गई है। सरकार के पास इस समय क्षमता का विस्तार करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भू-भौतिकी तथा भूकम्पीय सर्वेक्षण

126. **श्री राजदेव सिंह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में व्यापक भू-भौतिकी सर्वेक्षण और भू-विज्ञान की दृष्टि से तेल के भूकम्पीय चित्र लेने (सीसमिक शूटिंग आफ जियोलाजिकल हारीजन्स) जिसके बारे में पहले बचन दिया गया था, क्या कार्य शुरु हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या तेल की खोज के कार्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क), (ख) जी, हां, काम चल रहा है और विभिन्न सर्वेक्षण दलों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : यद्यपि तेल की खोज की विशेषता में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है तथापि जहां अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है, विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें सीमित संख्या में प्राप्त की जाती हैं।

बहुत से उपकरण आयात करने पड़ते हैं। तथापि डिजिटल भूकम्पीय एककों, विशिष्ट लागिंग यूनिटों, एयर-बोर्न-मैग्नेटिक सर्वेक्षण उपकरणों और ड्रिलिंग रिगस आदि के स्वदेशी निर्माण के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह कहना कठिन है कि कब देश तेल खोज के उपकरणों में आत्म-निर्भर हो सकेगा।

तलचेर में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

127. श्री राजदेव सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना पूरा हो जाने पर न केवल भारत में बल्कि विश्व में कोयले पर आधारित सबसे बड़ा कारखाना होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयले के बहुत बड़े भण्डार को देखते हुए कोयले पर आधारित और अधिक उर्वरक कारखाने का लगाने का है; और

(ग) तलचेर में किस किस्म के उर्वरक का उत्पादन होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) तालचर, रामागुण्डम और कोरबा में प्रति वर्ष 495,000 मी० टन यूरिया की समान क्षमता वाले कोयले पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। जहां तालचर और रामागुण्डम प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन अग्रिम स्तर पर है और जुलाई, 1977 तक तालचर प्रायोजना के आरम्भ होने की आशा है वहां संसाधनों की कठिनाई के कारण कोरबा प्रायोजना में विलम्ब हो गया है।

दक्षिण अफ्रीका में मोडरफोन्टेन स्थित कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहा है। जिसकी क्षमता तालचर प्रायोजना के बाराबर है।

(ग) सरकार की यह नीति है कि उर्वरक का उत्पादन, जहां तक सम्भव हो, स्थान और अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोयले सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध सम्भरण सामग्री पर आधारित होना चाहिये।

औषध-एककों को औद्योगिक लायसेंस देना

128. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार नये एककों तथा विद्यमान एककों को औद्योगिक लाईसेंस आयातित तथा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगवाया गया कच्चा माल किस आधार पर देने का है;

(ख) क्या इस बारे में कोई नीति निर्धारित करने के लिये सरकार किसी कम्पनी के समूचे विदेशी मुद्रा-व्यय को विचार में रखेगी अथवा यह मामला केवल आयातित कच्चे माल तक ही सीमित होगा ; और

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान कितने मामलों में औद्योगिक लायसेंस देने से इन्कार किया गया जबकि आयात व्यापार नियन्त्रण पुस्तक में एक स्पष्ट नीति पहले ही से विद्यमान है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस देने से संबंधित नीति उद्योग के लिए मार्गदर्शन प्रकाशन में दी गई हैं जो प्रति वर्ष प्रकाशित होता हैं जो समूल्य प्रकाशन है। कच्चे माल का आयात और सारणीबद्ध कच्चे माल की मुक्ति

की, समय-समय से लागू, आयात व्यापार नियन्त्रण नीति में व्यवस्था की गई है। यह उपर्युक्त शीर्षक से पुस्तिका के रूप में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार विदेशी औषध उत्पादक एककों के विस्तार की नियमित रूप देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए विदेशी फर्मों की सामान्यत: औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए जाते है बशर्ते कि उसे प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ मिलाया न जाए ;

(2) क्षमता में विस्तार अथवा नए कार्यकलाप की अनुमति के लिए शर्त के अनुसार उन्हें कहा गया है कि अधिक मूल स्तरों से प्रपुंज औषधों का उत्पादन करें और अपने प्रपुंज औषध उत्पादन का उचित भाग देश में गैर-संगठित सूत्रयोगताओं को उपलब्ध करें ।

(3) जब उन्हें उत्पादन कार्यकलापों के विस्तार की अनुमति दी जाती है तब विदेशी साम्य पूंजी साझेदारी भारतीय शेयरधारित की तदनुरुपी वृद्धि के बराबर कटौती की जाती है ।

जहां तक औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र का संबंध और औषध भेषज उद्योग पर समिति द्वारा उदार नीति की सिफारिश की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि 8-5-75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। भारतीय कम्पनियों को अधिक प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखकर हाल ही में सरकार ने इस बात को अपनाया कि भारतीय पार्टियों से सूत्रयोग लाइसेंस आवेदन पत्रों पर विचार करते समय प्रपुंज औषध उत्पादन को ऐसे सूत्रयोगों के साथ मिलाना अपेशित नहीं है बशर्ते कि उनका सूत्रयोग कार्यकलाप प्रपुंज औषध उत्पादन के 1:10 अनूपात में हैं। औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्रों पर चालू लाइसेंस नीति को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है । ऐसे लाइसेंसिंग आवेदन पत्रों की जांच करने में एक तरीका है कि यह देखा जाता है कि आवेदन दिए हुए विषयों में आयात विषय कितने शामिल हैं ।

उड़ीसा और कलकत्ता को नमक ले जाने के लिए वैगन

129. डा० के० एल० राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण आन्ध्र प्रदेश से उड़ीसा और कलकत्ता को नमक का भेजा जाना बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। सरकार के निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए अपेक्षित सारा नमक सिर्फ-समुद्र के रास्ते ढोया जाना है। उड़ीसा में गंतव्य स्थानों को जाने वाले नमक, जो आन्ध्र प्रदेश के नमक लदान वाले स्टेशनों पर लाया जाता है, के लिए डिब्बों की मांग होते ही उन्मुक्त रूप से दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

यात्री गाड़ियों का दुर्घटना ग्रस्त होना

130. **श्री समर मुकर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 से जुलाई, 1976 के बीच कुल कितनी यात्री गाड़िया दुर्घटनाग्रस्त हुई ;

(ख) इनके परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी क्षति हुई ; और

(घ) इन दुर्घटनाओं में ग्रस्त लोगों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय सरकारी रेलों म 1-1-1973 से 15-7-76 तक की अवधि में सवारी गाड़ियों के टकराने, पटरी से उतरने, समपारों पर सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की विभिन्न कोटियों के अन्तर्गत 1074 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 579 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 1,768 व्यक्ति घायल हुए ।

(ग) रेल सम्पत्ति जैसे चल स्टाक और रेल पथ आदि को लगभग 1,80,99,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(घ) (1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत इन गाड़ी दुर्घटनाओं के फलस्वरूप शिकार हुए व्यक्तियों को अब तक 84,86,621 रुपये 02 पैसे की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(2) कर्मकार मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये रेल कर्मचारियों तथा घायलों को दिये गये मुआवजे के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बल्क औषधियों के बनाने में 'डाई इन्टर-मीडिएट्स' का प्रयोग

131. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधियों के बनाने में विदेशी फर्मों द्वारा किन 'डाई इन्टरमीडिएट्स' का प्रयोग किया जाता है;

(ख) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली उन फर्मो के नाम क्या हैं जो बल्क औषधियों और डाईजल कीटनाशक औषधियां बनाती हैं, उन्हें दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों , बल्क औषधियों, 'डाइज' / कीटनाशक औषधियों के बनाने में उन के द्वारा प्रयोग में लाये गये 'इन्टर मीडिएट्स' और गत तीन वर्षो के उनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि 'डाइज' / कीटनाशी औषधियों के लिए व्यय सीमा शुल्क पर आयतित अनेक 'हाईज इन्टरमीडिएट्स' का उपयोग सुरक्षित उपभोग हेतु बल्क औषधियों के उत्पादन में किया गया और यदि हां, तो ऐसे 'डाई' इंटरमीडिएट्स के नाम क्या हैं । और विदेशी फर्मो द्वारा अपनायी गयी इस गलत प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विदेशी तेल कम्पनियों को सरकारी अधिकार में लेना

132. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सभी विदेशी तेल कम्पनियां को सरकारी अधिकार में लेने का निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या ये तेल कम्पनियां सरकारी राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों में मिल जायेंगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) सरकार द्वारा दो विदेशी तेल कम्पनियों, अर्थात् एस्सो एवं बर्मा शैल, को अपने अधिकार में ले लिया गया है । दो विदेशी कम्पनियों अर्थात् कालटैक्स तथा असम आयल कम्पनी को अधिकार में लेने के बारे में बातचीत चल रही है ।

(ख) अन्ततः समस्त वर्तमान तेल कम्पनियां सरकारी क्षेत्र में आ गई हैं। सुविधाओं का अधिकतम उपयोग एवं उपभोक्ताओं की अच्छी सेवा करने के लिये तेल उद्योग का पुनर्गठन आवश्यक है। कालटैक्स एवं असम तेल कम्पनी के साथ विचार-विमर्श पूर्ण हो जाने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

जून 1976 में रेलवे अभियन्ताओं के मकानों की तलाशी

133. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जून, 1976 के प्रारम्भ में रेलवे के अधिशासी अभियन्ताओं के मकानों की तलाशी ली थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेलवे जोनों में किन-किन स्थानों पर तलाशी ली गई ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड के कुछ उच्च अधिकारी भी इसमें अन्तर्गस्त हैं अथवा किसी का उनसे सम्पर्क का पता लगा है अथवा अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों से उनका सम्बन्ध है; और

(घ) तलाशियों के क्या निष्कर्ष निकाले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : जून, 1976 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रेलवे के किसी भी कार्यकारी इंजीनियर के घर की तलाशी नहीं ली गयी थी। लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर रेलवे के एक कार्यकारी इंजीनियर से सम्बन्धित अपने 1-4-76 को जो तलाशी ली गयी थी उसके बारे में 3-6-76 को एक प्रेस समाचार दिया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है।

प्रभागीय एवं क्षेत्रीय रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों का गठन

134. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) जोन-वार प्रत्येक प्रभाग में प्रभागीय रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्रीय रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के, संसद सदस्यों के नामों सहित, नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त समितियों में नाम-निर्देशित करने का तथा उनके गठन की कसौटी क्या है ;

(ग) क्या संसद् के वर्तमान सदस्यों को इन समितियों का सदस्य नहीं बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अनुबंध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गयी है। (अंग्रेजी में)।

(ख) रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में नामन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि रेल उप योगकर्ताओं के विभिन्न मान्य एवं महत्वपूर्ण समूहों का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके। मण्डलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति तथा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति दोनों का विधान अनुबंध 'ख' के रूप में संलग्न है (अंग्रेजी में)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11004/76]

(ग) और (घ) इन समितियों में संसद् सदस्यों का नामन संसदीय कार्य मंत्रालय की सिफारिशों पर किया जाता है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

परिष्कृत रसायनों के निर्माण लिए औद्योगिक लाइसेंस देना

135. श्री नानूभाई एन० पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध निर्माण करने वाली कितनी विदेशी कम्पनियों को परिष्कृत रसायनों का निर्माण करने के औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं और क्या उन्हें समेकित क्षमताओं के लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) उन्हें और औद्योगिक लाइसेंसों में किन-किन परिष्कृत रसायनों के कितनी-कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये **गये हैं** और गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ है, और

(ग) क्या परिष्कृत रसायनों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है और इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में इनके मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) औषधों का निर्माण करने वाली निम्नलिखित विदेशी कंपनियों को उत्तम रसायनों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं।

(1) मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि० बंबई

(2) मैसर्स ई० मर्क (इंडिया) प्रा० लि०, बंबई।

(3) मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान लि० बंबई ।

(4) मैसर्स सन्डोज (इंडिया) लि० बंबई

(ख) ग्रौद्योगिक लाइसेंस में स्वीकृत किये गये उत्तम रसायन की मदों के नाम स्वीकृत क्षमता ग्रौर गत तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :—

कंपनी का नाम	मद का नाम ग्रौर क्षमता	उत्पादन		
		1973	1974	1975
मैसर्स ग्लैक्सों लेबोरेटरीज (इंडिया) लि० बंबई	लेबोरेटरी रसायन रीजेन्टस इन ग्रार्गनिक मैटेलिक साल्ट, कार्बनिक रसायन इलैक्ट्रोनिक ग्रेड रसायन ग्रौर स्पैक्ट्रो क्सोपी वाई कैमीकल ग्रौर इन्डीकेटर डाईज-360 मी० टन /प्रतिवर्ष के लिए सोलवैन्ट्स	131240 (7 माह)	195420 (11 माह)	130010 कि० ग्रा०
मैसर्स ई० मर्क (इंडिया) प्रा० लि० बंबई	उत्तम, तकनीकी ग्रौर फार्मास्यूटिकल रसायन रीजैन्टस लेबोरेटरीज कैमीकलस माइक्रो स्कोपीकल स्टेन्स ग्रौर इन्डीकेटर पेपर	सोलिड 5536 कि० ग्रा०	9578 कि० ग्रा०	7812 कि० ग्रा०
मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान लि० बंबई	मैन्थोल 200 मी० टन/ प्रतिवर्ष 324000 पौंण्ड 147 टन प्रति वर्ष	84301 कि० ग्रा०	50326 कि० ग्रा०	56260 कि० ग्रा०
मैसर्स सेन्डोज (इंडिया) लि० बंबई	थियोग्लाइकोलिक एसिड 60 टन प्रतिवर्ष	ग्रभी तक कोई उत्पादन नहीं किया है।		

(ग) उत्तम रसायनों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। गत 3 वर्षों के दौरान इन कंपनियों के द्वारा उत्तम रसायनों पर ग्रत्यधिक लाभ लेने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं ग्राया है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत औषधियों के मूल्य

136. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) फिजर सीवा, जीजी, सिनामाइड, वीथ आर्गानन ग्रौर आई० डी० पी० एल० ने ग्रौषध मूल्य नियंत्रण ग्रादेश, 1970 के ग्रन्तर्गत कितनी बल्क ग्रौषधियों के मूल्य घोषित किये हैं ;

(ख) ये मूल्य कब घोषित किये गये थे ग्रौर क्या बी० ग्राई० सी० पी० द्वारा लागत सम्बन्धी जांच के ग्राधार पर बाद में मूल्यों में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ग) क्या घोषित मूल्य अत्यधिक है और निकट भविष्य में सरकार का विचार इन औषधियों की लागत की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) उन प्रपुंज औषधों की संख्या जिनके मूल्यों की घोषणा संबंधित कंपनियों द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत या तो उक्त आदेश की घोषणा के समय की गई थी अथवा बाद में की गई थी, निम्न प्रकार है :—

फाइजर	3
सीबा गेबी	27
साइनामाइड	2
वैयथ	19
ओर्गनोन	14
आई० डी० पी० एल०	21

(ख) इन कंपनियों के संबंध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों के घोषित मूल्यों और अन्य प्रपुंज औषधों के मूल्यों जिनकी घोषणा बी० आई० सी० पी० की सिफारिशों पर सरकार द्वारा स्वीकृत कच्चे माल की अधिक लागत के आधार पर बाद में की गई थी को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिये** संख्या एल० टी० **11005/76**]

(ग) और (घ) उपरोक्त छः कंपनियों द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों के मूल्यों की जांच करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के औषध एककों के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव

137. **श्री नानू भाई एन० पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में औषध निर्माण करने वाले एककों के पांचवीं योजनावधि में विस्तार सम्बन्धी क्या प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं का कोई लागत-लाभ विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की विटामिन 'सी०' परियोजना की प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्यिक उत्पादन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) औषधों का उत्पादन करने वाले दो सरकारी क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

आई० डी० पी० एल०
1. सूत्रयोग एकक (नया)
2. निकोटीनामाइड संयंत्र (नया)
3. एंटीबायोटिक्स प्लांट
4. सिनथेटिक ड्रग प्लांट

इन प्रस्तावों में से निकोटीनामाइड संयंत्र और एस० डी० पी० विस्तार चरण-II की स्थापना की सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृति दी गई है।

एच० ए० एल०
1. इरीथ्रोमीसिन
2. स्ट्रेप्टोमाइसिन विस्तार
3. सूत्रयोग चरण-II
4. पेंसिलिन विस्तार
5. एम्पीसैलिन विस्तार
6. जेंटामाइसिन
7. औद्योगिक इन्जीम्स

(ख) सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति से पहले प्रायोजना की सभी पहलुओं जैसे कि मांग, उपलब्धता, लागत लाभ, विदेशी मुद्रा में बचत, आयात प्रस्थापन आदि की जांच की जाती है। सरकार द्वारा स्वीकृत निकोटीनामाइड प्रायोजना और एस० डी० पी० चरण-II विस्तार के बारे में निहित लागत लाभ नीचे दिए गए हैं :—

प्रायोजना	वसूली की अन्तरिक दर	लगाई गई पूंजी पर वसूली	साम्यपूंजी पर वसूली
एस० डी० पी० विस्तार चरण-II	20%	12.1%	30.7 %
निकोटीनामाइड संयंत्र	9.31%	15.15%	35.89 %

(ग) विटामिन सी के उत्पादन के लिए एच० ए० एल० ने नैशनल कैमिकल लाइबोरेटरी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाया है। चूंकि एच० ए० एल० को कुछ प्रौद्योगिकी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र कम्पनियों ने, एच० ए० एल० को अपने विटामीन सी संयंत्र की निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी सहायता देना चाहते थे। इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कुछ प्रारम्भिक कार्य किया गया है।

बंगलौर और गुंटकल के बीच ब्राडगेज लाइन

138. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) बंगलौर और गुंटकल के बीच ब्राडगेज लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कार्य निष्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुल मिलाकर 42 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) काम प्रगति पर है और धन की सीमित उपलब्धता के कारण इसे 1980 तक पूरा हो जाने की आशा है।

मंगलौर फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड से नदी एवं समुद्र के जल के संदूषण को रोकना

139. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा नदी एवं समुद्र के जल के सन्दूषण को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, और

(ख) क्या यह उपाय सरकार की दृष्टि से प्रर्याप्त हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) मंगलौर उर्वरक संयंत्र से मल निस्सारी के परीक्षण किए जा रहे है ताकि नदियों के पानी में छोड़े जाने वाली मल निस्सारी के लिए आई० एस० आई० द्वारा निर्धारित मानदण्ड को सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा के बाद मल निस्सारी समुद्र में छोड़ी जायेगी।

मल निस्सारी को छोड़ने और परीक्षा के लिए कम्पनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं, पानी प्रदूषण के नियंत्रण और सुरक्षा के लिए कर्नाटक राज्य बोर्ड और कर्नाटक सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। कालेज आफ फिशरीज़ मंगलौर द्वारा भी लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि समुद्र में प्रदूषण अथवा परिस्थिति विज्ञान में बाधा न हो।

नई रेलवे लाइनें बिछाने और कोंकण रेलवे परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था

140. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या संसाधनों के अभाव के कारण पांचवीं योजना के दौरान नयी रेलवे लाइनों का निर्माण नहीं किया जा सकता ;

(ख) क्या इस बारे में योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि और यदि हां, तो हाल ही में किये गये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है, और इस संबंध में योजना आयोग की क्या प्रति-क्रिया है ;

(ग) कोंकण रेल परियोजना में धन के अभाव में कार्य की हानि को रोकने के लिये क्या प्रयास किये गये है; और

(घ) परियोजना की निर्धारित समय में क्रियान्विति के लिये आवश्यक धनराशि प्राप्त करने की क्या संभावनाएं है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए योजना आयोग ने 100 करोड़, रुपये की राशि आबंटित की है। किन्तु यह रकम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त होगी जिसमें चौथी योजना के शेष तथा पांचवीं योजना के अब तक स्वीकृत निर्माण कार्य शामिल है। योजना आयोग को लिखा गया था कि वह देश के पिछड़े क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण के लिए 255 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आबंटन करे। किन्तु वह ऐसा करने में असमर्थ रहा है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आप्टा से दासगांव तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और दासगांव से मंगलौर तक का सर्वेक्षण कार्य हो रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आप्टा-दासगांव रेल सम्पर्क का इंजीनियरिंग एवं यातायात तथा वित्तीय मूल्यांकन कर लिया जाये। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना में इसे हाथ में लिया जा सके, इसके लिए आप्टा से मंगलौर तक रेलवे लाइन के प्रस्ताव को, योजना आयोग को भेजी गयी नयी लाइनों की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है और उससे अनुरोध किया गया था कि उनके लिए अतिरिक्त निधि आबंटित करे। योजना आयोग ने पांचवीं योजना को अभी अन्तिम

रूप नहीं दिया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप दिये जाने तथा अनुमोदित हो जाने के बाद ही इस योजना के लिए अपेक्षित रकम की संभावनाओं का पता चल सकेगा।

बम्बई-नागपुर-कलकत्ता लाइन पर जनता एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव

141. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार भारी यातायात को देखते हुए मध्य रेलवे की बम्बई-नागपुर-कलकत्ता लाइन पर दूसरे दर्जे के यात्रियों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बम्बई-नागपुर-कलकत्ता लाइन पर यात्री यातायात आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस लाइन पर बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यात्री आमदनी खंडवार अलग से नहीं रखी जाती।

(घ) 29/30 बम्बई-हावड़ा-एक्सप्रैस का डीजलीकरण हो चुका है और उनमें तीन सवारी डिब्बे और लगाये गये हैं। 1-10-76 से 133/134 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रैस का आवागमन सप्ताह में एक बार से बढ़ा कर दो बार करने का प्रस्ताव है जो इस मार्ग अर्थात् भुसावल-हावड़ा के अधिकांश भाग की सेवा करेगी।

अत्यावश्यक औषधियों के मूल्य

142. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति के दौरान बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्मित अत्यावश्यक औषधियों, पेटैंट औषधियों, और अन्य दुर्लभ औषधियों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है लेकिन बाजार में इनकी सप्लाई बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बहु-राष्ट्रीय एककों द्वारा आपात-काल स्थिति से पूर्व और बाद में निर्मित महत्वपूर्ण औषधियों की मूल्य सूची का ब्यौरा क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। यह आदेश औषधों के मूल्यों को उचित स्तर पर निर्धारित करने की व्यवस्था करता है। उपरोक्त फार्मूला के अनुसार सरकार ने आवश्यक औषधों, पेटेन्ट औषधों की श्रेणी में आने वाले औषध सूत्रयोगों और सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र की कम्पनियों और आपातकालीन स्थिति लागू होने के पश्चात् 40% से अधिक विदेशी साम्यपूंजी वाली कंपनियों द्वारा निर्मित अन्य औषधों के मूल्यों में संशोधन कर दिया है। इसके अतिरिक्त निर्यातकों को दवाइयों और दवाई

संबंधी अन्य उत्पादों के मूल्यों में 16 मार्च, 1976 से लगाये गये उत्पाँद शुल्क की माता के बराबर संशोधन करने की अनुमति दी गई थी।

जुलाई, 1975 से जून, 1976 तक औषधों और दवाईयों के औसत मासिक थोक बिक्री मूल्य पर स्वीकृत वृद्धि का प्रभाव निम्न प्रकार है :––

माह	सूची
जुलाई, 1975	213.6
मार्च, 1976	213.8
अप्रैल, 1976	236.6
मई, 1976	237.2
जून, 1976	243.0

औषधों की अत्यधिक कमी अथवा सामान्य कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि कभी-कभी राज्य औषध नियंत्रक से किसी 2 दवाइयों की कम सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर सरकार द्वारा मामले की संबंधित निर्माता तक उठाया जाता है और स्थिति को शीघ्र सुधारा जाता है।

(ग) लगभग 65 औषध निर्माता कम्पनियों के पास विदेशी साम्य पूंजी है। इन कम्पनियों द्वारा निर्मित औषध-सूत्रयोग हजारों में हैं। अतः आपातकालीन स्थिति के पूर्व और बाद में प्रत्येक औषधी के तत्कालीन मूल्यों के ब्यौरे देना सम्भव नहीं है। तथापि निर्माताओं अथवा आयात कर्ताओं को उन सूत्रयोगों की मूल्य सूची भेजनी होगी जिनको वे डीलरों को बेचना चाहते हैं। और उस सूची में फुटकर विक्रेताओं के बेचे गये सूत्रयोगों के मूल्य अंकित हों?

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा औद्योगिक विस्फोटकों सम्बन्धी कार्य का विविधीकरण

143. **चौधरी राम प्रकाश : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का औद्योगिक विस्फोटकों सम्बन्धी अपने कार्यों का विविधीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इनके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) और (ख) सिन्दरी में भारतीय उर्वरक निगम के पास अमोनियम नाइट्रेट (विस्फोटक ग्रेड) के निर्माण की सुविधाएं पहले से ही हैं। निगम अब लिक्यूर अमोनियां निट्रेट और निट्रेट एसिड पर आधारित गारे वाले विस्फोटकों के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना का विचार कर रही है।

बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने का अभियान

144. **चौधरी राम प्रकाश : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के अभियान् में वर्ष 1976 के दौरान काफी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

1 जनवरी, 1976 से 30 जून, 1976 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में टिकट जांच अभियानों के परिणाम ।

	1-1-75 से 30-6-75 तक	1-1-76 से 30-6-76 तक
	रुपये	रुपये
1. बिना टिकट या गलत टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	9,49,953	12,28,161
2. वसूल की गयी रेलवे को देय रकम	1,36,42,510	1,77,51,753
3. बिना बुक किये हुए सामान के पकड़े गये मामलों की संख्या	5,87,320	7,87,799
4. बिना बुक किये हुए सामान के मामलों में वसूल की गयी रकम	46,29,222	66,27,531
5. चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या	99,699	1,43,730
6. जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या	58,386	86,889
7. वसूल की गयी न्यायिक जुर्माने की रकम	8,82,252	15,22,701

हरियाणा में बिना चौकीदार वाले रेल फाटक

145. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन की संख्या में कमी करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हरियाणा राज्य में 'सी' श्रेणी के बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 384 है।

(ख) सभी रेलों पर 'सी' श्रेणी के बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 22,000 से अधिक है। इस सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखने की लागत, आज की दरों के अनुसार प्रारम्भ में 110 करोड़ रुपये आयेगी, जो वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकारों को वहन करनी पड़ेगी, और सालाना आवर्ती अनुरक्षण व्यय लगभग 31 करोड़ बैठेगा जो रेलों को वहन करना होगा। बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखना न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखने की आवश्कता है इसकी जांच करने के लिए रेलें यातायात की आविधक गणना करती हैं। इस आधार पर, यातायात की गहनता, दृष्टि सीमा, सम्भावित दुर्घटना वाले ढाल तथा धन की उपलब्धता आदि जैसी बहुत-सी बातों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार के परामर्श से बिना चौकीदार वाले कुछ समपारों पर प्रतिवर्ष चौकीदार रखे जाते हैं। सभी राज्यों में स्थित बिना चौकीदार वाले समपारों के सम्बन्ध में ऐसा किया जा रहा है, जिनमें हरियाणा भी शामिल है।

लड़कों और लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाने का निर्णय

146. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लड़कों के लिये न्यूनतम विवाह योग्य आयु बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों के लिये 18 वर्ष करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सय्यद मुहम्मद) :

(क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 और संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। विधेयक इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा।

वर्ष 1975 में तेल का मिलना

147. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में कितने स्थानों पर तेल मिला और इस समय प्रत्येक कुआं किस-किस अवस्था में है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में कुछ और कुओं का छिद्रण किये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 1975 के दौरान 2 स्थानों पर तेल पाया गया है अर्थात् सन्नाउखुर्द और नन्दासन, दोनों स्थान गुजरात में हैं। सन्नाऊखुर्द में खोदे गयें पांच कुओं में से, एक तेल-युक्त और एक गैस-युक्त पाया गया है, दो कुएं सूखे निकले और पांचवें कुऐं का अभी और निरीक्षण किया जाना है। नन्दासन में केवल एक कुएं का व्यधन और परीक्षण किया गया जिसमें तेल के संकेत मिले हैं।

1976-77 के दौरान सन्नाऊखुर्द और नन्दासन प्रत्येक स्थान पर एक-एक कुआं खोदने की योजना है इसके अतिरिक्त ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० दोनों ने अभी देश में अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक कुऐं खोदने हैं।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा भारत रिफाईनरीज़ के प्रमुख अधिकारियों के वेतनों में कटौती

148. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन तथा भारत रिफाइनरीज़ जो पहले 'एस्सो' तथा 'बर्मा शैल' के नाम से जानी जाती थी, के कुछ प्रमुख अधिकारियों के वेतनों को घटाया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और इन विदेशी तेल कम्पनियों को सरकारी अधिकार में लेने के समय उन के साथ किये गये समझौते की मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) क्या 4000 रु० प्रति मास से कम वेतन पाने वाले अधिकारी भी इस से प्रभावित हुये हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क), (ख) और (ग) "भारत में उपक्रमों का अधिग्रहण" अधिनियम के अन्तर्गत एस्सो और बर्मा शैल को अधिग्रहण और इन कम्पनियों के साथ समझौता करते समय भूतपूर्व कम्पनियों के कर्मचारियों की शर्तें जारी रहेंगी जब तक कि इनको सरकार द्वारा अथवा सरकारी कम्पनी द्वारा बदला न जाये अथवा ऐसे कर्मचारी की सेवायें समाप्त न की जायें। जहां तक हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन (एच० पी० सी० एल०) का सम्बन्ध है। 1-8-74 को 4000/- रुपये से अधिक वेतन पाने वाले प्रबन्धकों को उनके वेतन में और वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है। अन्य प्रबन्धक स्टाफ को भूतपूर्व ल्यूब इण्डिया में लागू वेतन मानों में अधिक से अधिक 4000/- तक वेतन में वृद्धि की अनुमति दी जा रही है। जहां तक भारत शोधनशाला का सम्बन्ध है, एक अन्तरिम उपाय के रूप में और उन पर और विचार किये जाने तक, उन पर 1-8-76 से वही सिद्धान्त लागू किये गये हैं जो हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० पर लागू हैं, उसमें अन्तर केवल इतना है कि जो 4000/- रुपये से कम वेतन पा रहे हैं, उनके वेतन में 4000/- रुपये तक वृद्धि की जायेगी, लेकिन वेतन वृद्धि कम राशि में की जायेगी अथवा अधिक अन्तराल के साथ की जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

4 जून से 2 अगस्त, 1976 के बीच जारी किए गए अध्यादेश

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 4 जून, 1976 को प्रख्यापित पुरावशेष तथा कालानिधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 4)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 16 जून, 1976 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 5)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 16 जून, 1976 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 6)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 23 जून, 1976 को प्रख्यापित ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया), लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 7)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 23 जून, 1976 को प्रख्यापित बन कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वेगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 8)।

(6) राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1976 को प्रख्यापित श्रम भविष्य निधि बिधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 9)।

(7) राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1976 को प्रख्यापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 10)।

(8) राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई, 1976 को प्रख्यापित लक्ष्मीरत्न एण्ड अर्थटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 11)।

(9) राष्ट्रपति द्वारा 2 अगस्त, 1976 को प्रख्यापित भारतीय धातु निगम (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 12)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 10956/76]

दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात दूसरा संशोधन), अधिनियम, 1976

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैय्या):

मैं श्री ओम मेहता की ओर से गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 7 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित दण्ड प्रक्रिया संहिता (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1976 का अधिनियम संख्या 30) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10957/76]

संविधान की नवीं अनुसूची में जोड़े गए विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों का सारांश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं, मतदाता पंजीकरण (संशोधन), नियम, 1976, विधान सभा निर्वाचन संचालन (सिक्कम) नियम, 1976, गुजरात विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 1975 संबन्धी प्रतिवेदन, तामिलनाडु हिन्दु धार्मिक तथा धमार्थ धर्मस्व संशोधन तथा विशेष उपबन्ध, अधिनियम, 1976

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) संविधान (42वां संशोधन) विधेयक, 1976 पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश के अनुसरण में, संविधान की नवीं अनुसूची में जोड़े गये विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों का सारांश तथा उन्हें शामिल किये जाने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० आ० 367 (9) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मतदाता पंजीकरण संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 425 (ङ०) में प्रकाशित हुए थे।

(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन संचालन (सिक्किम नियम, 1976 (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जून, 1976 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सां० आ० 426 (ड०) में प्रकाशित हुए थे।

(5) गुजरात विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 1975–सांख्यिकीय संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रात्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्य (संशोधन तथा विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) राष्ट्रपति का 1976 का अधिनियम संख्या (24) की एक प्रति, जो दिनांक 1 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10958/76]

राष्ट्रीय बैंकों के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1975 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) :

मैं श्री श्रवण कुमार मुखर्जी की ओर से बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(2) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(3) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के

(4) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(5) युनाइटेड कमरशियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(6) कनारा बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(7) युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(8) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यरकण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(9) सिण्डीकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(10) युनियन बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(11) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(12) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(13) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियों, का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(14) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा गतिविधियां का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10959/76]

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मैं (1) मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) रेलवे रैड टैरिफ (पांचवां संशोधन) नियम, 1976, जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 447 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेलवे रैड टैरिफ (छठा संशोधन) नियम, 1976, जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1013 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) बम्बई पत्तन न्यास रेलवे (विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क), नियम 1976, जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2812 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 56 ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० आ० 2813 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10960/76]

तमिलनाडु मिट्टी का तेल (व्यापार विनियमन) आदेश, 1973 का संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (12) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 24 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र, में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 345/ए०-1/76-1 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक प्रति जिसके द्वारा तमिलनाडु मिट्टी का तेल (व्यापार विनियमन) आदेश 1973 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10961/76]

कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) संशोधन नियम, 1976, एकाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापार व्यवहार आयोग (सभापति तथा सदस्यों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1976 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदब्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 427 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में एक रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10962/76]

(2) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार व्यवहार आयोग (सभापति तथा सदस्यों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 448 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10963/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधि-नियम की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना संख्या 20/4/76-आई० जी० सी० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 355 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10964/76]

सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम 1959 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, डाकघर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1976, सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971, बम्बई भू-राजस्व (गुजरात संशोधन) अधिनियम 1976 आदि आदि

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक-घर बचत बैंक प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 954 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (चौथा निर्गम) (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 955 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) (चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 956 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 957 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10965/76]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक-घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 953 में प्रकाशित हुए थे।

(3) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा की शर्तों की युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 1976 जो दिनांक 1 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 389 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा की शर्तें का युक्तियुक्तकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम 1976 जो दिनांक 1 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां आ० 390 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10967/76]

(4) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) आपात जोखिम (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 7 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 409 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आपात जोखिम (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2211 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10968/76]

8—M569LSS-76

(5) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा (3) की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 7 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 410 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2212 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2213 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10969/76]

(6) गुजरात राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बम्बई भू-राजस्व (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), (राष्ट्रपति का 1976 का अधिनियम संख्या 26) की एक प्रति जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10970/76]

(7) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 28 मार्च, 1974 के राष्ट्रपतीय आदेश के पैरा (ख) (दो) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र शासन के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10971/76]

(8) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र शासन के वर्ष 1974-75 के विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10972/76]

(9) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र शासन के वर्ष 1974-75 के वित्त लेखें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10973/76]

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976 के प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 1 प्रस्तावना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10974/76]

(11) भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1976 में जारी किये गये बाजार ऋण के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 10975/76]

दिल्ली (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1976 और उसके अन्तर्गत संशोधन

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1976, जो दिनांक 21 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 360 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दिल्ली (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 29 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 439 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10976/76]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमान् मैं नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "समूचे देश में खाद्यानों, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का समाचार"

नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, कल्याण सुन्दरम, भोगेन्द्र झा और एस० एम० बनर्जी तथा श्रीमती पार्वती कृष्णा द्वारा खाद्यान्नों, चीनी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में दिये गये ध्यानाकर्षण नोटिस के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं।

2. महोदय सदस्य यह जानते ही हैं कि पिछले वर्ष प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल पहली तथा प्रमुख मद आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्रबंधों को कारगार बनाने और मूल्यों को स्थिर रखने के उपाय करने के बारे में हैं। वास्तव में आपातस्थिति की एक उल्लेखनीय उपलब्धि मूल्य के क्षेत्र में हुई है। आपातस्थिति की घोषणा के तुरन्त पहले के सप्ताह, अर्थात् 21 जून, 1975 को समाप्त हुए सप्ताह में थोक मूल्यों का सूचकांक 312.9 था। मार्च, 1976 के अन्तिम सप्ताह तक यह सूचकांक घटकर 283.1 तक पहुंच गया। दूसरे शब्दों में थोक मूल्यों में 9 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई। यह रुख उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों

में भी लक्षित हुआ। औद्योगिक मजदूरों के सूचकांक में जुलाई, 1975 और मार्च, 1976 के बीच 12 प्रतिशत की कमी हुई।

3. अप्रैल, तथा जून, 1976 के बीच समग्र-वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में निःसन्देह लगभग 4.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कुछ आवश्यक वस्तुओं के बारे में यह मूल्य वृद्धि उनके मूल्यों में सुधार है, जो मार्च, 1976 तक काफी नीचे गिर गये थे। उदाहरण के लिये सरकार ने स्वयं यह निर्णय किया कि जौ के मूल्य अलाभकारी स्तर तक गिर गये हैं और इसलिये 65/- रुपये प्रति क्विटल का टेकबन्दी मूल्य घोषित किया गया। इसी प्रकार मूंगफली के तेल के मूल्य बहुत ही नीचे गिर गये थे और राज्य व्यापार निगम को बीच में पड़ने और 5000 मीटरी टन मूंगफली का तेल का निर्यात करने को कहा गया, ताकि मूल्यों में स्थिरता लाना में सहायता मिल सके।

4. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, मई से आरम्भ होने वाली कमी की अवधि के दौरान यह एक आम बात है कि मूल्य बढ़ते हैं और ऐसा विशेषकर खरीफ की फसलों के मामले में होता है। इस वर्ष इस मूल्य वृद्धि को वर्षा के देरी से आरम्भ होने तथा बरसात के मौसम के आरम्भ में कम बारिश होने के कारण बल मिला। सट्टेबाजों और असामाजिक तत्वों ने इस स्थिति का लाभ उठाने और मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास किया।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि मूल्यों में हुई वृद्धि मुख्यतः तिलहनों, मूंगफली के तेल, कपास और चमड़े तथा खालों जैसी कुछ वस्तुओं तक ही सीमित रही है। गेहूं, मक्का, विभिन्न किस्मों की दालों, मसालों, साबुनों और मिट्टी के तेल जैसी कई दूसरी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य लगभग स्थिर रहे या उनमें मामूली वृद्धि हुई। यही कारण है कि अप्रैल तथा जून, 1976 के बीच औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल 1.7 प्रतिशत बढ़ा। इसी अवधि में खेतिहर मजदूरों के मूल्य सूचकांक में भी केवल थोड़ी सी अर्थात् 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

6. मैंने यह ब्यौरा इसलिये दिया है, ताकि हाल की मूल्य स्थिति को उसके उचित परि-प्रेक्ष्य में देखा जाये और इस बारे में आवश्यक निष्कर्ष न निकाले जायें। साथ ही सरकार ने ऊपर दी गई विशिष्ट वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि पर उचित ध्यान दिया है और इस बारे में कई उपाय आरम्भ किये हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

चीनी

(i) चालू माह में सामान्य लेवी मुक्त चीनी देने के अलावा 20,000 मीटरी टन चीनी और दी जा रही है।

(ii) अतिरिक्त सप्लाई बड़े शहरों तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्रों जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों को की जा रही है, जो मूल्यों को स्थिर करने का काम करते हैं।

खाद्य तेल

(i) स्वदेशी तेलों पर दबाव कम करने की दृष्टि से वनस्पति निर्माताओं को निर्देश किया गया है कि वे 15 जुलाई, 1976 से अनिवार्य रूप से 50% आयातित तेलों का प्रयोग करें। इसके लिए इस उद्योग को लगभग 1.25 लाख मीटरी टन आयातित तेल सप्लाई किया जायेगा, जिसमें पाम, सोयाबीन, रेप-सीड और सन-फ्लावर तेल शामिल हैं।

(i) एच० पी० एस० मूंगफली का और निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(iii) राज्य सरकारों से तिलहनों/खाद्य तेलों को जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वे समुचित पद्धतियां फिर आरम्भ करें, ताकि खाने के तेलों के स्टाक तथा संचलन के बारे में सूचना मानिटर को जा सके।

7. विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, थोक मूल्यों के सूचकांक, जिसमें अप्रैल, से बराबर वृद्धि हो रही थी, 17 जुलाई, 1976 को समाप्त हुये सप्ताह में कमी आयी। यह कमी 0.7% हुई। इसके बाद 24 जुलाई, 1976 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 1.2% की और कमी हुई है जो एक सुखद बात है। इस समय इसी सप्ताह का नवीनतम मूल्य सूचकांक उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किए गए उपायों का प्रभाव दीखने लगा है।

8. यह उल्लेखनीय है कि कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ है। देश में अनाज का रिकार्ड उत्पादन तथा वसूली हुई है। औद्योगिक उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक बतायी जाती है। इस विषय में सरकार को पूरी आशा है कि मूल्य स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक बनी रहेगी। यदि किसी आवश्यक वस्तु के बारे में अनावश्यक रूप से मूल्य बढ़ते दिखाई देंगे, तो सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करने तथा आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण को पढ़ने से इस बात का कहीं भी आभास नहीं मिलता कि सरकार इस विषय के बारे में चिंतित है? सरकार के अनुसार स्थिति उनके नियन्त्रण में है और सब काम सुचारु रूप से चल रहा है। लेकिन सत्रावसान अवधि में छपे समाचार-पत्रों से ऐसा लगता था कि खाद्य तथा कृषि मंत्री उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री इस बारे में चिंतित हैं। मैं सरकार से साफ-साफ यह जानना चाहता हूं कि मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं? जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है तथा खाद्य तेलों के सम्बन्ध में भरपूर फसलें हुई हैं। इसके बावजूद मई महीने के मध्य से जून मध्य के बीच वनस्पति की कीमत में 25 प्रतिशत वृद्धि तथा 12 जून, और 10 जुलाई, के बीच थोक खाद्यान मूल्यों में 4.2 प्रतिशत वृद्धि होने के क्या कारण हैं। इसी प्रकार मूंगफली, कपास, चीनी तथा अनाज के मूल्यों में बजट प्रस्तावों के पेश होने के एकदम बाद वृद्धि होनी शुरू हो गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि मूल्यों में वृद्धि क्यों हुई?

विवरण में कहा गया है कि आपात स्थिति की घोषणा के शीघ्र बाद थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई तथा मूल्यों में भी स्थिरता आई। यह सच है और हम इसका स्वागत करते हैं। प्रसन्नता की बात है कि सरकार इस विषय में जागरूक है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि मार्च के अन्तिम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह के बीच मुद्रा सप्लाई लगभग 1,000 करोड़ बढ़ गई है? वित्त मंत्री ने माना है कि इसके गम्भीर परिणाम होंगे और बाजार में मुद्रा आने से मूल्यों में वृद्धि होगी मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए बोनस नियमों में संशोधन किया गया तथा अनिवार्य जमा योजना शुरू की गई। इसके बावजूद भी मूल्यों में वद्धि क्यों हुई? क्या यह सच है अथवा नहीं कि उपरोक्त अवधि में गैर सरकारी वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि में 408 करोड़ की वृद्धि हुई? क्या इस से मुद्रा स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या यह सच नहीं

है कि समृद्ध वर्गों पर लगने वाले कर में कमी करके तथा स्वेच्छा से धन घोषित करने सम्बन्धी योजना शुरू करके सरकार ने काला धन रखने वालों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिया है ? क्या मूल्यों में वृद्धि होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति में कमी नहीं होती ? बड़े दुःख की बात है कि सरकार ने संसाधनों को समृद्ध वर्गों के हाथों में छोड़ दिया है ।

विवरण में कहा गया है कि लेवी चीनी के मूल्य में 10 रु० प्रति क्विंटल मल वृद्धि की गई है। सरकार ने चीनी को सरकारी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने तथा खुले बाजार में चीनी की सप्लाई में कमी करने की बजाय सरकार ने चीनी मिल मालिकों को 10 रु० प्रति क्विंटल का और लाभ दे दिया है। सरकार चीनी उद्योग को अपने नियन्त्रण में क्यों नहीं लेती ? जबकि सदन के सभी सदस्यों ने इसकी मांग की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : हम मूल्य स्थिति के बारे में चिंतित है तथा इसे अपने नियन्त्रण में लाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । माननीय सदस्य की शिकायत है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है । परन्तु गत दो सप्ताहों में प्रति सप्ताह मूल्यों के सूचकांक में क्रमशः 0.7% तथा 1.2% कमी हुई है । वस्तुतः वस्तु का मूल्य उसकी मांग और सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करता है । इन दोनों में सन्तुलन लाना आवश्यक होता है ।

जहां तक बाजार में 1000 करोड रुपये के परिचालन का प्रश्न है, वसूली कार्य के लिए 2,400 करोड़ रुपये दिए गए । खाद्यानों को समर्थन मूल्य पर खरीदा गया ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि गैर सरकारी वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा अधिक ऋण दिया गया । हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं । लेकिन उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि 2.5% से बढ़कर 10.5% हो गई है और वृद्धि की दर बढ़ती जा रही है । लेकिन हम इस ओर ध्यान दें रहें हैं कि सट्टे बाज तथा जमाखोर इस स्थिति का लाभ न उठाएं इस सम्बन्ध में हमने रिजर्व बैंक से बातचीत की थी और निदेश दिया था कि वह सरकार की सीमा को ध्यान में रखकर ही नई मुद्रा छापें ।

जहां तक मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न हैं, हमें मौनसून पर निर्भर रहना पड़ता है । मौनसून समय पर न आने के कारण सट्टे बाजों और जमाखोरों ने स्थिति का लाभ उठाना शुरू कर दिया । इस मामलें में कई व्यापारी गिरफ्तार किए गए हैं ।

माननीय सदस्य का कहना है कि खाद्यानों के मूल्य में वृद्धि होने से मूल्य सूचकांक बढ़ा है। वस्तुतः केवल खाद्यानों को ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । खाद्य तेलों तथा तिलहनों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है ।

जहां तक कपास के मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न है, इसका मुख्य कारण यह है कि कपास एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी और दूसरे से तीसरे व्यापारी के हाथों में जाती है और इस प्रकार कपास की कीमत बढ़ जाती है । अब हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कपास व्यापारी से सीधे मिल मालिक को जाए । यदि हम ये कदम पहले उठा लेते तो अधिक अच्छा था ।

जहां तक चीनी का प्रश्न है, इसके उत्पादन में 6 लाख टन की कमी हुई है । सम्भवतः इसी कारण मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है । जहां तक लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि का प्रश्न है लागत लेखा संगठन ने इस प्रश्न पर विचार किया था । उनके विचार में कई मिलें घाटे में चल रही थी । इसलिए उनको मूल्य में वृद्धि करने की बात कही । लेकिन हम इसके विक्रय मूल्य में वृद्धि करना नहीं चाहते थे । इसलिए हमने उत्पादन शुल्क में 15 से 20 प्रतिशत की कमी की । लेवी चीनी के

मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई। खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का मूल्य चीनी की उपलब्धता और सीज़न पर निर्भर करता है, त्यौहारों के अवसर पर चीनी की मांग में वृद्धि हो जाती है और फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अतः हमने यह निर्णय किया कि त्यौहारों के अवसर पर बाजार में अधिक से अधिक चीनी लाई जाए ताकि मूल्यों में वृद्धि न हो।

जहां तक पटसन के मूल्य का सम्बन्ध है, समस्या पटसन के मूल्य की नहीं बल्कि इसके स्टाक की है। मांग न होने के कारण मिलों में पटसन का स्टाक इकट्ठा हो जाता है। पटसन का मूल्य निर्यात पर निर्भर करता है। जब निर्यात में कमी होती है तो स्वदेशी मांग भी कम हो जाती है। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं और दो तीन दिन के अन्दर निर्णय लिया जाएगा।

जहां तक चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, यदि इससे समस्या का समाधान हो सकता है तो हम इसके राष्ट्रीयकरण के लिए तैयार हैं। जहां तक बोनस शेयर का सम्बन्ध है, इससे संसाधन नहीं बढ़ते, यह साम्य पूंजी के रूप में उपलब्ध रहता है। यदि बोनस बांट दिया जाए तो इससे बाजार में मुद्रा का परिचालन बढ़ जाएगा। हम स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए हर सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : विवरण में कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया कि सरकार इस मामले में चिंतित है या अमुक तत्काल कार्यवाही कर रही है। विवरण में कहा गया है कि सट्टेबाज तथा जमाखोर स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को पता है कि बुराई की जड़ कौन हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र मूल्यों में कमी करना है। परन्तु फिर भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों है? आपात स्थिति की घोषणा असामाजिक तत्वों को समाप्त करने के लिए की गई थी। लेकिन देखने में आता है कि सरकार ने इन तत्वों को गड़बड़ी करने की छूट दे रखी है। उपायों को मंत्र की तरह दोहराने से क्या लाभ है? सरकार को उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

मंत्री महोदय का कहना है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है। होटल मालिकों से कहा गया है कि वे खान-पान की वस्तुओं के दाम कम करें, दूसरी ओर मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यदि वे दाम कम नहीं करते तो उन्हें आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पता चलता है कि आंसुका का प्रयोग सरकारी नियमों का पालन करने वालों के लिए किया जाता है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर की दुकाने खोलेगी? सट्टेबाजों तथा असामाजिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है? बम्बई में कई सट्टेबाज हैं जो मूल्यों के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार उन को क्यों नहीं पकड़ती?

हम सब को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हमारा कहना यह है कि सरकार द्वारा किये गये उपाय अपर्याप्त हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : हमारी यही कोशिश रही है कि इस बारे कोई शंकायें तथा आतंक न पैदा हो। सरकार इस समस्या को पूरे विश्वास तथा निश्चय के साथ निपटाना चाहती है, मैं इस बात से सहमत हूं कि तेल विशेषकर मूंगफली के तेल के मूल्यों में वृद्धि होने वाली है। लेकिन इस वर्ष मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई है।

मई, के महीने में गुजरात ने मांग की थी कि तेल के लिये समर्थन मूल्य निश्चित किये जायें। मूंगफली के तेल का निर्यात करने की मांग भी की गई थी। यही कारण है कि राज्य व्यापार

निगम को इसके व्यापार में प्रवेश करने के लिये कहा गया तेल के मूल्यों में अब गिरावट आनी शुरू हो गयी है।

हमने निर्णय कर लिया है कि हमें अस्थायी उपाय करने के बजाये इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिये। हम खाने योग्य तेल के बारे सितम्बर तक एक विस्तृत योजना बना लेगें जो एक तरह से एक स्थायी उपाय होगा। इससे समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : विवरण से तथा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये भाषण से उपभोक्ताओं को यह आश्वासन नहीं मिल सकता कि मूल्यों के स्थिर करने के लिये कोई ठोस प्रयास किये जायेंगे।

तमिलनाडु में तो द्रमुक सरकार के हटने के बाद ही मूल्यों में कमी होने लगी। लेकिन अब मूल्य और बढ़नें शुरु हो गये हैं। इन बातों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कहना है कि कमी कोई नही है लेकिन आज दुकानों में मूंगफली का तेल नहीं मिलता क्या समाज के कमजोर वर्गों को बचाने का यहीं तरीका है? यह सब जमाखोरी के कारण है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने भी यही बात कही है कि इसका कारण जमाखोरी है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : सरकार जमा किये गये स्टाक को बाहर निकालने के लिये क्या कदम उठा रही है?

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद तमिलनाडु में चावलों के मूल्यों में कमी आयी। अब चावल के मूल्य फिर बढ़ने लग गये हैं। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

चीनी के लेवी मूल्यों में भी कुछ वृद्धि की गयी है। इस पर उत्पादन शुल्क में भी वृद्धि की गयी है। दोनों तरह से चीनी उत्पादकों को लाभ पहुंचा है। तमिलनाडु में लेवी मूल्यों में कुछ कमी हुई है लेकिन वहां गन्ने का मूल्य देश भर में सब से कम है।

श्री ए० सी० जार्ज : तमिलनाडु से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि वहां खाद्यानों के मूल्यों में विशेष रुप से वृद्धि नहीं हुई है।

तमिलनाडु में देश भर में सबसे अधिक मूंगफली होती है लेकिन वहां कृत्रिम अभाव का वातावरण बनाया गया है और सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठायें हैं।

हमने तमिलनाडु के लिये चावल के कोटे में वृद्धि की है। यदि जरूरी हो तो सरकार कुछ अन्य उपाय करने के लिये भी तैयार है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि उद्योगों को कुछ रियायतें दी जा रही हैं ताकि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो आपात्तकालीन स्थिति लागू होने के बाद कृषि उत्पादों के मूल्यों में तो कमी हुई है लेकिन औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई। चावल और गेहूं की खरीद के मामले में भी व्यापारियों ने किसानों का बहुत शोषण किया है। कुछ क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से गेंहू खरीदने से इन्कार किया और किसानों को अपना गेंहू व्यापारियों को बेचने पर विवश होना पड़ा और भारतीय खाद्य निगम ने वही गेंहू व्यापारियों से समर्थन मूल्य पर खरीदा। भारतीय खाद्य निगम के लोग तथा व्यापारी मिलजुल कर काम करते हैं। किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचता। किसानों को लूटा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को अपनी मेहनत के अनुसार पूरे दाम मिल रहे हैं? क्या कोई समर्थन मूल्य निश्चित किये गये हैं?

गन्ने के मूल्य नहीं बढ़ाये गये। मंत्री महोदय इस संबंध में बहुत चिंतित हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या पटसन के तैयार माल के मूल्य कम हुये हैं? कच्चे माल के मूल्य तो गिर गये हैं लेकिन तैयार माल के मूल्य नहीं गिरे हैं।

सभापति महोदय : तर्क के लिय आप मूल्यों सम्बन्धी विषमता का ज़िक्र कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह प्रश्न तर्क का नहीं है। जब कपास के मूल्य कम होते हैं तो कपड़ों के मूल्य भी कम होने चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप किसान लुट रहे हैं और जमाखोर अधिकाधिक मुनाफा कमा रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश भर में किसी भी एक जमाखोर तथा मुनाफाखोर को कानून के अनुसार दण्डित किया गया है? यदि नहीं तो उनकी रक्षा कौन कर रहा है।

आपात्तकालीन स्थिति से पूर्व के स्तर तक मूल्यों को स्थिर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

1971 के चुनावों के दौरान हमने जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का वचन दिया था लेकिन हम इस वचन को अभी तक भी पूरा नहीं कर सके। हम जानना चाहते हैं कि आप मूल्य बढ़ाना चाहते हैं अथवा घटाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

श्री ए० सी० जार्ज : किसानों को उचित दाम देने सम्बन्धी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह उचित ही है। किसानों से किसी वस्तु के व्यापारी के हाथ में जाते-जाते मूल्य साधारणतः बढ़ ही जाते हैं। इसी कारण मैंने अपने पहले उत्तर में सुझाव दिया है कि तेल के बीजों के मूल्य निश्चित करने के लिये कोई योजना बनायी जाये। मुझे पता चला है कि तेल के मूल्य गिर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किस सीमा तक?

श्री ए० सी० जार्ज : 5 रु० 80 पैसे ····· **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा : दिल्ली में इसका भाव 9 रु० 50 पैसे प्रति किलो है।

श्री ए० सी० जार्ज : हम इन बातों का पूरा-पूरा ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा तेल के बारे योजना बनायी जाये। यह बात भी ठीक है कि सख्त कानून होने के बावजूद भी हम एक भी चोर-बाज़ारी करने वाले को गिरफ्तार नहीं कर सके। मैं कह ही चुका हूं कि हम इन सब बातों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं और मुझे आशा है कि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि डालडा और सरसों के तेल के भाव बढ़ रहे हैं। हिन्दुस्तान लीवर जैसे बड़े-बड़े कारखाने उपभोक्ताओं की कीमत पर असीम मुनाफा कमा रहे हैं।

हिन्दुस्तान लीवर के शाखा प्रबन्धक को गिरफ्तार किया गया है परन्तु किसी भी समाचार पत्र में यह समाचार नहीं छपा है।

निःसन्देह मूल्यों में 2 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार खुदरा दुकानदारों पर ही दबाव डालती है। निर्माताओं पर वस्तुओं का मूल्य घटाने का आग्रह क्यों नहीं किया जाता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री ए० सी० जार्ज : मूल्यों को घटाने तथा उन्हें उचित स्तर पर स्थिर रखने के लिये किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जाती। पिछले चार पांच महीने से हम विभिन्न निर्माताओं

के साथ बातचीत करते रहे हैं और पिछले दो सप्ताह से कई वस्तुओं के मूल्य घट हैं (व्यवधान) साबुन निर्माताओं ने मूल्यों में 15 अथवा 10 पैसे की कमी करना स्वीकार कर लिया है।

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

RESIGNATION OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे 26 मई, 1976 को महाराष्ट्र के जालना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री बाबूराव जंगलुजी काले से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सदस्य ने 31 मई, 1976 से लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दिया है। 27 मई, 1976 को मैंने 31 मई, 1976 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया।

मुझे महाराष्ट्र के खामगांव निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री अर्जुन श्रीपत कस्तुरे से दिनांक 13 जुलाई, 1976 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सदस्य ने 16 जुलाई, 1976 से लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दिया है। 14 जुलाई, 1976 को मैंने 16 जुलाई, 1976 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उनके द्वारा बताये गये कारण गुप्त रखे जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे पता चला है उन दोनों को महाराष्ट्र की मंत्री परिषद में सम्मिलित किया गया है।

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re*-FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : 1976 के वर्ष के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रारम्भ में कुछ अनुकूल नहीं था किन्तु बाद में वह ठीक हो गया। 4 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों और केरल को छोड़कर जहां वर्षा कम हुई थी, देश के अधिकांश भागों में वर्षा सामान्य थी या सामान्य से अधिक थी, गत कुछ दिनों में देश के कुछ भागों में विशेषकर जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब में भारी वर्षा हो रही है।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आँध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में बाढ़ आने से काफी क्षति हुई है। जेहलम में बाढ़ के कारण कश्मीर घाटी में बाढ़ आ गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की कुछ नदियों में भी बाढ़ आ गई थी। जून के शुरू में गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर चक्रवात आने के परिणाम स्वरूप भारी वर्षा हुई और बाढ़ें आईं।

आंध्र प्रदेश :

जुलाई के प्रथम सप्ताह के दौरान गोदावरी में हल्की बाढ़ के कारण दोलाइस्वरम एनीकट के बाएं के तट की पहली बे के लगभग 152 मीटर लम्बे हिस्से में दरारें आ जाने के कारण नहर का बायां तट प्रभावित हो गया था। राज्य सरकार द्वारा टूटे हुए भाग की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बाद में 21 से 25 जुलाई तक आई मध्यम दर्जे की बाढ़ के दौरान नदी ऊपरी पहुंचों में खतरे के स्तर को पार कर गई थी। 23 जुलाई को नरसापुरम के निकट वशिष्ट गोदावरी तटबंध के 74/0 किलोमीटर पर माधबैयापलम जल निकास कपाट ढह गए थे, वहां कार्य किया जा रहा है।

असम :

जून और जुलाई 1976 के महीनों में ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ के तीन दौर आए। पहला दौर 9 दिनों तक चला जो 12 जून से शुरू हुआ, बाढ़ का दूसरा दौर इस प्रकार आया कि वह बाढ़ के तीसरे दौर के साथ मिल गया जो 28 जून से 21 जुलाई तक बना रहा। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ का चौथा दौर 4 अगस्त 1976 से प्रारम्भ हुआ है जो अंतिम रिपोर्ट के प्राप्त होने तक चल रहा था। बाढ़ के इन अनेक दौरों के बीच ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों, पुथीमरी, पगलादिया, मानस तथा बेकी और दक्षिणी सहायक नदियों बूढ़ीधींग का पिल्ली तथा धनश्री में मुख्य नदी के साथ-साथ साधारण बाढ़ रही।

बाढ़ के पहले दौर में डिब्रुगढ़ जिले के तेलपानी स्थान पर बूढ़ीधींग के रिटायर्ड तटबंध में तथा कामरूप जिले में भैरातोलाजन के बाएं तट पर दरारें आ गई थीं। शिवसागर जिला में धनश्री दक्षिण के स्पिल चेनल के चेक बांध को भी कुछ क्षति पहुंची थी और तेज़पुर रेलवे स्टेशन के निकट कुछ कटाव हुए थे। बाढ़ के दूसरे दौर में बाढ़ के कारण कुछ स्थानों पर कटाव हुए जिसमें माजुली आइलेंड का कमलाबारी मौज़ा, चिमल्लबीडिया सड़क पर पुथीमारी पुल के दो पाट बह गए थे और कुछ स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने तट के ऊपर से बह निकली थी। बाढ़ के तीसरे दौर में भोगोदोई नदी ने जोरहट में 90.92 मीटर के अपने पहले के उच्चतम रिकार्ड को तोड़ दिया। बाएं तट पर दो स्थानों पर और दाएं तट पर दरारें पड़ गई। धुबरी सबडिवीजन में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जेजीराम नदी के तटबंध पर दियारा और कालापानी के बीच दरारें आ गई और धेपजी सबडिवीजन में रेलवे गाइड बंध को क्षति पहुंची।

असम में बारक घाटी में 11 से 18 जून, 30 जून से 14 जुलाई और 17 से 21 जुलाई तक की अवधियों में बाढ़ के तीन दौरों में गम्भीर क्षति हुई। बारक नदी का उच्चतम जल स्तर 15 जून को (अन्नपूर्णाघाट) सिल्चर में 19.83 के खतरे के चिह्न के मुकाबले में 21.05 मीटर हो गया। इस स्थल पर अब तक उच्चतम जल-स्तर जून, 1969 में 21.94 मीटर रिकार्ड किया गया था। लखीपुर में जून, 1966 के रिकार्ड किए गए पिछले उच्चतम जल स्तर से, 15 जून को लगभग एक मीटर ऊंचा जल स्तर रिकार्ड किया गया। बारक तथा इसकी सहायक नदियों में जून के आरम्भ में आई बाढ़ों से लगभग सम्पूर्ण घाटी में गम्भीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ों के प्रथम दौर में बारक बेसिन की तटबंध प्रणाली में सात दरारें पड़ गई जिनमें तीन बारक तटबन्ध में और तीन लोंबाई तटबंधों में तथा एक शिमला में पड़ी। कछार जिले के मुख्यालय सिल्चर के, लगभग आधे हिस्से में पानी भर गया। सड़क, रेल तथा हवाई संचार व्यवस्था के अवरुद्ध हो जाने के कारण इस जिले का देश के अन्य भागों से सम्पर्क पूरी तरह से टूट गया।

राज्य सरकार ने सेना की सहायता से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा राहत कार्य हाथ में लिए। राज्य सरकार ने नकद सहायता, खाद्य तथा कपड़े के लिए अनुग्रहपूर्ण राहत के रूप में 36.35 लाख रुपए, चिकित्सा सहायता के लिए 9 लाख रुपए, बीज अनुदान के लिए 5.18 लाख रूपए तथा पशुओं के चारे के लिए 0.40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 13.75 लाख रुपए का इमारती सामान मुफ्त दिया गया।

गुजरात :

प्रचण्ड चक्रवती तूफान के कारण, जो 3 तथा 4 जून को गुजरात में आया, राज्य के कुछ भागों में भारी वर्षा हुई। प्रभावित जिले ये थे—अहमदाबाद, खेड़ा, भावनगर, ब्रांच, बड़ौदा,

सुरेन्द्र नगर, सूरत, जूनगढ़, राजकोट, अमरेली, बलसर तथा पंचमहल । सड़क तथा संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और ब्रांच को बिजली की सप्लाई भंग हो गई । बड़ौदा शहर में 11 जुलाई को 13.3 सेंटीमीटर वर्षापात हुआ जिसके परिणामस्वरूप अथवा झील में जल-स्तर बहुत ऊंचा हो गया तथा वहां भारी मात्रा में जल की निकासी करना आवश्यक हो गया । इस प्रकार निकाले गए जल से बड़ौदा शहर तथा बड़ौदा जिले में विश्वामित्री नदी के किनारों स्थित 15 ग्राम प्रभावित हुए ।

बुलसर जिले तथा इसके आस-पास के स्थानों में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक 90 सेंटीमीटर के भारी वर्षापात के कारण बहुत सी नदियों में, जिसमें दमन-गंगा भी शामिल है, भारी बाढ़ें आईं । बलसर शहर के निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ गई और नदी के निकट दमन-गंगा नदी पर रेल पुल का डैक बह गया । बम्बई तथा अहमदाबाद के बीच सड़क तथा रेल-संचार अस्त-व्यस्त हो गया । सूरत जिले में बहुत सी नदियों में भारी बाढ़ें आ गई जिससे चार तहसीलें और इस क्षेत्र में राजपथ प्रभावित हुए । राज्य प्राधिकारियों ने बचाव तथा राहत कार्य हाथ में ले लिए हैं ।

जम्मू तथा कश्मीर :

26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कश्मीर घाटी में व्यापक वर्षापात हुआ जिसके परिणामस्वरूप जेहलम नदी 1 अगस्त को संगम पर अपने पहले उच्चतम स्तर के पार कर गई । 5 अगस्त से घाटी में पुनः लगातार वर्षा शुरू हो गई । बाढ़-तटबन्धों में बहुत से स्थानों पर दरारें पड़ गईं और अनन्तनाग तथा श्रीनगर जिलों में, जिसमें अनन्तनाग तथा बीजबियारा शहर भी शामिल हैं, व्यापक क्षेत्र जलप्लावित हो गया । सड़कों, पुलियों और लिफ्ट सिंचाई स्कीमों को भारी क्षति पहुंचने की रिपोर्टें मिली हैं । जम्मू से श्रीनगर तक के राष्ट्रीय राजपथ का कुछ भाग और मुख्य शहरों को जोड़ने वाली अन्य सड़कें पानी में डूब गईं जिससे सड़क यातायात अवरुद्ध हो गया । आठ अगस्त को श्रीनगर में मौसम साफ था और जेहलम नदी का स्तर भी नीचे हो रहा था । लेकिन बूलर झील में पानी ऊपर चढ़ रहा था, और वह 8 और 9 अगस्त को खतरे के निशान से 0.3 मीटर ऊंचा था । प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई गई तथा राशन वितरित किया गया ।

महाराष्ट्र :

जून के पहले सप्ताह के दौरान चक्रवात तथा इसके फलस्वरूप भारी वर्षा के कारण थाना कोलाबा, पूने, अहमदनगर, सांगली, सैताए, बम्बई उप-नगर, नासिक, शोलापुर तथा धुले जिले प्रभावित हुए । थाना में पण्ढारतोरा में स्थित एक पुल बह गया । यहां पर पासवान बंध तथा भंदवाड़ी टैंक और नाइ-गांव-गांव में एक मिट्टी के बांध को क्षति पहुंची । गोदावरी तथा इसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने के कारण संगमनेर, अकोला तथा नागर शहरों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ गई और सड़क यातायात अस्त-व्यस्त हो गया । राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा राहत कार्य हाथ में लिए और नकद राहत की व्यवस्था की ।

त्रिपुरा और मणिपुर :

त्रिपुरा में 7 से 15 जून तक की अवधि में अभूतपूर्व वर्षा होने से कई सब-डिवीजनों में भारी नुकसान हुआ; इनमें सबसे अधिक प्रभावित सब-डिवीजन थे, कमालपुर, कैलाशपुर, बेलोनिया और खो गई । जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब गया और खड़ी फसलों,

सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में बाढ़ के दूसरे और तीसरे दौर में पहले से प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक विनाश हुआ। राज्य सरकार ने 75 शिविर खोल कर राहत-कार्य शुरू किए और राहत-कार्यों के लिए 1.8 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।

मणिपुर में इम्फाल, नाम्बुल, थौबुल और इरिल नदियों में जून के दूसरे सप्ताह में बाढ़ आई। इम्फल और नाम्बुल के तटबंधों में दो-दो और थौबुल के तटबंध में एक दरार आई। राज्य सरकार ने तत्काल राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए।

केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) ने राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया ताकि वे तत्काल किए जाने वाले इंजीनियरी-उपायों के बारे में सलाह दे सकें।

अन्य राज्य :

तीस्ता, जलढाका और उत्तरी बंगाल की अन्य नदियों में मध्य में पैमाने पर बाढ़ें आईं जिनके परिणामस्वरूप जलपाइगुड़ी, दार्जलिंग और कूच-बिहार जिलों में नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने बचाव और राहत कार्य शुरू किए।

जून के अन्तिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान उत्तरी बिहार की बागमती, कमला बालान, बूढ़ी-गंडक और अधवाड़ा नदी-समूह में और महानंदा में बाढ़ आई।

उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों, शारदा, राप्ती गोमती और घाघरा नदियों में हल्की और मध्यम पैमाने की बाढ़ें आईं।

केरल में त्रिचूर, छुक्की और कोजीकोडे जिले में भूखलन और चट्टानों के गिरने से 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

मध्य प्रदश में गोदावरी नदी की सहायक नदी इन्द्रावती में 21 जुलाई को थोड़ी देर के लिए बाढ़ आई और उसके कारण जगदलपुर और रायपुर के बीच सड़क यातायात में अव्यवस्थित हो गया।

पंजाब में अगस्त के पहले सप्ताह रावी, व्यास और सतलुज में बाढ़ें आईं लेकिन बाढ़ सुरक्षा कार्यों से उन पर प्रभावकारी रूप से काबू पा लिया गया। इससे पहले सतलुज में 25 जुलाई को बाढ़ आई थी जिससे माकोवाल के तटबंध में और बुदकी नदी पर स्थित बांध में दरार आ गई।

1 अगस्त को यमुना में बाढ़ आई हुई थी और दिल्ली के रेलवे पुल पर पानी खतरे के निशान से ऊपर हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप आस-पास के कुछ गांव प्रभावित हो गए थे। 7 अगस्त से फिर से बाढ़ आई हुई है।

बाढ़ों के कारण क्षति :

बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसकी सही तस्वीर तभी उपलब्ध होगी जब राज्य सरकारें इसका विस्तृत अनुमान लगा लेंगी। यह बाढ़ के उतरने के बाद ही संभव हो सकेगा। लेकिन राज्यों ने अब तक जो प्रारम्भिक जायजा लिया है उससे पता चलता है कि इस वर्ष वर्षा ऋतु के पूर्वार्द्ध में बाढ़ों के कारण जो नुकसान हुआ है वह बहुत भारी नहीं है। संलग्न विवरण में राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार, क्षति के प्रारम्भिक अनुमान राज्यवार दिए गए हैं।

1976 के दौरान (9—8—76 तक) बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र लाख हेक्टेयर में	प्रभावित जन-संख्या लाखों में	फसलों को क्षति		मकानों को क्षति	
			क्षेत्र लाख है० में	मूल्य लाख रु० में	संख्या	मूल्य लाख रु० में
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1.30	1.47	0.22	11.17	2776	27.59
असम	6.89	12.16	0.68	1082.72	53807	201.10
गुजरात	0.43	24.89	0.43	126.00	61301	393.70
जम्मू और कश्मीर	सू० न०	सू० न०	0.25	सू० न०	410	सू० न०
केरल	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०
महाराष्ट्र	0.20	0.77	0.03	6.71	11814	72.83
मणिपुर	0.18	0.20	0.18	530.00	4000	72.00
पंजाब	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०
त्रिपुरा	0.42	2.00	0.19	187.00	5728	12.81
पश्चिमी बंगाल	0.07	0.01	सू० न०	0.62	460	1.24
कुल	9.49	41.50	1.98	1944.22	140296	781.27

सू० न०—सूचित नहीं किया गया ।

1976 दौरान (9-8-76 तक) बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

राज्य का नाम	मृत पशुओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	जन सुविधाओं को क्षति लाख रु० में	फसलों मकानों और जन-सुविधाओं को कुल क्षति (कालम (5+7+10) लाख रु० में	टिप्पणी
1	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	2972	4	223.77	262.53	
असम	1087	60	0.54	1284.36	
गुजरात	30944	96	1063.00	1582.70	
जम्मू और कश्मीर	सू० न०	23	सू० न०	सू० न०	
केरल	सू० न०	20	सू० न०	सू० न०	
महाराष्ट्र	7968	35	74.71	154.25	
मणिपुर	2	1	7.00	609.00	
पंजाब	30	9	सू० न०	सू० न०	
त्रिपुरा	596	6	156.03	355.84	
पश्चिमी बंगाल	सू० न०	सू० न०	3.09	4.95	
कुल	43599	254	1528.14	4253.63	

सू० न०—सूचित नहीं किया गया ।

राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENTS PENSION (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का पुरःस्थापित के समय ही विरोध करना चाहता हूं क्योंकि वर्ष 1975-76 में संशोधनों द्वारा यह क्रूर अधिनियम बना दिया गया है। यह न्याय वादी ने भी स्वीकार किया कि नजरबंदी की व्यवस्था का दुरुपयोग रोका नहीं जा सकता । राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी तथा साम्राज्यवादी तत्वों के दमन के लिए 'आंसूका' की कुछ उपयोगिता हो सकती है। परन्तु इसका दुरुपयोग हम कभी सहन नहीं कर सकते। इसका उपयोग उन तत्वों के विरुद्ध भी किया जा रहा है जो प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध है। प्रतिरक्षा कर्मचारी फैडरेशन ने आपातस्थिति तथा बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है। परन्तु हमारे कई कर्मचारी नजरबंद हैं जिनमें कर्मचारी संगठनों के मुख्य सचिव भी सम्मिलित हैं। यदि हम रक्षा मंत्रालय से बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि स्थानीय शासन द्वारा यह कार्यवाही की गई है । इस शक्ति का उन्होंने बुरी तरह से दुरुपयोग किया है ।

इस लिए हमने इस अधिनियम की अवधि के बढ़ाए जाने का विरोध करते हैं क्योंकि इसका उपयोग जनता के लोकतान्त्रिक अधिकारों के विरुद्ध किया गया है ।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने उनको लिखा भी है कि श्रमिक संगठनों के ये प्रतिनिधि इमानदार हैं। उन्होंने इमानदारी से 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की चेष्टा की है । परन्तु तो भी वे जेल में हैं।

जब आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम सभा द्वारा पारित किया गया था तब श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा आशंका तथा भय व्यक्त किया गया था कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा । तब तत्कालीन

मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री द्वारा इस के दुरुपयोग न किए जाने का आश्वासन दिया गया था। आज धनी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आपात स्थिति के दौरान पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई है। हम मंत्री महोदय से पुनः आश्वासन चाहते हैं। जिन व्यक्तियों ने इन आश्वासनों का अतिक्रमण किया है उन्हें दण्ड दिया जाए।

श्री सोम नाथ चटर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ......

अध्यक्ष महोदय : यदि व्यवस्था का प्रश्न वास्तविक है तो मैं उसे सुन सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस विधेयक द्वारा नजरबंदी की अवधि को 12 महीने से 24 महीने किया जा रहा है।

मंत्री महोदय ने जब मूल विधेयक रखा था तो कहा था कि अनुच्छेद 16 क के अनुसार नजरबंदी की अधिकतम अवधि 1 वर्ष है। इसी स्पष्ट आधार पर सभा का समर्थन प्राप्त किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप इसे विधेयक पर चर्चा के समय रख सकते हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : सरकार ने 'आंसुका' के सम्भव दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित सतर्कताएं बरती हैं। जब ऐसे मामलों की शिकायतें प्राप्त होती हैं तब हम राज्य सरकारों से उस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। **(व्यवधान)** साम्यवादी सदस्यों ने कुछ मामले हमारे ध्यान में लाए थे। हमने सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी लेकर मान्य सदस्यों को सूचित किया था। फिर भी यदि कोई मामला हमारे नोटिस में लाया जाएगा तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने भारतीय साम्यवादी पार्टी के सदस्यों के बारे में लिखा था क्या मंत्री महोदय उनकी चर्चा करेंगे ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यदि श्री बनर्ज़ी मुझे लिखेंगे तो निश्चय ही मैं मामले पर ध्यान दूंगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हिमाचल प्रदेश के श्री अनवर अली खां अभी भी जेल में हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 में और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha Divided

पक्ष में 103 : विपक्ष में 19

Ayes : 103 : Noes 19

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के बारे में विवरण

STATEMENT *RE* MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1976

गृह मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1976 द्वारा विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक

CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) BILL

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के बारे में विवरण

STATEMENT *RE* CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1976

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.30 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

राष्ट्रीय बाल नीति सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION *RE* NATIONAL POLICY FOR CHILDREN

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीय बाल नीति पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की राष्ट्रीय बाल नीति सम्बन्धी बोर्ड की टिप्पणियों पर की गई कतिपय सिफारिशें बहुत अच्छी हैं। पिछले सत्र के अन्तिम दिन माननीय उप मंत्री के विचारों को मैंने बड़े ध्यान से सुना था।

धार्मिक भावनाओं से देखा जाए या प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं को दृष्टि में रख कर देखें तो हम पाते हैं कि बालक को भगवान माना जाता है। बालक को हम बहुत प्यार से देखते हैं। ब्रिटिश काल में तो हम एक सुव्यवस्थित नीति नहीं अपना सके। पर अब हम स्वतन्त्र हैं और एक अच्छी नीति का गठन हुआ है। पंडित नेहरू भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सोवियत संघ में भी लेनिन सदैव बच्चों की ओर ध्यान देते थे। अन्य समाजवादी देशों में भी बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है।

हमारे देश में कुछ स्वयं सेवी संगठन अवश्य बच्चों की देख भाल करते हैं पर राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ था। सिफारिशें तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन धन राशि के अभाव में कुछ नहीं किया जा सका है। यदि देश के कर दाताओं से बच्चों लिए साधन जुटाने को कहा जाए तो कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। यदि 5 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भी दे तो भी अच्छी खासी रक़म जमा हो सकती है।

हमारे बजट में बच्चों के खेलकूद के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित नहीं की जाती। मध्यपूर्व के देश भी हम से अधिक व्यय करते हैं। 60 करोड़ की आबादी वाले देश में सरकार बच्चों और युवाओं की आर्थिक सहायता नहीं करती। यह काम सामाजिक संगठनों पर छोड़ दिया जाता है। एक समाजवादी देश में सरकार को यह कार्य खुद सम्भाल लेना चाहिए।

हमारे देश में बच्चों की बुरी तरह अवहेलना की जाती है। अनेकों को तो अपने मां-बाप का भी पता नहीं होता। हमें इन बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए।

पहली टिप्पणी में कहा गया है कि बालकों के स्वास्थ्य की देख-भाल सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक देश कई भागों में बच्चों को एक गिलास दूध का भी नहीं मिलता। बच्चे दूध की ओर ऐसे ताकते हैं जैसे बड़े व्यक्ति स्वर्ण अथवा हीरों की ओर देखते हैं। बच्चों को आम दवाएं भी उपलब्ध नहीं, देश की बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। अधिक बच्चों की देख-भाल नहीं हो सकती और वे अपराधी बन जाते हैं।

कांग्रेस के विभाजन के पश्चात हमारी लोकप्रिय प्रधान मंत्री ने बच्चों के विकास कार्य को हाथ में लिया। परन्तु राज्य सरकारों के लाभपूर्ण समर्थन के बिना इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती।

यदि मंत्री महोदय इस बारे में गम्भीरता से अध्ययन करें तो बच्चों के लिए कल्याणकारी नीति का विकास हो सकता है।

देश में तीन तरह के स्कूल हैं। एक कान्वेन्ट, दूसरे पब्लिक तथा तीसरे नगरपालिका। उच्च अधिकारी अपने बच्चों को प्रथम वर्ग के स्कूलों में तथा मध्यम वर्ग के दूसरे वर्ग के स्कूलों में तथा निम्न वर्ग के तीसरे वर्ग के स्कूलों में भेजते हैं।

बालकों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । लेकिन स्वास्थ्य केन्द्र उन्हें साधारण औषधियां भी नहीं देते हैं । परिवार नियोजन के साथ सरकार की वित्त तथा प्रोत्साहन नीति के माध्यम से वर्तमान बालकों की उचित देखभाल की जानी चाहिये। यदि हमने इस पहलू की उपेक्षा की तो इस देश के युवकों और बालकों का मस्तिष्क एवं प्रतिभा पूर्णतः कुंठित हो जाएगी । क्या ये सिफारिशें वित्तीय प्रोत्साहन तथा राज्य सरकारों के उचित प्रोत्साहन के बिना सफल सिद्ध हो सकती है ? अतः योजना आयोग के वित्तीय प्रोत्साहन से बालकों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष यथार्थ नीति निर्धारित की जानी चाहिए । बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए धन खर्च किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कठोर काम पर नहीं लगाना चाहिए और उनसे भारी काम नहीं करवाना चाहिए । यदि इसे सार्थक बनाना है तो इसे कठोरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए सरकार को बालकों को शिक्षा देनी चाहिए और 'चाचा नेहरू पायेनियर ब्रिगेड' के नाम से एक दल बनाना चाहिए ।

***श्री आर० एन० बर्मन** (बालूरघाट) : यह मामला ऐसा है कि इसके लिए हम अपनी राजनीतिक मान्यताओं को त्याग कर बाल कल्याण का कार्य कर सकते हैं।

बालक राष्ट्र की सम्पत्ति है और यदि इस प्राकृतिक सम्पत्ति का उचित उपयोग नहीं किया गया तो हम अपने देश की दशा सुधारने का सोच भी नहीं सकते।

विभिन्न संवैधानिक उपबन्धों तथा सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद हम अपने बालकों के लिए समुचित कार्य भी नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो बालकों के स्वास्थ्य का दायित्व ले सके। इसका यह परिणाम हुआ है कि बाल कल्याण सम्बन्धी योजनाएं आरम्भ तो बड़े कारगर ढंग से की जाती है लेकिन इन योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी विभागों में बेहतर तालमेल हो।

हमारे संविधान में सभी बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है । लेकिन यह योजना इसलिए असफल रहती है क्योंकि बालकों को स्कूल भेजने की कानूनी अनिवार्यता नहीं है। हमारे देश में अधूरी शिक्षा छोड़ने वाले बालकों की संख्या इतनी अधिक है कि इस से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति अवरुद्ध हो गई है । मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि सभी राज्य सरकारों को ये निदेश दिए जाएं कि सभी बालकों को स्कूल जाना अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएं तथा एक विशिष्ट स्तर तक शिक्षा ग्रहण अवश्य करें ।

राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्थान ने मार्च, 1976 में दोपहर के खाने के लिए योजना के बारे में सर्वेक्षण किया था और पता चला कि बालकों के लिए खरीदे गए खाद्यान्न बड़ी आयु के लोग समाप्त कर देते हैं और बालकों के लिए खरीदे गए खाद्यान्न का लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। इस स्थिति से और कोई इतनी अधिक शोचनीय नहीं हो सकती। हमें यह पता नहीं है कि दोषियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है । वस्तुतः हम अपने बालकों की ओर उचित ध्यान नही देते हैं ।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bengali.

बाल अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है । इस अधिनियम में बताया गया है कि बाल अपराधियों की देख-रेख बाल न्यायालय द्वारा की जाएगी जबकि पूर्व बाल अपराधियों और बाल अपराधियों में बहुत कम अंतर है और ऐसे बालकों की देख-रेख के लिए एक ही संगठन होना चाहिए ।

यह साधारण सी और सर्वविदित बात है कि बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी हैं। इस क्षेत्र में सुधार हेतु हमें परिवार के वयस्क सदस्यों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए ताकि बालकों की कमाई पर निर्भर किए बिना वे परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सकें ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तैल्लीचेरी) : बालकों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी पर संकल्प स्वागत योग्य है । परन्तु खेद है कि प्रस्ताव में क्रियान्वयन वाला भाग नहीं है ।

हमारे देश की जनसंख्या 61.50 करोड़ है । जिनमें से 62% बच्चे अथवा गर्भवती माताएं हैं। देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जीवन निर्वाह के गरीबी के स्तर से नीचे स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहीं हैं।

हमारे देश को बालकों की आज कुछ विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । प्रथम तो कुपोषण की समस्या है और दूसरे बाल अपराध की । संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संगठन के आंकड़े के अनुसार 18 प्रतिशत बालक कुपोषण के शिकार हैं। उनमें से 15 प्रतिशत तो जीवित ही नहीं रहते हैं। इस स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे । हमारे बालक अपराधी पैदा नहीं होते हैं लेकिन वह वातावरण और परिस्थितियों, जिनमें वे रहते हैं उन्हें अपराधी बनने को बाध्य करतीं हैं।

देश में साक्षरता की समस्या के बारे में स्थिति यह है कि केरल के 33% व्यक्ति निरक्षर हैं तथा उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 32% ह।

संविधान में उपबन्ध किया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी । शताब्दी का चौथाई भाग समाप्त हो गया है लेकिन देश में अशिक्षित लोगों की संख्या बढ़ी है । यदि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के पास पर्याप्त मात्रा में धन होता तो वह आज की अपेक्षा अधिक बेहतर कार्य करता । मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार शिक्षा तथा बालकों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है । साहसी कर्म और चुनौतियों का सामना करने वाली पीढ़ी के लिए हमें बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए । सरकार को एक निश्चित धारणा लेकर सामने आना चाहिए कि बाल कल्याण योजनाओं के लिए कैसे धन जुटाया जाए । कुछ लोग सोचते हैं कि परिवार नियोजन सभी समस्याओं का समाधान है। परन्तु परिवार नियोजन ऐसे व्यक्तियों पर लादना अच्छा नहीं है जो इससे सहमत नहीं हैं। इस से देश में अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : While supporting the resolution I have to make certain suggestions. This resolution was moved on 22nd August, 1974.

Though it has been very clearly indicated in Article 45 of an constitution that the state shall endeavour to provide free and compulsory education to the the children upto the age of 14 years, nothing substantial has been done to implement it an actual practice. Similarly, it has been provided that no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. But one can find even today a large number of children

employed in mines and in hotels. No substantial progress has been made in the standard of health of the children.

It is written in the first paragraph of the Resolution that children are an important asset of the Nation and equal opportunities should be provided for their development. It is the aim of the Government to reduce in equality and ensure social justice. But nothing is being done in this direction.

Children of affulant section of the society get eduction in convent or public schools whereas children of poor section of society study in ordinary schools. It is the main reason why they lay behind in the competitions. It is our responsibility to work for their betterment.

The task of implementation of child welfare schemes has been assigned to states and they plead that they could not implement those schemes and due to lack of funds. If it is so, greater allocation of funds should be made to them in order to implement child welfare schemes.

The schools are in a miserable condition. It is the need of the hour to streamline the educational system. More schools should be opened on the lines of Central schools and Railway schools. It is the duty of the Government to see that Resolution is properly implemented.

Shri Chandrapan has complained that only such sportsmen where sent in olympics who had certain pulls. This should be looked into.

Hostels should be constructed for socially handicapped children. Cruelty should be made cognizable offence.

Report of the Committee for the preparation of programmes for children was submitted on 19th October, 1968. Its suggestions and recommendations should be fully implemented.

With these words, I support the resolution.

SHRI M. C. DAGA (Pali) : The Nation has a responsibility towards its children. In order to ensure better health and good future for our Nation, more attention has to be paid towards the welfare of the children. What is the condition of children in our country today ? We find a number of children begging or sleeping in the streets, uncared for. Instances have come to light when small children are made to beg after their limbs are amputated and they are disabled.

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

Those professional miscreants who use children for collecting alms are the worst enemy of the society. They should be dealt with severly. Government should pass a stringent law against such Criminals.

Begging by Children should be strictly prohibited. Laws have been passed by the Government of Punjab and Madhya Pradesh prohibiting children from begging. Such a law should be passed on a National level. This will go a long way in eradicating this evil practice.

What is the present Condition of education of our children in the society ? It is a pity that only those persons who denote get good jobs become teachers. Most of these teachers are in competent and lack character. The fate of their students can well be imagined. Therefore, good and competent teachers should be appointed in primary schools so that future of our children could be safeguarded.

Radical changes should be made in our schools. Education system for the children should be completely overhauled. We must provide them with healthy literature. Good movies are more effective to transform the lives of children. I agree with you that this is a very good and comprehensive resolution. But we have to see that it is properly implemented. Future lies with children—the citizens of tomorrow We should try to make their future bright.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबरिया) : मैं इस कल्प के उद्देश्य और आदर्श का समर्थन करता हूं । इस संकल्प का मुख्य आधार यही है कि हम अपने बच्चों का उचित ढंग से पोषण कर सकें । लेकिन 27 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी क्या हम बच्चों के विकास के लिए अनिवार्य वस्तुएं जुटा पाते हैं। गांवों और शहरों दोनों की आबादी को भी देखें तो पता चलेगा कि 70 प्रतिशत परिवारों के पास भूमि नहीं या है तो बहुत कम है । उन्हें गुजारा करने के लिए भू-स्वामियों या साहूकारों पर निर्भर करना पड़ता है । बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता और उनको लिए रोजगार भी मुहैया नहीं हो सकता ।

आवश्यकता इस बात की है कि वास्तविक समाजवाद लाया जाए और देश की अर्थ व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन किया जाए। सच्चे समाजवाद का अर्थ यही है कि देश के धन जन सम्बन्धी स्रोतों का पूरा-पूरा उपयोग सभी देश वासियों की भलाई के लिए किया जाए। उसके लिए जमींदारी को समाप्त करना, एकाधिकार पर नियंत्रण करना और विदेशी प्रभाव को समाप्त करना बहुत जरूरी है । अन्य समाजीवादी देशों की तरह अपने यहां भी मूलभूत परिस्थितियों में परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है ताकि माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार किया जा सके।

एक समाजवादी देश में ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें कोई भी भूखा न रहे, शिक्षित बेरोजगार न हों और बच्चों का संतुलित और स्वास्थ्य विकास हो सके। समाजवादी देशों में शिक्षा पर अधिकतम व्यय किया जाता है ।

अतः हमारी पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना जरूरी है । उसके लिए हमें ईमानदारी से प्रयत्न करने होंगे। तभी इस संकल्प के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा।

SHRI RAM SINGH BHAI (Indore) : I congratulate the Ministry of Education for formulating this resolution which is pious and noble one. It is no doubt, the responsibility of the Government to provide good education, employment etc. to its citizens but the parents also can not escape from their responsibility. They are also answerable to the society.

We must honestly deal with this resolution carefully avoiding reference to Socialism or Communism etc. We know better about our needs. The whole machinery of the Government is geared to this task of child welfare. Beggary and gambling should be completely abolished from this country.

In our country children are engaged for working in hotels, for carrying load. They continue to live in pitiable conditions. We must see that their living environments improveadequately. No children up to the age of 14 should be allowed to beg because certain professionals kidnap the children and force them to beg on roads and pavements. This type of inhuman treatment needs to be stopped immediately. Their exploitation must be made an offence and stern and exemplary punishment should be provided against those responsible for it.

We should make every endevour to build their character.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich) : Sir. the whole trouble arises from the fact that our population is increasing at a tremendous speed. So the development of masses is a herculean task. There are lot of problems which can not be solved in a single day. We have limited means and we should try to derive maximum benefit out of them.

Still we are engaged in experimentation so far as our education system is concerned. Every year certain new subjects are added to the curriculam. The students get bogged down between the number of questions which are asked in the question paper. For instance, there were 33 questions in one question paper. That is why the pass percentage in intermediate examination was

only 20—25 per cent. If you go on changing the ed'cation system so often, the standard of education will come down. Now primary education is a state subject but higher education has been made a Central subject. This is totally wrong.

Secondly, we should pay more attention to the health of our children. The future of our country is in the hands of our children. All our plans should be geared to provide good education to the children. Our plans will be of no avail if we do not succeed in this respect. Health should be made a compulsory subject upto the university level. We should utilize means of mass media to educate our children. At the earlier stage of education we can do without certain subjects but health subject must be added to the curriculam.

There should be an integrated policy to deal with social welfare child welfare and Education. There should be some uniformity in the field of education. The disparities must be removed. The convent schools only add to this inequality.

SHRI SHIVNATH SINGH (Jhunjhunu) : It is a healty singn that the highest institution of our country is discussing the subject of child welfare. Family Planning is very good but those children who have come to this world should be looked after very well. This is the responsibility of our Education Ministry. I admit that we have limited means but these should be properly utilized to get maximum benefits. Today more attention is being paid to children belonging to upper strata of society in the urban areas. Children of rural areas and slums are neglected. There is need for taking steps to ameliorate the lot of children in villages and in the slum areas. The Health Ministry and the Education Ministry will have to work in coordination to look after the welfare of these children.

At present there is wide disparity in the quality of education which the children of well-to-do people get in public schools and that received by children of common people. This disparity should be eliminated. There should be a uniform pattern of education for children belonging to diff rent strata of society.

I support the Resolution on National Policy for children.

SHRI NATHU RAM AHIRWAR (Tikamgarh) : While supporting the Resolution, I would like to say that children of a country are the future of that country. The future of a country depends on what kind of education we impart to our children and what type of social atmosphere we create for them. Keeping in view all these things, we should think seriously about the future of children. Children of those living below the poverty line have not received adequate attention. There is need for paying more attention to the welfare of children in rural areas.

The Central Government is giving funds to states to implement schemes for the welfare of children. There should be some machinery to see there funds are properly utilised.

The Government should raise more resources for implementing the welfare schemes for children. Religious institutions which have huge amounts of money with them should be asked to contribute a certain percentage of their funds for the purpose. Industrialist and agriculturists should also be asked to make contribution for this noble cause.

SHRI AMARNATH VIDYALANKAR (Chandigarh) : There can be no two opinions about the need for looking after the welfare of children. Education can play a great part in making our children good citizens. But not much has been done in changing our old system of education. We should have a system of education which should make our children grow into good men. There is need for paying special attention to this in primary education.

Begging by children is deplorable. Steps should be taken to eradicate this evil.

SHRI JAMBUWANT DHOTE (Nagpur) : The Resolution on National Policy for children was formulated in August, 1974, but it is being discussed in the House in 1976. There has been inordinate delay in bringing forward this matter for discussion in the House.

There are a number of public and convent schools in the country. These schools provide educational facilities to children of well-to-do people only. The children of common people

study in district board or corporation schools. There should be uniformity in the standard of education provided to our children. The convent and publics schools should be abolished.

The Resolution is good but more attention should be paid to its implementation. Efforts should be made to provide good education to the children belonging to the lower strata of society.

People have to resort to begging under force of circumstances. It is not for pleasure's sake that one takes to begging. Therefore, it will be inhuman to put a ban on begging.

SHRI B. V. NAIK (Kanara) : I do not want to say that the public schools functioning in the country should be closed, but there should be a selection system so that talent could be identified.

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए
SHRI C. M. STEPHEN *in the Chair*]

The Government have formulated a 15-point national policy on education but the article regarding compulsory education enshrined in the Directive Principles of our constitution is still a dream. Under this 15-point National programme the uniform education should be imparted to all schools going children throughout the country.

हमें मानना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत प्रगति की है । आज के बालक बहुत समझदार हैं । हां, यह बात ठीक है कि खेलों में उनकी रुचि बहुत कम है । इसकी जांच की जानी चाहिए । प्राइवेट स्कूलों के प्रशासन को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । क्योंकि उनका 90–95 प्रतिशत खर्चा तो अब भी सरकार ही उठाती है । मैं इस बारे में सरकार की बेबसी को समझ नहीं पाया ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरीडीह) : आज भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है । इसके कारण हमारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं । अतः बाल नीति में समन्वय लाना बहुत आवश्यक है । मैं चाहता हूं कि इस विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए ।

14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा एक बहुत बड़ा कार्य है । क्योंकि इसमें उनका पोषण, उनका शारीरिक और मानसिक विकास इत्यादि सभी बातों पर ध्यान देना होता है । भारत के लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं । अपने अनुशासन के बल पर हमने मनन और चिन्तन के क्षेत्र में बहुत प्रगति की थी । खेद की बात है कि हम अपनी ऐतिहासिक भूमिका भूल गए और हमारे देश का स्तर नीचा हो गया । अब हमें पुनः उठना है और देश को उठाना है ।

आज देहाती इलाकों में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा । उनके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । शहरों में बच्चे गन्दे वातावरण में बड़े होते हैं । इसका परिणाम यह है कि बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं । बाल सुधार संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं ।

ओलम्पिक खेलों में भारत की खराब हालत हमारे सामने है । हमें 12 वर्ष की आयु से बालकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें विश्व प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना चाहिए । हमारे देश में शिक्षा के आयोजन में गांवों की उपेक्षा कर दी गई है और यही बात बाल-नीति के बारे में भी देखने को मिलती है । हमें स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए समान शिक्षा नीति अपनानी चाहिए । साथ में सभी के लिए समान अवसर होने चाहिएं । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : Sir I support this Resolution. I agree with the views expressed by speakers before me that child development should be given to priority. In fact, this has been accepted in our policy about children wherein it is stated that equal opportunities for development to all children during the period of growth will be our aim, for this would serve our larger purpose of reducing inequality and ensuring social justice. It means that we attached great importance to the development of children of our coutry. It is true that ours is a poor country and we do not have the resources like the advanced and developed countries of the world. We can make the best use of our limited resources for the development of children if we do away with our ideological stagnation.

The children in the age group of 1 to 14 years constitute about 55 per cent of the number. They are the future hope of our country. We should attach more importance to the health then education. The pre-netal care should be given due importance. The expectant mothers' health should be looked after properly. The children's growth at all stages should be such that they attain all the necessary qualities. Now Government is going to constitute a National Children's Board. It is very good step. Our Prime Minister will be the President of this Board. She very well knows the importance of children's development. I congratulate the hon. Minister for taking this step.

I suggest the Planning Commission should prepare phased programme in this regard. Its implemenation should be properly watched by the centre. This is the most important aspect. I support this Resolution.

SHRI RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : The education of the child starts before his actual birth. Therefore, I consider the pre-natal care to be very important. There was a scheme to provide nutritious food to pregnant women. Has that scheme been given up ?

There should not be any discrimination in the matter of education between the Children of the rich and the poor. The children of the poor should not have an inferiority complex.

I am not in favour of doing away with the public schools what we should does to improve the conditions in Government shools and bring them up to the standard of public schools. The standard of teaching should be improved. No favours should be shown in the appointment of teachers. They should be recruited on the basis of written tests.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI(Patna) : Sir, everybody would support the 15 points mentioned in the Resolution National Policy on children. The main question is of implementation. There is great disparity in the standard of children of different sections of the people. A poor man's child has to very little opportunities. There is a large number of handicapped children. They need special care. The main problem is of malnutrition We should first of all pay attention to the health of the children.

There is the problem of illegitimate children. This question should be looked into. The pionts regarding the development and growth of children. contained in the resolution are very important. There should be coordination between the Ministry of Health and this Ministry on this subject. The triple injections for small children should be made available in rural areas also. There should be a uniform system of education for the children of all classes of public.

The question of paucity of funds has been raised. Government can get money by dealing with monopoly houses in a stern manner. There is no shortage of money in the country. I support this Resolution.

SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA (Navada) : There cannot be two opinions on the points mentioned in this Resolution regarding the development of children. I hope that this Resolution would be implemented sincerely.

There is great difference between the bringing up of the children of the poor and the rich. Government should provide more facilities to the poor.

A demand has been made that the public schools should be done away with. What are the condition in Government schools ? I know about the central schools. The children of Central Government employees are admitted there other intelligent students cannot get admission there. It is a wrong policy to deny the benefit of these schools to others. A question has been raised about the paucity of funds. It can be arranged by Planning Commission. This money is needed for a national cause. Our 20-point programme is for the upliftment of weaker sections of the society. This policy resolution should be implemented by bringing about co-ordination in the work of various agencies.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । हमें बच्चों के स्वास्थ्य की ओर सब से अधिक ध्यान देना चाहिए । भारत के प्रत्येक ग्राम में प्रसूती केन्द्र होना चाहिए । उसमें बच्चों के सुरक्षित जन्म और बाद में उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था होनी चाहए । हमारे गांवों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । देश के सभी सामुदायिक विकास खण्डों के कम से कम एक ऐसे केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिए । वहां बच्चों के खेल तथा मनोरंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए ।

केन्द्रीय विद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं । परन्तु ऐसे अधिकांश विद्यालय नगरों में हैं । इनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए ।

देश के सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए समान वर्दी होनी चाहिए । यह बहुत सादी होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसकी कार्यान्विति की ठीक प्रकार से कराएं ।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : It is very good that Government has brought this Resolution. It is all the more good that the Prime Minister herself will be the Chairman of the proposed Board. The main aim of the National Policy for children should be to provide equal opportunities to all the children irrespective of whether they belong to villages or cities.

The children should be given practical education in various vocations. They should be trained in animal husbandry, carpentry, agriculture and other trades. We should pay attetion to our countries games to improve their health and not run after the western games.

Children should have adequate knowledge of their mother tongue.

The proposed Board will be a big body. The number of its members should be reduced. The number of M. P.s on the board which is only two should be increased to five. I support this Resolution.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मुझे इस संकल्प के लाए जाने पर बहुत प्रसन्नता है । बच्चों के कल्याण प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है । हमें बच्चों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा । इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात नीति के कार्यान्वियन की है ।

ऐसे स्कूलों की व्यवस्था की जाए, जहां रहने का प्रबन्ध भी हो । ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत आवश्यकता है । समान के निम्न वर्ग के बच्चों को उचित शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय हैं। परन्तु वहां पर परीक्षा केन्द्र नहीं हैं। वहां पर इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्रीय स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नूरुल हसन) : इस संकल्प को अपना समर्थन देने के लिए माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं......।

सभापति महोदय: अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 11 अगस्त, 1976/श्रावण 20, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

***The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August* 11, 1976/** *Sravana* 20, 1898 (*Saka*)

569LSS/76—200—27-9-76— GIPF